of the Northern Railway, it side-collided with a shunting engine which had to perform shunting on train No. 10 Down Dehradun Express already standing at the station.

As a result of the side-collision two coaches *i.e.* the composite First and Third class through coach from Madras to Varanasi which was third from the Train engine and a Third class coach which was fourth from the Train engine of 48 Dn. Bombay-Varanasi Express. got damaged. According to the latest Information available three persons were killed in this accident and another 15 injured of whom 13 were hurt grievously.

Immediately after the accident, the North Eastern Railway's medical van at Varanasi was placed at the site to render medical aid to the injured. After first aid on the spot the injured persons were taken to the North Eastern Railway Divisional Hospital at Varanasi.

The Member, Mechanical, Railway Board and the General Manager, Northern Railway accompanied by the Chief Operating Superintendent have proceeded to the site of the accident. The Divisional Superintendent, Danapur who was at Mughal Sarai, 17 kilometres from Varanasi, and Railway Officers of Varanasi Division stationed at Varanasi rushed to the site to supervise relief and rescue operations.

The Additional Commissioner of Railway Safety Northern Circle is holding an inquiry into this accident on 24-6-71.

12.38 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha :—

> "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Salaries and Allowances of Officers of Parliament (Amendment) Bill, 1971, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 16th June, 1971, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

12.39 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1971-72—*Contd.*

Ministry of Home Aflairs—*Contd.*

MR. SPEAKER : We will now resume further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : May I make a submission, Sir ? Day before yesterday, after 3 O' Clock, we submitted our cut motions to the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs. We did not expect that the discussion on these Demands would come up yesterday. We sent our cut motions day before yesterday. We could not move yesterday...

MR. SPEAKER : Tha date was already fixed.

SHRI S. M. BANERJEE : We did not expect that the Demands would come up yesterday...

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : They may be allowed.

MR. SPEAKER : The Demads were taken up yesterday.

SHRI S. M. BANERJEE : The cut motions that we sent day before yesterday were not circulated. How could I move them ?

It was not circulated. Day before I moved. It was not circulated yesterday. It was not circulated even to-day.

MR. SPEAKER : The Demands have already been moved. The Member was on his legs. How can I do it now ? Mr. S. V. Savant to continue.

SHRI SHANKARRAO SAVANT (Kolaba) : Mr. Speaker, Sir, as I said yesterday, I rise to support the Demands of the Ministry of Home Affairs.

[Shri Shankarrao Savant]

The year 1970-71 has been a crucial year in our democratic set up. In 1947 we attained Independence. After three years in 1950, as the Preamble to the Constitution says, we swore to constitute India into a sovereign democratic republic. The world had always doubted our ability to wield this weapon of democracy thanks largely to our medieval background and the existence of a predominantly illterate electorate which has often shown strange allergy to frenzied communal appeals. But to the consternation of the world, we went through four General Elections more admirably. In the General Elections of 1967 the Congress was badly mauled but still it remained the greatest bulwark of secular democracy. When, therefore, it split into two in 1969, the prophets of gloom vied with each other in predicting in disaster for democracy. When the mid-term poll was announced in 1970, not only the professional astrologers but even the professional politicians began predicting dismal pictures of the things to come. It was openly said then that India was at the cross-road of democracy and mobocracy and that mobocracy in the shape of fronts, coalitions and conglomeration of parties and persons will rule over India. But, thanks to the dynamic leadership of Shrimati Indira Gandhi, just the reverse of whast these laokadaisical pessimists had predicted has come true.

Not only did the Congress get a thumping majority in the Lok Sabha but the air of buoyancy exuded by the results of the General Elections became infectious and it swept before it Governments in nine States—most of them Coalition Governments. In most of these States the political metamorphosis became so devasting that the President's rule had to be invoked to give breathing time to the puzzled politicians to adjust themselves to the new situation.

When the fronts, combinations and conglomerations are thus vanishing from our political arena, we are faced with two monsters that have thrived upon the political insecurity of the last five years. First is communalism and second is Naxalitism.

Communalism is the bane of our politics for several decades. Each year it thrives on new causes. At page 34 of this Report of the Ministry of Home Affairs they have detailed several proposals to curb communalism and I am sure that if these proposals are diligently and honestly worked out, communalism can be curbed. I particularly refer to proposal No. 4—"Timely and adequate action under law should be initiated in respect of inflammatory writings and public utterances which foment communal trouble". This is well said than done. So, I would suggest both the Central and State Goverments should take action on these lines. Such action will go a long way in curbing communal disturbances. But unfortunately that is not done.

That is the reason why communalism always increased from year to year. As a general rule I may say that communalists are loved by none but are wooed by all at least at the time of election. During the last elections, the Muslim League, and the Jan Sangh who are supposed to be the antithesis of each other, combined to make it tough for the Congress. Even the Congress has often showed greater respect to communalist Muslims than to Nationalist Muslims. This has created an atmosphere in which communalism is making surreptitious gains It is therefore necessary that we should stick loyally to the various measures detailed at page 34 of this Report to put down the scourge of communalism.

The Naxalite menace has grown mostly in West Bengal. The political uncertainty created by the internal quarrels in the Congress in 1966 is the main cause of the rise of the Naxalites. It is a matter of shame that publicmen, candidates at elections and high-ranking officials including High Court Judges should be murdered in broad daylight and the culprits could not be found, and if found, should be acquitted in courts of law because no body dares to come forward to depose against the miscreants. The State Government of West Bengal is mainly responsible for this sordid state of affairs. During the President's rule, the Governor too does not seem to have done much to curb this menace. If, therefore, the President's rule is clamped once more upon the hapless State of West Bengal—as seems highly probable,—it will be the duty of the Central Government to see that this baneful menace to public life and to law and order is put down once for all.

It is true that the immediate responsibility for law and order is upon the State

Governments. The Union Government is only a coordinating and supervising agency but even then it can do a lot by way of advice.

Then, I will refer to civil defence. So far as civil defence is concerned, the Centre's responsibility is direct and therefore the present strength of civil defence corps of 2.5 lakhs as against a target of 4.50 lakhs is certainly not commendable. This is not adequate. The Centre must take special steps to see that civil defence staff are put in proper order and to raise the proposed target, especially in view of the present situation of the country particularly our relations with our neighbours.

The Home Ministry's main responsibility is regarding inter-State disputes. They have to solve the disputes amicably and judiciously. The disputes between Punjab and Haryana, between Assam, Manipur and Meghalaya have either been solved or are about to be solved. But the 15 year old dispute between Maharashtra and Mysore is left to stew in its own juice. The Mahajan Report was ready in 1967 but it took 3 years simply for laying it on the Table of the House. Even then, nothing thereafter has been done so far. There is a stray line in this report at page 22 which says :

> "Efforts to resolve the dispute were made but these have not so far been successful."

Absolutely nothing is stated as to what efforts were made, by whom they were made when they were made, what was the reaction of the parties concerned, etc. Only a stray line is put that efforts were made. That is all that is mentioned. How long are the efforts to continue ? How long are the endless and fruitless efforts to continue ? My request to the Prime Minister who is heading the Home Ministry is that she should take up courage in both hands and see that this dispute between Maharashtra and Mysore is resolved at an early date. I had asked one Starred Question. It was turned into an Unstarred Question. I had asked as to what are the impediments which are coming in the way of resolving this particular dispute.

No answer has so far been given, and I do not think that any specific answer will be given. They only want to bide time, and this is a bad procedure. Once there is a dispute between two States and there is a specific responsibility of the Central Government to resolve this dispute, there is no reason and there is absolutely no justification for keeping the dispute unresolved for years on end.

So far as the Mahajan report is concerned, Shri Mahajan has distorted facts and even perverted them. He has really gone beyond his jurisdiction in making certain recommendations, but all that is a different matter ; when we discuss that report, I am sure we shall be able to point out how far he has gone beyond his jurisdiction in making those recommendations.

All that is necessary is that the Union Government must take courage in both hands and decide to solve the dispute in such a way that it will be an example for solving similar other disputes all over India. It is no use giving an *ad hoc* solution, because what we want is that there should be justice, and justice can be said to be there only when that particular formula can be made applicable all over India. Therefore, the present Ministry's attempts at putting off the solution every time are very bad. All that I can say is that the Maharashtra-Mysore dispute which has exercised the minds of persons from both Maharashtra and Mysore should be resolved at an early date and should be resolved along lines which will be laying down sane and sound principles of administration in resolving such disputes.

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : माननीय अध्यक्ष जी, हमारा देश गांवो का देश है। गांवों मे विधि और व्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है जिसके कारण शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है। गत चुनाव में जो हमारा कमजोर वर्ग था, विशेषकर हरिजन वर्ग उस पर अत्याचार किए गए, उनको मारा पीटा गया, उनके घर फूंके गए, उनपर गोलियां चलाई गई। हमने एलेक्शन कमीशन को तार दिए, भारत सरकार को भी तार दिए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई जबकि वहां पर रिपोर्ट लिखाई गई है। तो मेरा यह कहना है कि जब हमारी यह सोशलिस्ट स्टेट है, इसमें सभी को वोट देने का राइट मिला हुआ है, लोग वोट देते हैं लेकिन उनको अपंग कर दिया जाता है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। आप कानून के जरिये

[श्री चंद्रिका प्रसाद]

उन लोगों को कुछ सजा भी दे दी लेकिन हमारी जो सजा हो गई, हमारे जो हाथ पैर टूट गये और रोटी कमाने के लिए मोहताज हो गये तो उनकी तरफ भी भारत सरकार को और हमको सोचना चाहिए कि उनके सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है। उन लोगों को तो सख्त से सख्त सजा दी जाए और साथ-साथ उनकी जायदाद भी ले ली जाए तथा दूसरी तरफ जो लोग गोली से मारे गये हैं उनके परिवार को पेंशन दी जाए, जिनके खेत काटे गये हैं उनकी क्षतिपूर्ति की जाए और जिनके हाथ पैर तोड़ दिए गये हैं उनको भी पेंशन दी जाये। केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर यह नहीं होता है और इस तरह से हमले होते रहते हैं तो जो यह हमारी डिमोक्रेसी है उसकी बुनियाद हिल जाएगी और न तो यह पार्लमेंट रहेगी और न प्रान्तों में असेम्बलीज रहेंगी। इसलिए मैं कहूंगा कि जनतंत्र को बचाने के लिए गृह मंत्रालय को इस ओर सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए।

अध्यक्ष जी, हम धीरे धीरे यह महसूस कर रहे हैं कि हमारी जो चुनाव की प्रणाली है वह ठीक नहीं है, उसमें हमको आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हरिजनों के गांवों में आपको अलग से मतदान केन्द्र बनाने पड़ेंगे। अगर उनको वोट देने से रोका जा रहा है तो आपको मोबाइल मतदान केन्द्र बनाने पड़ेंगे ताकि वे अपने वोट देने के अधिकार का उपयोग कर सकें। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आप जनतंत्र की रक्षा नहीं कर पायेंगे। एलेक्शन कमीशन जो है वह स्टेट्स की जो मशीनरी है उसके द्वारा ही यहां दिल्ली में बैठकर अपना काम करता है। पिछले चुनाव में जो स्टेट्स हमारे खिलाफ थीं वह एलेक्शन कमीशन के आदेशों का पालन नहीं करती थीं। वहां की सरकारें चाहती थीं कि वहां के अधिकारी हम लोगों के खिलाफ काम करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब एलेक्शन हो तो वह सारा स्टाफ एलेक्शन कमीशन के डिस्पोजल पर रखा जाए और उसके बाद यदि वहां के अधिकारी एलेक्शन कमीशन के आदेशों का पालन न करें तो उनकी बैड एन्ट्री दी जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। उस समय उनको स्टेट के मातहत न समझा जाए बल्कि एलेक्शन कमीशन की मातहती में उनको काम करना चाहिए ताकि इस देश में फेयर एलेक्शन कराये जा सकें। अगर कहीं पर लोगों के ऊपर हमले किए जाते हैं और लोगों को वोट देने से रोका जाता है तो एलेक्शन कमीशन के मातहत पुलिस और सी० आर० पी० रहनी चाहिये जिससे कि उनकी रक्षा की जा सके। ये कुछ मोटी-मोटी बातें हैं जिनको कि मैं चुनाव आयोग के सम्बंध में कहना चाहता था।

अभी हमारे यू० पी० में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए। जिस घर में दस आदमियों के रहने की भी जगह नहीं है उस घर से 150 वोटर्स बढ़ा दिए गए। देहातों से लोगों को म्युनिसिपैलिटी के चुनावों में वोट डालने के लिए लाया गया। किराये पर औरतों को ला कर बोगस वोट डलवाये गए। अगर इस गुंडा-गर्दी को नहीं रोका गया तो कोई ईमानदार आदमी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा।

इस बार गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव हुआ। मैं समझता हूं हर गांव में रेडियो और टेलिविजन हो और हर पार्टी उसके माध्यम से अपना-अपना प्रचार करे और इस कन्वेसिंग को बन्द कर दिया जाए ताकि आज चुनाव जो इतने खर्चीले हो गए हैं उनको रोका जा सके।

आज हम गरीबी हटाने और समाजवाद लाने के लिए कृतसंकल्प हैं लेकिन आज जो हमारे यहां लालफीताशाही की मनोवृत्ति मौजूद है, जब तक वह रहेगी तब तक न तो समाज-वाद ही आएगा और न गरीबी ही मिटेगी।

गरीबी हटाने के लिए धन संचय करने की जरूरत है। सरकार और जनता मिलकर अधिक परिश्रम करेगी तो धन का संचय हो जायेगा। यह एक लम्बा मार्ग है लेकिन हमें विश्वास है कि गरीबी जरूर हटेगी और समाजवाद जरूर आयेगा। लेकिन हमारी पालिसीज को इम्प्लीमेंट करने वाले जो अधिकारी है वे जब तक समाजवाद में विश्वास नहीं करते हैं तब तक न तो यहाँ से गरीबी हटेगी और न समाजवाद आयेगा। आज 23 साल की आजादी के बाद भी अगर किसी किसान को तकावी लेनी हो तो वह लेखपाल से लेकर कलक्टर तक दौड़ता फिरे, दस दिन के लिए अपना काम बन्द करे और फिर सौ रुपये की जगह पर 50 रुपये लेकर अपने घर आये। जनता तो मालिक है और ये अधिकारी उसकी सेवा करने के लिए हैं। यदि आप इस बात को मानते हैं तो लेखपाल और तहसीलदार को स्वयं किसान के घर पर जाना चाहिये और जो कुछ भी उसे देना हो वह उसे देना चाहिए न कि बेचारे गरीब मजदूर और किसान कचहरियों में दौड़ते फिरें। अगर समाजवाद लाना है तो इस मशीनरी को ठीक करना होगा। आज एम० पी० की चिट्ठियों का एकनालेजमेंट तो आ जाता है लेकिन आम जनता को उसकी चिट्ठियों का एकनालेजमेंट भी नहीं मिलता। इस लिये हर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को समय-समय पर सर्कुलर जाना चाहिये कि चिट्ठयों का एकनालेजमेंट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि किसान मजदूरों की भी समाज में कुछ प्रतिष्ठा बढ़े तो अधिकारियों को स्वयं उनके घर पर जाना चाहिये। और अब तो बी० डी० ओ० भी कचहरी में ही अपना दफ्तर लगाने लगे हैं।... (**व्यवधान**)...

13.00 hrs.

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स पर बहस हो रही है, आप उसी पर बोलिये।

श्री चन्द्रिका प्रसाद : वही मैं कह रहा हूं कि किसानों के अन्दर अगर समाजवाद लाना है...

अध्यक्ष महोदय : इस में खास डिमान्ड्स जो हैं उन पर बोलिये।

श्री चन्द्रिका प्रसाद : जो मोटी बातें हैं वही मैं बतला रहा हूं। अगर मूल बात छूट जाएगी तो हम कहां रहेंगे। जब सरकार धन खर्च कर रही है तो हमको ऐसे काम भी करने चाहिए जिससे लोगों की गरीबी हट सके, जिस को हटाने के लिए हम कृत संकल्प हैं।

पोलिटिकल सफरर्स को नौकरी में कुछ छूट मिलती थी लेकिन वह छूट भी अब छीन ली गयी है। हालांकि सर्कुलर है कि फौजियों को जमीन दी जाय लेकिन होता यह है कि फौजी लोग जा करके लाइन लगाते हैं लेकिन उनको जमीन नहीं मिलती है। फिर आप ही बताइये कि ऐसे आदेश होम मिनिस्ट्री द्वारा निकाले जाने का क्या लाभ है। इन आदेशों का ईमानदारी के साथ पालन कराया जाना चाहिए।

इसी तरीके से जो लोगों को बुढ़ापे की या स्वतंत्रता सग्राम के सैनिकों को राज्य सरकारों द्वारा पेंशन दी जाती है वह आज कल के समय को देखते हुए कम है। कम से कम 100 रु० पेंशन होनी चाहिए जिससे आज की मंहगाई को देखते हुए लोग अपना जीवन यापन कर सकें। मगर स्टेट की सरकारें इतना खर्च वहन नहीं कर सकतीं तो केन्द्रीय सरकार को उनको सहायता देनी चाहिए। इसका प्रोवीजन इस डिमान्ड में होना चाहिए।

आज हिन्दी की उपेक्षा हो रही है। हम जितने सवाल करते हैं हिन्दी में करते हैं लेकिन उनका जवाब अंग्रेजी में दिया जाता है और कभी-कभी आप भी हुकम दे देते हैं कि हीयरिंग

[श्री चंद्रिका प्रसाद]

एपरेटस कान में लगा कर अनुवाद सुन लें आप को जवाब मालूम हो जायेगा। इस प्रकार जो भाषा हमारी राष्ट्रभाषा थी वह राजभाषा हो गयी और अब लिंक भाषा बन कर रह गई है। जनतंत्र में जनता का काम जनभाषा में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हिन्दी भाषी प्रदेश, जिन का कुर्बानियों का इतिहास रहा है वह आज पीछे पड़ते जा रहे हैं। हम तमिल, तेलगू भाषा का समान आदर करते हैं, इनका भी बलिदान का इतिहास रहा है, लेकिन जो लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे वह आज आगे आ रहे हैं और तमिल, तेलगू भाषा भाषी लोग आगे नही आ रहे हैं। आज दक्षिण प्रदेशों के लोग हिन्दी भाषा में आगे बढ़ रहे हैं जैसा कि अभी अखबार में निकला था। यह बड़ी खुशी की बात है कि 78 आदमियों ने परीक्षा दी जिसमें मद्रास के लोगों ने परीक्षा में ऊंचा स्थान पाया और बिहार के लोग पीछे रह गये। यह प्रसन्नता को बात है। लेकिन पोलिटिकल दबाव डाल कर हिन्दी भाषा को उस का उचित स्थान नहीं दिलाया जा रहा है। हालत यह है कि जो बहुमत में हिन्दी जानने वाले हैं वह बेकार घूम रहे हैं। उनको काम न दे कर अंग्रेजी जानने वालों को काम दिया जा रहा है। यह गलत बात है। गृह मन्त्रालय को इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप इस पर विचार नहीं करेंगे तो नतीजा यह होगा कि हिन्दी भाषी प्रदेश पीछे हो जायेंगे।

एक और बात मुझे कहनी है और वह यह कि केंद्रीय सरकार के कई फोर्सेज हैं, जैसे सी० आर० पी०, बी० एस० एफ०, इंडस्ट्रियल सेक्योरिटी फोर्स, इनका एक भी भर्ती का केन्द्र हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो हिन्दी जानने वाले लड़के बेकार घूम रहे हैं उनको इन फोर्सेज में ही भेज दिया जाय और भर्ती का एक सेंटर पूर्वी उत्तर प्रदेश में खुलवाया जाय।

वीकर सेक्शन आफ दी सोसायटी को सहायता देने का हम दावा करते हैं, लेकिन होता क्या है उसका एक उदाहरण मैं आप को देना चाहता हूं। हमारे बलिया जिले में सुरहा झील में 40 हजार लोगों की रोजी रोटी का सवाल 23 साल से लटका हुआ है। कई बार गोली बारी हुई लेकिन अभी तक मल्लाहों के हितों की रक्षा नहीं हो पाई है। मछली पकड़ने का काम उस झील में मल्लाह करते हैं, लेकिन जब पानी कम हो जाता है और जमीन निकल आती है तो वह जमीन मल्लाहों को न दे कर बाबू लोगों को दे दी जाती है। जब कि होना यह चाहिये कि जब मल्लाहों को मछली पकड़ने का अधिकार है, तो पानी सूखने पर झील के नीचे से जो जमीन निकली उस पर भी उन मल्लाहों को अधिकार मिलना चाहिये। इस मामले पर 23 साल से लड़ाई चल रही है लेकिन अभी तक इस मामले को हम तय नहीं कर सके है। सारी नदियों और तालाबों पर जहां मल्लाह काम करते हैं वहां अगर पानी कम होने से जमीन निकलती है तो उस जमीन के लिए गोली चलती है। सरकार को आर्डिनेंस निकाल कर पानी पर काम करने वालों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये।

इसी प्रकार प्रदेशों के बार्डर डिस्प्यूट्स के मामले लटके हुए हैं। यू० पी० और बिहार के बोर्डर के झगड़े आज तक खत्म नहीं हुए हैं। हमारे ऊपर बराबर अत्याचार हो रहा है लेकिन वह मसला सुलझाया नहीं गया। पंतजी ने कहा था कि सुलझा रहे हैं लेकिन अभी तक सुलझ नहीं पाया है। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इन समस्याओं का समुचित समाधान शीघ्र निकालने की चेष्टा करें।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

DR. KAILAS (Bombay South) : While supporting the demands for grants for the

Ministry of Home Affairs, I would like to draw the pointed attention of the hon. Home Minister to certain things which need his urgent attention. The Home Ministry should effectively alert all its agencies to curb the activities of spies and saboteurs in certain parts of the country and the Government should use all its powers of Preventive Detention Act. In addition the Government should request the law Commission to examine the question of formulating a comprehensive law of treason and espionage. Though the existing law has proved effective but still it does not interefere with the activities of those persons who are openly saying that the 'Chinese Chairman is our Chairman' and who fly flags of foreign nations in our country. Books are published about which questions were asked at question hour only today ; those books are definitely against the security of this country. The hon. Minister while replying the question the morning said that the Government was thinking of taking action under the Official Secrets Act. According to my way of looking at things, the Government is not empowered to take action against such persons under the Official Secrets Act, or against the publishers who are publishing those books. Today at the meeting of the Congress party in the morning, the names of two papers were mentioned : a Bangalore weekly, Nasheman and a Patna paper, Sangam. They were writing pro-Pakistani articles and denounced the policy of the Government in respect of Bangla Desh in their papers. Under the Official Secrets Act as it is at present it seems the Government has not been able to take quick action. Those books were written by the Government officers who retired from Government service. I do not know why quick action is not being taken. Hence as I suggested earlier, hon. Home Minister must request the Law Commission to suggest an effective piece of legislation to take action against such people.

Large sums of foreign money are being utilised by political parties, by persons who stand in elections and persons who are carrying on research work.

I must congratulate the Government that a Council for Social Science Research has been established with a view to reduce dependence on foreign funds, but it seems Government will have to consider some proposals to enact a legislation to impose restrictions on the receipt and utilisation of such funds coming from foreign countries. Such legislation, in my opinion, should include positive provisions so that our parliamentary institutions, political organisations, academic and other voluntary organisations are able to function in a manner consistent with the values of a sovereign, democratic republic. This legislation should contain such clauses that especially the political parties, members of the legislature and the election candidates, must take the prior permission of the Government before accepting this assistance. I am saying this as I am couvinced that these large sums which are accepted or to be accepted by individuals or organisations are eroding the integrity of our country, and the functioning of the national institutions is also being eroded by foreign powers.

We hear of communal disturbances erupting off and on. May I request the Home Minister to request the Home Ministers of the different States and the Chief Ministers of the different States where such communal disturbances occur, that they must deal with such anti-national persons with a very heavy hand ? But I must warn that when the police is dealing with communal disturbances or such demonstrations by labour unions and others endangering the peace of the cities, tries to check them, the course which is adopted at present is firing which they should not do. In this country, we cannot tolerate this thing any more. Whatever and however much provocation may be there by the demonstrators or by those anti-national people, they should not kill but they should fire to disperse. There should be certain procedures laid down for the purpose. A force should be trained to control such anti-social elements or riots of communal nature or of labour agitation. In other countries. there is a police force which controls such crowds or riots without taking a single life. Why should we not develop that, and why should we not give compulsory training to such a police force which should be utilised always for curbing or stopping this communal disharmony and riots.

I know communal harmony cannot be brought about by police. It is the duty of all political parties to come to some understanding to create an atmosphere of communal harmony, which is a great national task. I cannot blame the Home Ministry alone. There are some interested communal parties or political parties which do certain

[Dr. Kailas]

things which inflame the psychology of some people leading to such occurrences.

I wish to draw the attention of the Home Minister to the question of brain drain. Being a medical man coming from Bombay, I know instances after instances of our intelligent medical men, engineers and scientists, who used to work in the Haffkine Institute, going abroad either in the name of further study or for getting experience or getting a job. I cannot defend them. I only remind them their first duty is towards the country and not to go abroad to earn money. I know certain steps have been taken by Government to create a scientific pool system and to create some supernumerary posts, but these methods have almost failed. We will have to find a solution to this problem. Those who have gone abroad may or may not come back, but in future we should see that our intelligent and talented scientists do not go abroad to settle down permanently there. A study group formed by the Home Ministry found out that between 1960 and 1967, about 20,000 engineers, 10,000 doctors and 8,000 scientists went abroad and very few came back. The Home Minister should kindly consider whether we can pay more to our doctors, engineers and scientists looking to their status and stature. I kown we cannot afford to pay them so much as they are earning abroad. But if they get Rs. 3000 abroad, we cannot expect them to receive Rs. 300 or 400 here. Let there be some understanding in Government of their status and stature in fixing their pay.

The question of privy purse and special privileges has been hanging fire for a long time. The Fourth Lok Sabha passed a Bill for their abolition but, unfortunately, that Bill could not get through in the Rajya Sabha by only one vote. Perhaps, it was a blessing in disguise for the country. Because of the losing by one vote in Rajya Sabha, the country has taken a positive turn towards socialism and a new image has been created in this country by the people due to the able and efficient leadership of Shrimati Indira Gandhi. May I request the Prime Minister that before this session comes to a close this peace of legislation should be brought forward, or at least an announcement should be made to that effect so that when we go back to our constituencies, we can say that we are going to fulfil what we have promised and that we are following the chosen path.

I am sorry to say that the police department is full of corruption, brutality and inefficiency, barring a few police officers and a few policemen. Though I am not accusing the whole rank and file of the police department, but the fact is that people are afraid of them. So, the people do not go to the police station to give assistance to the police in crimes happening in their presence. So, this question as a whole should be looked into. Today the policemen and police officers are getting low pay. Therefore, young and intelligent persons from respectable families and families of integrity do not come forward to join the police force. Let the Home Ministry make all efforts to see that respectability is given to the police department by some positive action to attract proper persons.

Further, I would say that Union is one of the popular languages of our country. May I suggest that the following things should be done, so far Urdu is concerned? (1) Facility should be provided to those children who wish to study Urdu. (2) Arrangements should be made for training of Urdu teachers at primary and secondary stage. (3) Facilities for instructions in Urdu should be there up to the postgraduate level. (4) Documents in Urdu should be accepted in all courts and this without the necessity of translation. (5) Petitions in Urdu should be accepted. (6) Important laws, rules and regulations and notifications should be issued in Urdu language where that language is prevalent. For this purpose areas may be notified. For doing all this. I suggest that a Urdu Board should be constituted.

Lastly, coming to defections, I would request the Home Minister that is the Prime Minister to kindly bring forward a legislation to put a stop to this as early as possible. Because, at a time when the image of the Congress Party and its leadership has gone so high, opposition parties accuse us of bribing people and instigating defection which I cannot tolerate. Not only this. It is necessary to keep our image the same or even take the image still further up. May I request that the Bill for Defections may kindly be brought in this Session alone. I thank you

very much for giving me little more time to speak.

MR. SPEAKER : Out of the list submitted by the Congress Party before Dr. Kailas, Shri M. C. Daga is still absent ; Shri Devinder Singh Garcha is still absent ; Shri B. K. Daschowdhury is still absent ; Shri Nathu Ram Ahirwar is still absent—Smt. Subhadra Joshi has come back now—so are Shri Darbara Singh and Mohinder Singh Gill. I think those gentlemen who send their names should be present in the House. After all we have dispensed with the lunch hour. It should apply to all.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO (Karimnagar) : Mr. Speaker, Sir, I rise to oppose the demands for grants because I have got my own reasons. As you know, this Telangana problem is there since 2½ years and everybody knows what had happened in Telangana in 1969. After that we have resorted to peaceful methods to solve this problem. But, unfortunately, this Government—particularly this Home Ministry—is not taking any interest to tackle this problem immediately.

13.27 hrs.

[**Mr. Deputy-Speaker** *in the Chair*]

Recently, on the invitiation extended by the hon'ble Prime Minister to Dr. Chenna Reddy he came here and he was very much serious to see that this problem is solved permanently. But, unfortunately, some of the Members on the Congress benches from Andhra Pradesh were not at all interested in tackling this problem. If they are really serious, if they want to solve this problem they must strengthen the hands of the Prime Minister. Instead they are weakening her hands and yesterday an hon'ble lady Member said that she wanted a categorical statement from the Prime Minister that the Prime Minister was not going to accept any demands for separate States. Why ? When she knows talks and negotiations are going on between the Central Government and the Praja Samiti why she should poke her nose unnecessarily. That means she is not interested because, Sir, I know, she is interested in getting berth in the Cabinet. It is not good. They must be very serious about this problem. They must strengthen the Central Government to tackle this problem. The reasons she adduced yesterday that if you are going to from separate Telengana then you will be opening a chapter for disintegration of the whole of India. When Meghalaya is granted Statehood ; when Himachal Pradesh is granted Statehood and when Haryana and Punjab are there why not Telangana. Fazal Ali Commission has come to the conclusion and submitted a report that it is economically a viable State and it should not have been merged in Andhra Pradesh in 1956. In view of this Report why is it undesirable to grant Statehood to Telengana. We are going abroad and stating so many things about Bangla Desh that the regional feelings are there. I want to assure one thing. Last time also I told categorically that we want separation from Aadhra Pradesh but we do not want to secede from India. It is not at all our object. We want to be in India. After all, we are a part and parcel of India. We are very happy about it. Some people seem to be under the impression that once it is granted statehood, something may happen. That is absolutely wrong. There should not be any doubt about it. Do not be under that impression.

Talks were going on. We all MPs from Telangana Praja Samiti were really very much anxious to see that this problem was tackled. I am very thankful to the Prime Minister that she has taken such steps in spite of opposition from the Andhra Pradesh Chief Minister and other leaders. We thought that again Dr. Chenna Reddy would be called here for further talks. But, unfortunately, he has not been invited here. It seems that this Government is not serious to settle this problem.

I request you not to put us in an embarrassing position. On the one hand, you say that we must be prepared for talks ; on the other, when we come here, you are not prepared for talks and you are not inviting Dr. Chenna Reddy. This way you are going to malign us before the people. That way you are not going to strengthen our hands. Then it will be very difficult for you to tackle this problem. Today Dr. Chenna Reddy is there ; tomorrow somebody else may come. I want to make it very clear, please be serious about this problem. I hope that the Prime Minister will take immediate steps to tackle this problem and for this purpose, I hope, the concerned parties, the Chief Minister and Dr. Chenna Rebdy, would be called here immediately.

SHRI N. TOMBI SINGH (Inner Manipur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I must at the outset express our thankfulness to the Prime Minister for her wisdom and also maturity in having taken a decision to grant statehood to Mani Pur and Tripura and to take abequate steps towards quick legislation in this behalf.

Today we are discussing the Demands of the Ministry of Home Affairs at a time in our history wnen the country is facing difficulties in and around her. Naturally, therefore. we are supposed and expected to pay the best of our attention when we make our observations and think of the steps that are likely to be taken in the course of the year.

I am supporting the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs. We have sung and are singing with the poet, "Home, home, sweet home ; there is no place like home." In making a home sweet there are a number of essential ingredients. Of all the essential elements, the maker of the home sweet, the agency which keeps the home sweet, itself does not have sweet problems. Naturally, therefore, in order to make the Home Affairs Ministry sweet to itself as well as to those who are having the protection of the home Ministry, there should be cooperation of a number of elements, and such co-operation should not mere imposition but should come out of self discipline. It should be willing and affectionate cooperation of all the agencies involved. It is here that the role of the police comes in the picture.

So many measures, pieces of legislation that are not welcomed by the other side of the House, and agencies like the police have come to stay because conditions in the country are not improving.

I belong to the eastern region of the country where there have been prolonged problems of law and order arising from different sources. Of all the problems, I would like to pinpoint one which has been long associated with the role played in our country by two of our neighbours, namely, Pakistan and China. As the House is aware, Pakistan has been trying to play such a destructive role in the eastern region of the country through its eastern sector which was only till recently known as East Bengal and now as Bangla Desh. Through its, eastern sector, Pakistan military junta has been trying to educate Indian boys, the youth of our country, from the Mizo Hills, Manipur, Nagaland and tribal areas of Assam and Tripura, to create hostility against our country. Even after what has happened in Bangla Desh, after we see all that has happened in Bangla Desh, we now discover and they also must have discovered that Pakistan military junta has been trying to create hostility among our own citizens without their being able to win over the hearts of the people. After what has happend in Bangla Desh, we shall be hoping for the best and preparing for the best. We do not know what will come out of the Bangla Desh episode. But let us hope the best will materialise under the able leadership of our Prime Minister. It will certainly affect the eastern region. Pakistan military junta should stop training our boys and girls in the use of arms and also financing them through different underhand organisations, encouraging movements over-ground as well as under-ground, to create hostility against our country. thereby trying to separate the eastern zone from our mother land.

Let me today confine to these problems of law and order in that part of the country. I have already made reference to Pakistan military junta trying to educate our youth. Even now, there are quite a number of our boys, a number of youths, from the Mizo Hills, Manipur, Nagaland and the tribal areas of Tripura and Assam in Bangla Desh behind the bars in our country for having tried to cross over the border or for having made such efforts to act against our own country. Now, in this regard, specially about those of them who have been arrested from Manipur, there is one very pertinent thing that it has been found, very satisfactorily and to some extent encouragingly also, that after all this has happened, some of them have changed their hearts and some of them have shown their willingness to change their policies. And they are now disillusioned and have expressed willingness to change their policy. This is indicative of further changes not only in Manipur but in Nagaland and other areas. So, now, I think it is the right time to take advantage of this situation and introduce measures as to change the mind of those who have been extremists and those who have been hostiles under the guidance and inspiration of China and Pakistan because change of heart can take place and we in the Congress Party under the prolonged leadership of Mahatma

Gandhi believe in the change of heart. So, this is the right time. The Home Ministry should through its so many agencies, through the mass media and information and broadcasting and even through the Police agency—I do not want to belittle the importance of the Police in this respect and they can certainly make their own contribution—introduce measures to improve the situation. The policy of the govt. towards these extremists must also change.

Having said this on the subject with your kind indulgence, I would like to point out the necessity of removing the regional disparity in the matter of services, through adequate measures. I am just pointing out this because whatever disparity either in the field of industries or in the field of education of Services that we find to-day, may not be noticeable to-day, but in due course of time, such disparities will come to the fore. If they are not taken notice of at the proper time and prevented timely, they will create serious danger to the whole country because regional disparities may create political and other problems. So, I would suggest tnat in respect of the Eastern Zone, specially in the tribal areas of Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya and the tribal areas of Assam adequate protection should be given in the matter of Services. This I am pleading with all the emphasis at my command and with a sense of justice. A boy born and brought up in Delhi city sitting for the same examination under the U. P. S. C. is on a higher footing than a boy from these tribal and backward areas. They have been brought up in different conditions. It will take a long time for this gap to vanish but for the present, this has to be recognised and some concession has to be meted out. In this regard, we know protections are there for the tribal people and also the Scheduled Castes. It is not enough. For instance, the valley of Manipur to which I belong, may be examined.

Except for my religion, and certain cultural background I do not know how do I differ from my friend in the Tribal area. But I do not know how it happened. We belong to Hindu religion. We do not enjoy any protection. It is regrettable to say that none of our boys and girls has come up in the IAS. Not a single boy has come up because we do not enjoy any protection. This must be considered. If there is and there must be, I believe, enough scope under the existing rules and laws in the Home Ministry to protect such group of people. We are not Scheduled Castes or Scheduled Tribes but we are very backward. For some reason of their cultural background and religious association, they have not been included in this. For these people there must be sufficient protection. With all emphasis at my command, I would like to request the Home Ministry to look into this and take appropriate steps.

Mr. Deputy Speaker, Sir, you have given me more time. In order to strengthen the Eastern Zone, I would like that there should be more and more of cultural integration.

After the Bangla Desh episode, we know that the cultural tie—the tie of blood and the tie of language—is the strongest tie and that the tie that comes through religion is only secondary.

If we are to strengthen the unity and the integrity of the country in the Eastern Zone, it can be done only through this cultural tie and it should not be through the majority culture being imposed upon the minority culture. It should be done through fruitful dialogue between these various groups and sympathetic understanding between the different communities. There is ample scope for that, if the Home Ministry could do some serious thinking on this and take up adequate steps.

Therefore, Mr. Deputy Speaker, I would suggest that attempts should be made to make the different cultural groups big or small, to mix together in that region to strengthen the integrity of the country.

With these words, I support the Home Ministry's Demands.

श्रीमती सुभद्रा जोशी (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्ट्री की डिमांड्स को सपोर्ट करते हुए मैं चन्द चीजों की तरफ होम मिनिस्टर का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। अभी जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में प्रामिजेज और वायदों की बात तो नहीं है फिर भी जो समाज का कमजोर हिस्सा है और जो अल्प संख्या में लोग हैं उनको सरकार से बहुत उम्मीदें हो गई हैं। कुछ जिक्र भी रहा इन चीजों का कि सरकार की इच्छा है कि जो अलग-अलग भेदभाव होते हैं चाहे वह नोकरियों

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

का मामला हो चाहे वह भाषा का हो, चाहे और कोई आर्थिक सवाल हों, उस भेदभाव को सरकार मिटाने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूं कि उस चीज को सरकार को फौरन अपने हाथ में लेना चाहिये और अभी भी काफी समय हो गया चुनाव हुए, इस के पहले कि लोगों की निराशा और मायूसी हमारे सामने आए, मैं सोचती हूं कि सरकार को इसके लिए मुनासिब कदम उठाने चाहिए। जैसा अभी हमारे एक साथी ने कहा कि भाषा का जहां तक सवाल है उर्दू के लिए भी खास ध्यान देना चाहिये। यह मैं नहीं मानती कि उर्दू किसी खास अल्पसंख्यक की या किसी खास कम्युनिटी की भाषा है बल्कि एक आवश्यक भाषा है और ऐसा महसूस किया जा रहा है कि सरकार की सहायता न होने के कारण या सरकार की लापरवाही होने के कारण या लोगों का उर्दू के प्रति अधिक रुझान, उसका अधिक व्यवहार न होने के कारण आज वह खत्म हो रही है। तो मैं भी अपने साथियों की इस राय का अनुमोदन करूंगी कि अगर उस पर ध्यान देने के लिये कोई बोर्ड बना दिया जाय तो लोगों के दिल में इसके प्रति काफी विश्वास हम फिर पैदा कर सकते हैं कि हम देश को सारी भाषाओं पर बराबर तवज्जह देना चाहते हैं।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के आने के 20 साल के दौरान और आज के दिन भी देश के कोने कोने में हरिजनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, मैं समझती हूं, वह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है। अभी हमारे एक साथी ने बतलाया कि चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान किस तरह से हरिजन लोगों को मारा गया, किस तरह से पीटा गया, और किस तरह से डराया गया। जम्हूरियत में किसी को इस तरह से अपने मत का प्रयोग करने की इजाजत न रहे, तो वह जम्हूरियत का मजाक-सा हो जाता है। इस पर भी सरकार को काफी तवज्जह देने की जरूरत है और फौरन देनी चाहिये।

अब एक खास बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं—देश में इन्टीग्रेशन का जहां तक सम्बन्ध है, उस पर कुछ वर्षों से सरकार काफी ध्यान दे रही है। हम सब के दिमागों में नेशनल इंट्रीग्रेशन का सवाल बहुत जोरों से है और हम सब उसके लिये कोशिश करना चाहते हैं। कुछ साल पहले बहुत धूम-धाम से एक नेशनल इंट्रीग्रेशन कोंसिल बनाई गई थी। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जितना समय और जितना पैसा उस काम के लिए खर्च किया गया, उतना अच्छा परिणाम या उस प्रपोर्शन में काम हम शायद नहीं कर पाये हैं। कम्यूलिज्म या फिरकापरस्ती के सवाल को समझने के लिए होम मिनिस्ट्री ने कुछ स्टडीज चालू की थीं, जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है कि कुछ चीजों को पढ़ने की और उनका अध्ययन करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मेरा ऐसा ख्याल है कि इस समस्या की स्टडी ठीक तरह से नहीं की जा रही है। मिसाल के तौर पर जब फिसाद की स्टडी की गई और होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई तो ऐसा मालूम हुआ कि होम मिनिस्ट्री इस सवाल को सिर्फ ला-एण्ड-आर्डर का सवाल समझती हैं। उन सवालों के पीछे जो कम्यूनल-पोलिटिक्स है, उस पर—ऐसा मालूम होता है—होम मिनिस्ट्री का ध्यान नहीं गया है। क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसे फिसाद हुआ—किसी ने होली का रंग डाल दिया, किसी ने किसी को छेड़ दिया, कोई अफवाह फैल गयी—लेकिन इनके पीछे कौन से कारण हैं, इन की तरफ होम मिनिस्ट्री की तवज्जा नहीं हैं और यही कारण है कि रिपोर्ट आने के बाद होम मिनिस्टर साहब को बार-बार इस हाउस में सफाई देनी पड़ी, समझना पड़ा और यह कहना पड़ा कि यह जो रिपोर्ट है यह सिर्फ इवेंट्स का कलैक्शन है, उसके पीछे क्या कारण है वह पूरी तरह से नहीं हैं।

मेरा ऐसा कहना है कि इस किस्म की रिपोर्टों में जिन में इस समस्या को सिर्फ ला-एण्ड-आर्डर की समस्या समझा जाय, सिर्फ इवेंट्स का वर्णन किया जाय, उससे इंटीग्रेशन नहीं बढ़ता है, बल्कि उमसे गलतफहमी फैलती है। इस किस्म की अब-कब्वरा रिपोर्टें इंटीग्रेशन नहीं फैलती हैं, बल्कि उस को कम करती हैं। इसलिये इस किस्म की रिपोर्टों को छापना कहां तक मुनासिब है, इस पर होम मिनिस्ट्री को खास ध्यान देना चाहिये।

रिपोर्ट में ऐसा भी देखा गया है कि होम मिनिस्ट्री ने कई चीजों का अध्ययन करने की कोशिश की है, उस में अखबारों को भी स्टडी करने की बात है, उसके लिये प्रोजेक्ट बनाया गया है, लेकिन वह प्रोजेक्ट ऐसा बनता है कि जिस दिन से वह प्रोजेक्ट शुरू होगा, उस दिन के बाद अखबारों में जो छपेगा, उसमें क्या कम्यूनल होगा, उसको होम मिनिस्ट्री स्टडी करेगी। मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर इस तरह से समाचार-पत्रों का अध्ययन किया जाएगा, जिसका किसी घटना से सम्बन्ध न हो, तो वह एक एकेडेमिक सवाल बन कर रह जायगा, इंटीग्रेशन के मामले में कोई फायदा देने वाली बात नही होगी। मतलब यह है कि जब इस किस्म की फिरकेदाराना घटना किसी शहर या सूबे में होती है, उसके पहले अखबार क्या कर रहे थे, क्या लिख रहे थे, उसमें क्या कम्यूनल था, अगर उस चीज की स्टडी की जाय, तब वह इन्टीग्रेशन के ज्यादा काम आयेगी, इवेंट्स को अलग करके अगर अखबारों की स्टडी की जायेगी, तब तो वह एकेडेमिक स्टडी ही रह जायगी, उसका कोई फायदा नही होता है।

जो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन काउन्सिल के बने उससे ऐसा भी मालूम होता है कि होम मिनिस्ट्री का रुझान ऐसा मालूम होता है कि इंटीग्रेशन के मामले को समझने के लिए या कम्यूनल मामलों को समझने के लिये शायद मुस्लिम माइण्ड को स्टडी करना ही ज्यादा आवश्यक है। मुस्लिम माइण्ड को स्टडी किया जाय, इसमें कोई नामुनासिब बात नहीं है, लेकिन फिरकापरस्ती के सवाल को या इन्टीग्रेशन के सवाल को किसी एक कम्यूनिटी के साथ जोड़ देना मुनासिब नहीं है। कम्यूनल लोग हर कम्यूनिटी में हो सकते हैं, हर बिरादरी में हो सकते हैं, देश के हर कोने में हो सकते हैं, इस लिये मुस्लिम माइण्ड को स्टडी करने के साथ-साथ सोसायटी में जो दूसरे सैक्शन्ज हैं, कम्यूनल माइण्ड है, फिरकापरस्त दिमाग हैं, दिल है, उनका अध्ययन भी होम मिनिस्ट्री को करना चाहिए और उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस मामले में होम मिनिस्ट्री के दिमाग में अभी तक कन्फ्यूजन है। जब इन्टीग्रेशन कान्सिल की मिटिंग होती है तो वहा पर बहुत अच्छे विचार रखे जाते है, बहुत अच्छी बहसें होती है, लेकिन जब काम का प्रोग्राम बनता है, तो वह इम्प्लीमेंट नही हो पाता। इस की वजह क्या है? इस की वजह यह है कि इस कान्सिल में ऐसे तत्वों को जगह दी गई है जिन के इन्टीग्रेशन के बारे में बिल्कुल अलग विचार है और ज्यादा तर लोगों के साथ उनके विचार नहीं मिलते है, मसलन जनसंघ के लोगों की राष्ट्रीयता के बारे में, देश प्रेम के बारे में, सिटिजन्ज के बारे में, नेशन के बारे में, जो भी परिभाषा है, वह दूसरे लोगों से भिन्न ही नहीं, बल्कि *बिल्कुल उलट है। चूंकि होम मिनिस्ट्री के* अपने दिमाग में इस के बारे में कन्फयूजन है इस लिए ऐसे लोग कान्सिल में आते हैं और वह काम आगे नहीं बढ़ पाता है, बल्कि उससे ज्यादा कन्फयूजन होता है और कोई भी चीज साफ नहीं हो पाती। आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि जैसे इस हाउस में चार-पांच परसेंट लोगों को वीटो पावर दे दी गई है, वे चाहें तो काम हो, न चाहें तो काम न हो इन कारणों से इन्टीग्रेशन कान्सिल का काम आगे नहीं बढ़ पाता है।

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

अब सवाल यह है कि जम्हूरियत में इस किस्म की कान्सिलें किस तरह से काम कर सकती हैं। यह ठीक है कि सैक्रेटेरियट में बैठे हुए साहब लोगों के लिए यह रिसर्च का विषय हो, लेकिन इससे देश में इंटीग्रेशन लाने के लिये बहुत काम नहीं हो पाता है, क्योंकि फिरकापरस्ती और फिरकेवाराना जमायतों के बारे में होम मिनिस्ट्री का दिमाग क्लिग्रर नहीं है। मिसाल के तौर पर राष्ट्रीय स्वयं संघ को ले लीजिये, जिस के बारे में हिन्दुस्तान के अन्दर और हिन्दुस्तान के बाहर के बड़े-बड़े विद्वान लोगों ने माना है कि उनकी विचारधारा कम्यूनल है, उनका जो संगठन है वह फासिस्ट है। श्री क्रेग बैक्स्टर ने अपनी पुस्तक "जनसंघ ए पोलिटीकल बायोग्राफी" की भूमिका में लिखा है कि उनका सम्बन्ध जनसंघ और आर० एस० एस० के बहुत से नेताओं के साथ नजदीक का रहा है। उन्होंने लिखा है :

RSS is the ideological and organisational ancestor of the Jan Sangh.

गांधी जी ने भी कहा था कि आर० एस० एस० टोटेलिटेरियन आर्गेनिजेशन है, उस का आउटलुक कम्यूनल है। लेकिन होम मिनिस्ट्री अब तक इस बात में साफ नही है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कम्यूनल है या नहीं है। उसी का कारण है, उपाध्यक्ष महोदय, आज तक इस कंफ्यूजन की वजह से हमारे सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मेम्बर बन सकते हैं। इस हाउस में बार-बार मैंने होम मिनिस्ट्री की तवज्जह दिलाई है कि सरकारी कर्मचारी किसी भी सियासी जमायत के मेम्बर नहीं बन सकते, कांग्रेस के नहीं बन सकते, कम्यूनिस्ट पार्टी के नहीं बन सकते, सोशलिस्ट पार्टीज के नहीं बन सकते, जनसंघ के नही बन सकते, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मेम्बर बन सकते हैं, इसकी वजह यह है कि होम मिनिस्ट्री का दिमाग इस मामले में साफ नहीं है।

इसकी एक वजह यह भी है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो देश में सैक्यूलर पालिसी को चलाना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी शिक्षा गांधी जी और नेहरू जी के चरणों में हुई है, लेकिन हमारे सरकारी दफ्तरों में जो लोग काम करते है, जो बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो पालिसीज को लागू करते हैं, उनकी विचारधारा दूसरी है, उनकी शिक्षा दूसरे माहौल में हुई है। मैं मिनिस्टर साहब को ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जो सर्कुलर इस बारे में उनकी मिनिस्ट्री ने निकाला, उस सर्कुलर में कुछ कमी रह गई, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का खुद का दिमाग इस बारे में साफ नहीं है। अगर साफ हो तो उस सर्कुलर में जो कानूनी कमी रह गई है, उस कानूनी कमी को फौरन दूर कर देना चाहिए, तब ही उस दिशा मे कुछ काम हो सकता है।

14.00 hrs.

एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि होम मिनिस्ट्री ने प्रीवी पर्सेज का खात्मा करने के लिए एक आर्डर निकाला। लेकिन डीरिकग्निशन की खबर हफ्तों तक स्टेट्स में नही पहुंची। एक चीफ मिनिस्टर से बार बार असेम्बली में और बाहर भी सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि अभी आया नही है। मैं जानना चाहती हूं यह कैसे हुआ? डीरिकग्निशन का क्या मतलब है, क्या उसकी परिभाषा नहीं की गई, या लिखा नहीं गया या स्टेट्स में भेजा नहीं गया या उसे रिकार्ड पर चढ़ाकर चीफ मिनिस्टर के सामने रखा नहीं गया? आखिर जो इंस्ट्रक्शन्स होम मिनिस्ट्री देती है वह भी स्टेट्स में नहीं पहुंचते हैं उसका क्या कारण है? मैं चाहती हूं होम मिनिस्टर इस किस्म की बातों पर ध्यान रखें।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि दिल्ली में जो पुलिस का शासन है उस पर से दिल्ली के लोगों का विश्वास उठता जा रहा

है। कितने ही कत्ल के केसेज हुए लेकिन जब तक सी० बी० आई० उनकी इंक्वायरी नहीं करती है तब तक कत्ल का मुकदमा भी नहीं बनता है। मीना टंडन का केस हमारे सामने है। इसी तरह से किशनगंज के केस बल्कि हर केस में सेंटर से इंक्वायरी करने के लिए कहा जाता है और इंक्वायरी के बाद कत्ल का केस सामने आता है नहीं तो उसको दबा दिया जाता है। दिल्ली की पुलिस रिक्शे वाले, टैक्सी वाले या खोंचे वाले को पकड़ने में लगी रहती है और बन्द करती रहती है लेकिन जो असल में पब्लिक मे भरोसा पैदा करने की बात है वह नहीं करती है। यह बात सही है कि पुलिस की अपनी तकलीफे हैं, उनकी तनख्वाहें कम हैं, उनके पास वर्दियां नही हैं और उनको समाज का आवश्यक अंग समझा नही जाता है। जब सरकार उनको समाज का आवश्यक अंग नही समझेगी तो वे अपना फर्ज भी अच्छी तरह से पूरा नही कर पायेगे और जनता भी उनको आदर की निगाह से नही देखती है मुझे उम्मीद है कि होम मिनिस्ट्री इन बातो पर उचित ध्यान देगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Biren Dutta. Three minutes.

SHRI BIREN DUTTA (Tripura West) : While I rise to participate in this debate, I associate myself with the views expressed by Shri Saroj Mukerjee yesterday. You will understand the correctness of his statements if you go through the figures contained in the Ministry's Report for the year 1970-71.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : I want to raise a pertinent question. The Home Ministry's Demands are being discussed here, but there is no Minister representing the Home Ministry. There may be Ministers representing Parliamentary Affairs or Finance Ministry, but not representing the Home Ministry.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has just gone out for half a minute.

SHRI SEZHIYAN : There are three Ministers. Not one of them is here.

SHRI BIREN DUTTA : There you will find that the Minister has at his disposal a colossal army of 55 battalions of C.R.P., 7 battalions of Industrial Security force, three contingents of Assam Rifles and 6,02,767 Home Guards in all the States of India. At the same time, his counterparts in all the States have strengthened the police and armed constabulary in each State. That is why the police budget has risen from Rs. 3 crores in 1950-51 to Rs. 77 crores in 1970-71. But with what effect ? With the growth of these forces the communal riots have increased. In 1969 according to this report there were 519 incidents of communal riots and in 1970 there were 521 incidents. It has spread over Maharashtra, Bihar, West Bengal, U.P., M.P. and Assam. In this report again you will find violent activities have also spread to Assam, Andhra Pradesh, Kerala. U.P., Punjab, Tripura ; the situation in West Bengal and Bihar is causing anxiety. May I ask the hon. Home Minister why he is demanding such colossal money ? Is it to bring about these riots more and more, violent activities more and more ? He is not keen on ending the Privy Purse. He is not interested in curbing the activities of foreign and native exploiters of our people. He is employing the CRP and the industrial security force, even military against the workers in Tripura. He has deployed CRP in my State of Tripura. I shall mention only one instance. The workers of the State press numbering about 153 went on a strike with the simple demand that their pay scales should be revised and increments should be given properly. Then the CRP was employed in 1969 and still that press is protected by the CRP. The secretary of that union has been suspended from that period. Eleven Government employees had been arrested by the CRP and beaten inside the employees' union's office. A few thousands of employees had been given show cause notice. In this way these forces are used by the Home Ministry. He has not given us the promised statehood ; he has not given us any assurance that there will be regional council for tribal areas. He has not accepted the unanimous resolution of the Tripura State legislative Assembly to exempt $2\frac{1}{2}$ acre holdings from tax even though his partyman is the Chief Minister

[Shri Biren Dutta]

there. All the good proposals are turned down by the Home Ministry.

Tripura has only 17 lakhs of people. Now 10 lakhs of refugees have entered that State. All the roads have been occupied by them and there is no place even to stand. Nobody is to look after them. The camps provide accommodation only to five lakhs of people and all the rest are left without any food and shelter. The Home Minister brought yesterday the West Bengal Security Act, to arrest people who are protesting against these things. I want to draw the attention of the Home Minister, Prime Minister and the Education Minister to one thing. They went to Agartala. He found that our people had been killed by the bullets of Pakistan Army. The Prime Minister saw that with her own eyes. They have not even given a statement in the Press that people were killed. What is the position in Tripura and how are things developing in that State ? You should not suppress us by these police and military forces ? Many people have tried to do so many times in the history and you are also trying. You bluffed the people by saying that you were bringing in socialism. But you have practically showed your intention by these provisions in the budget.

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): Mr. Deputy-Speaker, Sir, what has been said yesterday also by some hon. Members from West Bengal has been repeated today by the hon. Member who spoke just before me ; the same thing is being repeated by those friends who are encouraging violence. Wherever these is any *golmal*, wherever there are groups operating against the law, political or something like that, the Government has to take action. For instance, instances have been quoted from Andhra Pradesh. When the people are being encouraged to occupy some lands unauthorisedly, as in West Bengal, what is to be done ? When there is a law, the law has to be administered and order has to be maintained ; the law has to be maintained as passed by the the Assemblies, and the Assembly members, Ministers and the Government are only there to maintain the laws which are passed by the Parliament and the Assemblies. But these parties, particularly the communist—left or right—wanted to take advantage of the innocence of the people in rural areas. Now, they have started in the tribal areas. They have failed in the rural areas and have now started their activities in the tribal areas. The Government are taking proper action not against the innocent Harijans or Girijans there but against the violent methods of the people who are being encouraged by these parties. To suppose that violence, the Government are taking action in different States.

In Andhra Pradesh also, unless our Government has taken those steps against violence, they would have created one more field for violence, as in the West Bengal. When the communist party was in the government in West Bengal, they indulged in all these things, and when the Naxalites came on the scene, it became difficult for them. They began to expose the Naxalites or something like that The point is, wherever there is violence, it should be crushed by all means. It should not be tolerated or encouraged. That is the policy of the Government. And that policy has to be implemented, even though, fortunately or unfortunately, some other government may come in there. What happened in Kerala ? What are they doing ? Are they supporting non-violence or violence against the people there, which is being crushed by the other people ? Wherever any party government is there—communinst party or any other party—they must see that the people have a peaceful life according to law.

Now, mention was made that in 1950-51 the budget for the Home Ministry of the Government of India was only Rs. 3 crores or so, and that now it has come to Rs. 77 crores. It is so only on account of the atrocities encouraged by the communist party. Because of that, the Government have to spend more. Otherwise, if they were not encouraging violence for political reasons, there is no necessity to spend so much. There is no necessity to enhance our budget only for the sake of maintaining the police, etc. It is only to suppress the violent methods indulged in by some parties that it had to be increased.

Coming to my own State. Andhra Pradesh, some of our friends—Shri M. Satyanarayan Rao, and also Shrimati Lakshmikanthamma—mentioned several things. Several times we have agreed to do anything in a peaceful way which is in the interests of the country as a whole. It is not a question of merely going to an elec-

tion in the Panchayat board or to the Assembly, for deciding the issues of Telengana. We must see whether it is in the national interests, whether it is beneficial to the country as a whole. It is not a question of counting in the Assembly, or in Parliament, of any votes. It is not a question of any plebiscite in any one part of the country. The entire country has showed that there is integrity of the country, big and small States together. If they are suffering on any account, the regional committees are there. For example, there is the water dispute wherever there are rivers, the water should be used for the benefit of the country as a whole and not in a regional way or in a language way, whether it is Andhra, Kerala or Madras. Whatever scheme is beneficial to the country, it should be supported by all.

Now, they are saying that the development of Telengana has been neglected. There are several ex-ministers saying like this. But when they were in the Government, what did they do ? Dr. Chenna Reddy was Finance Minister and Mr. V. B. Raju was Planning Minister. We never objected to their taking steps to develop Telangana or other backward areas of Andhra Pradesh when they were in power. They did not do any thing at that time. Now they want to take political advantage of the innocence of the people. We have no objection to the development of not only Telengana but other backward areas also. My district of West Godavari is supposed to be a surplus district. But there only 3 taluks are developed and 5 taluks are not developed. We are going to develop it with the assistance of the Government of India and the State Government. So, wherever there is backwardness and there is necessity for regional development, we are not against any development anywhere. we are prepared to sacrifice for the development of Telengana. They are 10 members here and we are 29. If we join together, there will be 39 members here. Like a joint family, we will fight for the development of Telengana and other areas, because we want not only integration in the country, but integration in our region also.

They have constructed some buildings for the Police Academy Centre in Hyderabad. Now it seems they are contemplating to shift the Academy to Rajasthan or some other place. When the buildings have been constructed, why should they shift it ? I request that it may be allowed to remain in Hyderabad.

It was alleged here that in Andhra Pradesh, 541 people have been recently arrested by the Police Minister, Mr. Vengal Rao. It is false. I enquired and found that only 40 or 50 people have been arrested, because they occupied unathorisedly some other people's lands. In Andhra Pradesh, we have distributed about 10 lakh acres of wastelands to the poor people. No other State has done it. Last year also, somepeople encouraged the grabbing of others' lands forcibly. I want to point out that merely giving land to a poor man will be of no use. He must be given funds to cultivate it properly. For the last 30 years, in my village, without any violence, I have asked the people to cultivate about 200 acres of Government land. The harijans in my area have got one or two acres. But, then, they are exploited by other people. To avoid all this, whenever harijans are given some land by the government, simultaneously they should also be given some finance. Otherwise, because of their acute poverty they are likely to be exploited by the moneyed people. Now the Andhra Pradesh Government have decided that there will be no harijan families without land and no houses without light. But the Andhra Government do not have sufficent funds to implement this scheme.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : What about Kanchikacherla ?

SHRI K. SURYANARAYANA : That is a matter which has gone to court. That need not be discussed here. Here I may say that Shri Thimma Reddy, whose name was menteoned in that connection, his name is being recommended by the Harijan Sevak Sangh for appointment as their Secretary.

Lastly, I would again plead that there should be no question of coming to Delhi to settle the differences between Telegana and Andhra. Let us settle it amongst ourselves. Instead of coming to Delhi, or fighting against each other, let all of us, all the 39 of us, present a joint front before the Government of India and ask for more funds for Andhra Pradesh.

SARI P. K. DEO : Mr. Deputy-Speaker, Sir, as early as 1966 the Administrative Reforms Commission in its first report has recommended to government the establishment of an institution on the analogy of

[Shri P. K. Deo]

the Scandinavian Ombudsman, or the British Parliamentary Commissioner, to go into the grievances of the public and look into the various complaints which can be reported to Parliament. At the same time, they submitted a model Bill. All these years nothing has been done in this regard.

Then a Bill was introduced in this House. That Bill had a chequered career. In the last Lok Sabha, I introduced an indentical Bill and, inspite of the opposition of the Government, the motion for its circulation for eliciting public opinion was passed by the House. Public opinion came from all over the country and under the pressure of public opinion Government had to bring forward a Bill, which was referred to a Joint Committee. It emerged out of the Joint Committee in a much diluted form, which we did not like, but still we passed it and transmitted it to the Rajya Sabha. While the Bill was pending in the Rajya Sabha the Lok Sabha was dissolved and the Bill lapsed. So, I would respectfully submit that it is high time that government brought forward a Bill. where they will eliminate some of the lapses of the earlier Bill. The earlier Bill which we had passed had excluded the Prime Minister from the purview of the Bill. We do not want to make any discrimination between a Minister and the Prime Minister. Further, nobody including the Prime Minister could be Caesar's wife. So, all charges against the Ministers and the Prime Minister should come within the scope of this Bill.

Sir, after this Congress debacle in 1967, the institution of Governors raised a good deal of controversy. A special symposium was held under the auspices of the Indian Parliamentary Association and later this matter was referred to a panel of eminent jurists and the consensus was that some guideline has to be provided to the Governor.

Sir, the constitutional fiction that the Chief Minister holds office at the pleasure of the Governor has been construed to mean that the Governor has alsolute licence in the matter of hiring and firing the Chief Minister. Sir, when the *vox populi* has collided with the interests of the ruling party some perverse interpretation of the Constitution has resulted to our democratic character of the Constitution. So, it is high time that some guideline like the Instrument of Instruction which used to be in the 1935 Government of India Act or which was envisaged in the Constituent Assembly should be provided because this will save the Governor from the embarrassment of acquisition of partisan attitude. As you know the testing ground of the stability of the Ministry is the forum of the Assembly. The Governor should not arrogate to himself the powers of the Assembly and powers of judgment regarding the stability of a particular Ministry.

Coming to the Centre-State relationship, as you know, this country is a tapestry where the various fabrics of various cultures and customs have been interwoven to make it a beautiful whole and unity in diversity is the characteristic of the federal structure of the Constitution. So, for the uniform development of all the regions and to dispel the regional imbalance in development and non-interference in State autonomy there has been persistent demand day in and day out that the Centre-State relationship should be reviewed in the context of the present developments. The strength of the chain lies at the weakest link and I cannot understand why the inter-State Council has not taken a concrete shape as yet though there has been a provision under Article 263 of the Constitution. The Government has not taken any steps in this regard so far as the inter-State Council is concerned. I am grateful to Rajamannar who has highlighted this aspect. He has stated that :

> "Article 263 contains a provision for the setting up of an Inter-State Council by the President for generally dealing with all matters which are of common interest and for making recommendations for the better coordination of policy and action with respect to any subject. It is clear that the Constituient Assembly considered the setting up of an Inter-State Council as an important instrument of coordination between the Centre and the States. It is, therefore, a matter of great surprise that the Central Government should have ignored this article altogether. The Administrative Reforms Commission strongly recommended the setting up of such a Council. The Rajamannar Committee has recommended the immediate constitution of the Inter-State Council."

I congratulate again the Rajamannar Committee for the Report because Inter-

State Council functions quite differently. It cannot be replaced by the National Development Council because the National Development Council is over-loaded by Cabinet Ministers and by the Members of the Planning Commission and the Chief Ministers cannot pull much weight in the National Development Council.

We are getting reports of serious encroachment by Centre in the State autonomy day in and day out. The wrong economic policy in the shape of deficit financing and inflation and the wrong fiscal policies pursued by the Government at the Centre lead to rise in prices, lead to price spiral and it adversely affects the State autonomy. After every successive Budget there is a clamour for more dearness allowance for the State employees. The State Governments have nothing to say in the Central Budget but it adversely affects the economy of the States. So, all the aspects have to be studied and the Rajamannar Committee report has to be given effect to.

I take this opportunity to point out one aspect regarding the proposed legislation for restricting the flow of foreign money. As we all know, it has been vitiating the public life in this country. No purpose would be served by bringing forward legislation. It is no use to shut the stable after the horse run away from the stable. We demanded that the report on the acitivities of the China Bank should be released and the CBI report regarding the use of foreign money during the 1967 elections, which was conducted by the Home Ministry, should be made public. There should not be a secret about it. We would all like to know which are those parties which have taken recourse to money from foreign sources. This was not intentionally done in 1967 lest it should adversely affect the prospects of the 1971 elections. So, I would like to say that if the Government's intention is to curb such tendencies, no useful purpose would be served by putting a curb on foreign travel by MPs or journalists.

We know very well how newspapers are being patronised. I cite an example of the North Korean Embassy giving full-page advertisements to various papers. We know very well how Soviet literature is being printed in the *New Age* printing press to patronise a particular party. Lastly, the rupee payment trade, which has led to large rupee reserves in this country, is a source of corrupting Indian politics. So, I would like to have a categorical answer from the Government that they will take concrete steps in this regard and try to liquidate the rupee reserves of the foreign embassies in this country. They should also publish the report on the China Bank and the CBI report on the 1967 elections.

Lastly, I would like to say just one word. I speak in this regard as an individual, not on behalf of the Swatantra Party, because some people have spoken on the question of privy purses. We all want an honourable settlement and we all want that there should be a constructive dialogue in this regard.

In this connection I would like to quote a statement of Shri Fatehsinghrao Gaekwad. I would like that it go on record. It is a small statement. It says:

> "According to newspaper reports, the Government is considering a Bill to amend the Fundamental Rights to circumvent certain judicial interpretations of the Constitution. It is also reported that Government is thinking of resorting to this extreme step in order to deal with the constitutional guarantees relating to Rulers. If this be so, we think that no sacrifice by a citizen or a group of citizens would be too great to safeguard the Fundamental Rights of the generality of citizens. I have no hesitation in saying that the Rulers will rise to the occasion and play their part, as they have done before, in the wider interests of their fellow-countrymen, especially if it can save the Fundamental Rights from erosion. Nothing therefore should prevent the Government from taking up the issue with the Rulers for their willing concurrence in an amicable solution.
>
> Fundamental Rights belong to each and every citizen, whatever his place in society, high or low. Without them democracy cannot survive or have meaning. They are the one stable foundation for a progressive, developing society, an inviolable heritage of our young Republic. If the Rulers have in any way helped in establishing democracy in India, as was asserted in the Constituent Assembly and in Government's White Paper on the subject, it is still their obligation to continue to serve the cause

[Shri P. K. Deo]

of democracy and not to become a cause for its reduction."

श्री बेकारिया (जूनागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज हमारे देश में साम्प्रदायिक अशांति और नक्सलाइट मूवमेंट बढ़ती जा रही हैं। इसी लिए गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत होने वाला खर्च बढ़ गया है। देश में जो साम्प्रदायिक झगडे, रायट्स, होते है, जिनमें लोगों की जाने जाती हैं और उन की सम्पत्ति को क्षति पहुँचती है, उनको रोकने के लिए यह खर्च जरूरी है। मैं साम्प्रदायिक पार्टियों और साम्प्रदायिक अशाति उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों और दलो को कहना चाहता हूं कि वे अशांति फैलाने का प्रयत्न न करें। अगर देश में साम्प्रदायिक शाति बनी रहे और कोई झगड़ा-फसाद या रायट न हो, तो सी०आर०पी० और दूसरी पुलिस फोर्सिज पर, वायरलैस और दूसरे साधनो पर जो खर्च बढ़ता जा रहा है, वह खर्च हम बचा सकते है और इस तरह यह भाग कम हो सकती है। लेकिन अभी इस देश में वह स्थिति अभी नही आई है। देश में साम्प्रदायिक रायट्स बढ़ते जा रहे हैं।

अपने इलैक्शन मैनिफेस्टो मे हमने "गरीबी हटाओ" का नारा दिया था। हमने उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। नक्सलाइट्स का सवाल एक आर्थिक सवाल है। जब तक हम देश की आर्थिक कायापटल नही कर सकेंगे, तब तक नक्सलाइट मूवमेंट खत्म नही होने वाला है। हमको शिक्षित और अशिक्षित बेकारी की समस्या को हल करने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। इस बजट में उसके लिए व्यवस्था की गई है। अगर इस समस्या की तरफ पूरा ध्यान दिया गया, तो नक्सलाइट मूवमेंट में कुछ कमी होगी। लेकिन फिलहाल तो सामान्य जनता के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय के अन्तर्गत यह खर्च जरूरी है।

प्रयत्न करने से साम्प्रदायिक रायट्स और नक्सलाइट मूवमेट बन्द हो जायेंगे। तब इस खर्च को कम करने की बात ठीक हो सकती है। लेकिन जब तक साम्प्रदायिक रायट्स और नक्सलाइट मूवमेट जारी रहेंगे, तब तक तो यह खर्च बढता ही जायेगा। जो पार्टियां साम्प्रदायिक रायट्स कराती है और जो नक्सलाइट मूवमेट के पीछे है, जब तक वे यह बात नहीं समझेगी कि देश की आम जनता पर जो कर लगाया जाता है, उसी में से यह खर्च करना पड़ता है, तब तक साम्प्रदायिक राइट्स और नक्सलाइट मूवमेट का अन्त नही होगा। अगर साम्प्रदायिक रायट्स और नक्सलाइट मूवमेट का अन्त नही होगा, तो यह खर्च बढ़ता जायेगा और आम जनता पर ही उसका बोझ पड़ेगा। इसलिए मैं उन पार्टियो से जो साम्प्रदायिकता पर आधारित है और जो नक्सलाइट मूवमेट इस देश मे बढाने का प्रयत्न करती है उनसे बिनती करता हूं कि वह इसमे भाग न ले और ऐसी स्थिति बढाने वाले लोगों के साथ हाथ न बढ़ाए तो देश के लिए अच्छा होगा।

दूसरी बात यह है कि देश में हम ने इतनी इंटेलिजेंस आ चेज रखी है। फिर भी इस देश मे अभी-अभी कहा गया कि फोरन मनी आता रहता है और यह फारेन मनी इस देश में आज इस तरह फैला हुआ है कि कई राजनैतिक पार्टियां और कई राजनैतिक आदमियो को उस से खरीदा जा सकता है। यदि इन फारेन फंड्स को रोका नही जायेगा और यह फारेन फंड्स हमारी राजनैतिक गतिविधियां पर छा गया तो इस देश मे भी वही हाल होगा जैसे दूसरे देशों में डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। अगर ऐसा ही हाल रहा तो इस देश मे भी डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है। अगर यह फारेन फंड्स कायम रहेंगे तो इस देश में भी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी और यह देश साम्राज्यवादियों के हाथ में उनका एक एजेंट बन जाए

रह जायेगा। हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति न पैदा हो। इसलिए फारेन फंड्स को रोकने के लिए हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए चाहे वह किसी भी देश का हो।

दूसरा मेरा कहना यह है कि जो एक दूसरे राज्यों को बीच में अनेक सवाल हैं, बोर्डर के उनको लम्बा करते जाने से हमें वहां रिजर्व पुलिस भेजनी पड़ती है, सी० आर० पी० भेजनी पड़ती है और एक दूसरे राज्यों के बीच गोली-बारी करनी पड़ती है। इसलिए जो यह मसले हैं जैसे केरल और मैसूर, मैसूर और महाराष्ट्र के ऐसे सवालों को जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए क्यों यह जो सवाल है यह इस देश के एक राज्य की जनता और दूसरे राज्य की जनता के बीच कडुवापन पैदा करते हैं। इनको जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। ऐसे ही कई नदियों के पानी के झगड़े हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में नर्मदा का सवाल है। कई सालों से यह सवाल हमारे सामने पड़ा है। लेकिन उसका कोई हल नही आया। इस वजह से मध्य प्रदेश और गुजरात की प्रजा के बीच में जो कडुवापन आ गया है वह हमारे देश की एकता मे बाधक है। इसलिए यह जो सवाल है इनको जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। अगर यह जल्दी हल हो जाए तो इस देश की एकता में फायदा होगा।

दूसरा एक सवाल हमारे गुजरात का ही है। दादरा और नागर हवेली सेंट्रल स्टेट हैं। हम गुजरात के लोग चाहते हैं कि दादरा और नागर हवेली को गुजरात में मिला दिया जाय। दूसरे, जो दादरा और नागर हवेली के आदिवासी लोग हैं वह कितने सालों से अपनी जमीन को बोते हैं। उसके मालिकों की तरह वह उस जमीन में रहते हैं। लेकिन कई बार यहां कहा गया कि दादरा और नागर हवेली के आदिवासी लोगों को उस जमीन का मालिक बनाया जाय, लेकिन अभी तक यहां से वह सवाल हल नही हुआ है। मैं गृह मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि वह सवाल जल्दी से जल्दी हल किया जाए। यदि यह हल नहीं किया गया तो जो आदिवासी लोग हैं उनको गुमराह करने के लिए कई शक्तियां वहां काम कर रही हैं। नक्सलाइट लोग या लेफ्टिस्ट जो लोग हैं वह उनको गुमराह कर रहे हैं। यह नंगे और भूखे इंसान अगर कुछ बैठे तो उसका दोष इन भूखे और नंगे लोगों पर नही होगा, यह दोष हम पर आएंगा। इसलिए यह सवाल हमें तत्काल हल करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी हमरी राष्ट्रभाषा है। मगर जो दक्षिण के राज्य हैं जो नान-हिन्दी भाषी राज्य हैं वहां उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए पूरा ध्यान हम ने नही दिया है। इसलिए मेरी विनती है कि यदि हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानते हैं और हिन्दी को ही जब राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस देश के सामने रखना चाहते हैं तो यह जो नान-हिन्दी भाषी राज्य हैं उनमें जल्दी से जल्दी हिन्दी का प्रचार और प्रसार किया जाय।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि प्रिवी पर्स और प्रिविलेजेज जल्दी से जल्दी खत्म करने चाहियें। हमने अपने मैनिफेस्टो मे उनका वचन दिया है। इसलिए जल्दी से जल्दी कान्स्टीट्यूशन में सुधार करके प्रिवी पर्सेज और प्रिविलेजेज को खत्म करने की मैं मांग करता हूं।

श्री मंगरू उइके (मंडला) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गृह मंत्रालय के सामने देहाती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुछ बातें रखनी हैं विशेषतया आदिवासियों की। इस साल जो मर्दुमशुमारी हुई उस मर्दुमशुमारी में सात आठ गांवो की मर्दुमशुमारी का विश्लेषण हम ने किया। आदिवासियों को या हरिजनों को उन की जाति लिखने से ही वह आदिवासी या हरिजन माने जाते हैं, जाति अगर उन्होंने आदिवासी बताई और लिखने वाले ने उस को

[श्री मंगरु उइके]

आदिवासी के कालम में नही लिखा तो आदिवासियों की संख्या में वह नहीं आते हैं, तो इस तरीके से मैंने देखा कि लगभग बीस प्रतिशत जनसंख्या उन की दस बारह गांवों में कम मिली। उन गांवों की मर्दुमशुमारी को मैंने देखा। तो मैं विनती करता हूँ कि 1961 में जो हर एक जिले की मर्दुमशुमारी थी, उसमें उस जिले की अन्य जनता की संख्या में जितने प्रतिशत बढ़ती हुई है उतने ही प्रतिशत बढ़ती आदिवासियों की संख्या में भी होनी चाहिए। आदिवासियों की संख्या भी उसी प्रतिशत में बढ़नी चाहिये चाहे लिखने वालों ने कुछ भी लिखा हो। इस में एक दल विशेष का बड़ा भारी प्रचार रहा कि इन लोगों को जो जातियों के अनुसार आदिवासी और हरिजन लिखा जाता है वह न लिखा जाय। यह बडे जोरों का प्रचार रहा और इस कारण यह परिस्थिति उत्पन्न हुई।

14.48 hrs.

[**Dr. Saradish Roy** *in the Chair*]

दूसरी बात—इन सारे आदिवासियों का कोई धर्म नही होता है, माना नही जाता है कि कोई धर्म उनका होता है पर उनको हिन्दू धर्म के अन्दर लिखा जाता है। 1961 की मर्दुमशुमारी में मेरे मध्य प्रदेश मे 66 लाख आदिवासी थे। उन आदिवासियो का धर्म अलग ट्राइबल रेलीजन लिखना चाहिए था। लेकिन एक भी ट्राइबल रेलीजन में नही आया। सब जनसंख्या हिन्दू धर्म मे लिखी गई। होता क्या है हिन्दू धर्म में लिखने से कि जितनी भी हमारी अदालतें हैं वह हमारे आदिवासियों के विवाह, वारिसान और विवाह विच्छेद के जो मामले होते हैं उनका निर्णय हमारा जो विशेष रीतिरिवाज है उसके अनुसार न करके हिन्दू ला के अनुसार करती है जिससे हमारी मिल्कियतों का खिलाफ फैसला हो जाता है। हमारी मिल्कियतों का फैसला हमारे जो अलग सामाजिक कायदे हैं उनके अनुसार नहीं किया जाता। तो यह बड़ा भारी नुकसान होता है और इसके कारण आदिवासियों की इतनी जमीन हिन्दू ला के अनुसार निकल कर जा रही है कि एक जिले की एक तहसील की बात मैं बताता हूं—पिछले साल 725 आदिवासियों की जमीन इस कायदे के अनुसार निकल गई। एक तो यह बात है। दूसरी बात यह कि आदिवासियों के अन्दर हमारी जो जाति है गोंड जाति मध्य प्रदेश में यह 32 लाख लोग हैं और इन में से 27 लाख गोंडी बोली बोलते है। पर मर्दुमशुमारी में एक भी गोंडी बोली का नही दिखाया गया। हालांकि बोली लिखी जानी चाहिए। लेकिन इनकी बोली नही लिखी गई इस मर्दुमशुमारी में। इस तरीके से हमारी जो बोली है, हमारा जो समाज है उसको खत्म किया जा रहा है। हमारी जनसंख्या कम करने का एक प्रमुख कारण और भी है कि जनसख्या के अनुसार जो विधान सभा की या पार्लियामेंट की सीटें मिलती है या सर्विसेज के अन्दर संरक्षण प्राप्त होता है वह कम हो, यह खास उद्देश्य है हमारी जनसंख्या कम करने का।

दूसरी बात—आज इन का कई प्रकार से शोषण हो रहा है, गृह मन्त्रालय को इस तरफ ध्यान देना चाहिये, इसके लिए भारत सरकार की भी कुछ जवाबदेही है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हरिजन आदिवासियों के लिए केन्द्रीय सरकार में एक कमीशन होता है, जो हर साल अपनी रिपोर्ट प्रेजिडेन्ट को पेश करती है, उसके बाद वह रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने आती है और उस पर यहां चर्चा होती है। लेकिन 12 महीने से कोई कमिश्नर नहीं है और अभी तक एप्वाइन्ट नहीं किया गया है। मैं नही जानता कि इस वर्ष कमिश्नर की रिपोर्ट आयेगी या नहीं आयेगी। यह कमिश्नर इण्डिपेन्डेन्ट होता है, इण्डिपेन्डेन्ट ढग से, स्टेटों के दबाव में न आकर अपनी रिपोर्ट देता है, सही आदिवासी हरिजनों की तकलीफें बयान

करता है, लेकिन इधर 12 महीने से कोई कमिश्नर नहीं है । इस तरफ फौरन ध्यान देना चाहिये ।

पहले यह विभाग गृह मन्त्रालय के अन्दर होता था और गृह मन्त्रालय का स्टेटों के चीफ मिनिस्टरों पर प्रभाव होता था । वह हर मामलों को हल कराने की प्रभावी कोशिश करता था । लेकिन अब एक नया विभाग सोशल वेलफेअर खोल दिया गया है और इस विभाग में जो अधिकारी काम करते हैं, आम तौर पर वे राज्यों से आते हैं, इसलिए कोई भी रिपोर्ट अपने राज्य के खिलाफ लिखने से हिचकिचाते हैं ।

जहां जहां केन्द्र की तरफ से कोई काम शुरू होता है, जैसे बेलाडिला की खदानो में काम शुरू हुआ, वहां पर आदिवासी परिवार भी जा कर काम करते है । हमारे पास अभी रिपोर्ट आई है कि उन प्रोजेक्टस में जो लोग बाहर से आकर काम करते हैं, वे लोग आदिवासी युवतियों को अपने यहां मेड-सर्वेन्ट के तौर पर रख लेते हैं । उसके बाद उन लोगों ने उनके स्त्री के रूप में व्यवहार किया और सन्तान हो जाने के बाद उनको छोड़ दिया । इस तरह का व्यवहार 360 युवतियों के साथ हुआ है । अब वहां के कलैक्टर ने एक आर्डर निकाला है, एक एस० डी० ओ० को एप्वाइन्ट किया है, जो इस बात की देख-रेख करेगा कि बैलाडिला में काम करने वाले आदमी अगर आदिवासी युवतियों को मेड-सर्वेन्ट रखेंगे तो उस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये । केन्द्रीय सरकार को इस बात को देखना चाहिये । यह एक ही जगह नहीं होता है, जहां जहां आदिवासी इलाकों में नई फैक्ट्रियां बनती हैं, वहां वहां जो बाहर के लोग आते हैं वे आदिवासी युवतियों को इस तरह से नौकर रखते हैं और उन के भोलेपन का फायदा उठा कर इस तरह का व्यवहार करते हैं ।

तीसरी बात—जितना एक्सप्लायटेशन आज इन लोगों के साथ हो रहा है—मैं बहुत ज्यादा तो इस समय नहीं बता सकूंगा, लेकिन इतना जरूर बतला देना चाहता हूं कि जितना शोषण, जितनी लूट आज इन आदिवासियों की हो रही है, उतनी पहले कभी नहीं हुई । मैं 50 सालों से आदिवासियों के अन्दर काम कर रहा हूं । अभी 30 दिन तक मैंने आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया, अपनी कांस्टीचूएन्सी को छोड़ कर 200 मील दूर के जिलों में गया, डेढ़ दो लाख लोगों से सम्पर्क किया, कई जगह लोगों को रोते हुए पाया । इसका कारण सरकारी महकमें हैं, आदिवासी कल्याण महकमों की तरफ से हर जगह लूट मची हुई है । एक भाई ने अभी नक्सलाइट मूवमेंट का जिक्र किया, मैं यह नहीं कहता कि वह नक्सलाइट बनेंगे, मैं इस को नक्सलाइट नाम नहीं देता हूं, लेकिन जब इस तरह की लूट होती है, इस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है, तो उनके अन्दर भी इस तरह की बात पैदा हो सकती हैं, उनके अन्दर भी एक क्रान्ति पैदा हो सकती है, चाहे वह जमीन के लिए हो, जंगल की उपज के लिए हो या आदिवासी युवतियों के साथ व्यवहार को लेकर हो ।

अभी कुछ सालों से राज्य सरकारों ने अपनी शराब की नीति में परिवर्तन किया है, क्योंकि शराब से राज्यों को ज्यादा पैसा मिल सकता है । आज वहां पर जब शराब का ठेका नीलाम किया जाता है, तो वहां के अधिकारी कहते हैं कि यह 70 फीसदी आदिवासी इलाका है, इसलिए ज्यादा बोली बोलों । अगर कोई पांच हजार बोली बोले तो कहा जाता है कि यहां पर बिक्री ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा बोली लगाओ । मैं आपके सामने इस के आंकड़े रखना चाहता हूं—1960-61 में मध्य प्रदेश में शराब से 4,31,46,552 रुपये की आमदनी हुई थी, जब कि 1965-66 में 7,65,20,998 रुपये की आमदनी हुई । इसके एक ही साल बाद 1967-68 में 10,84,73,270 रुपये की आमदनी हुई । ऐसी बात नहीं है कि शराब की कीमत बढ़ने से ज्यादा आमदनी हुई है । मैं

[श्री मंगरू उइके]

आपको कन्जम्पशन की फिगर्स भी देना चाहता हूं—1960-61 में 50,25,545 लिटर्स शराब का कन्जम्पशन हुआ था, जबकि 1965-66 में 73,19,594 लिटर्स कन्ज्यूम हुई और 1967-68 में 80,42,159 लिटर्स कन्ज्यूम हुई। यह कन्जम्पशन क्यों बढ़ रहा है? इस का कारण यह है कि राज्य सरकार शराब से मनमाना पैसा कमाने के लिए ठेकेदारों की मदद करती है। आप सरगुजा, रायगढ़ जिले में जाएं तो हर गांव में चार-छः मकानों पर आप को सफेद झण्डे लगे हुए मिलेंगे, जिसका अर्थ यह है कि उन आदिवासियों ने शपथ ली है कि वे शराब नहीं पीयेंगे, लेकिन होता क्या है कि अगर किसी ऐसे आदमी के घर में शादी होती हैं जो शराब नहीं पीता है तो वहां का ठेकेदार पुलिस अफसरों को लेकर उसके घर पर जाता है और कहता है कि तुम्हारी जाति में शादी के मौके पर 100 रुपये की शराब जरूर ली जाती है, तुम लो या न लो, लेकिन 100 रुपया तुम को जरूर देना होगा। अगर वह नहीं लेता है और उसके पास पैसा नहीं होता है, तो उन लोगों ने एक कंगाल बैंक खोल रखा है, उससे 100 रुपये की रसीद लिखा लेते हैं और बाद में उस रसीद के आधार पर उसकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं।

मैं शराबबन्दी की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन लोगों ने मुझे बतलाया कि हम पीते हैं, लेकिन हर दिन नहीं। बाजार जाते हैं उस वक्त थोड़ा बहुत पी लेते है। जो पैसा नमक, कपड़ा, खरीद कर बच जाता है उससे पी लेते हैं, हमेशा नहीं पीते हैं। जब सरकार ने ठेकेदारों को इतनी इजाजत दे दी है कि एक एक गांव में जाकर दो तीन शराब के पीपे ले जाकर बैठ जाते हैं, घर घर में दो चार बोतले रख देते है और उसका पैसा उनको देना पड़ता है, चाहे पीयें या न पियें। इस तरह का व्यवहार आदिवासियों के साथ ठेकेदारों के द्वारा हो रहा है और पुलिस-एक्साइज वाले इस काम में उन को सहायता करते हैं। हमने कई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों से इस के बारे में बात की लेकिन वे कहते हैं कि हम क्या करें, सरकार के छोटे अफसर, पुलिस के लोग ठेकेदारों की जीपों में चलते हैं और कहते हैं कि हम किस किस से दुश्मनी मोल लें। अगर हम कुछ करते हैं तो हमने देखा है कि चुनाव के अन्दर यही ठेकेदार नेता बन कर दौड़ते हैं। इस तरह से हम कैसे आदिवासियों का कल्याण कर सकते हैं?

मैं गृह मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो पैसा केन्द्र सरकार की तरफ से आदिवासी कल्याण के लिए दिया जाता है उसका चार आना भी इन आदिवासियो के पास नहीं पहुंचता, उसका बारह आना तो आपके अफसरों के खीसे में चला जाता है, मैं इस बात को साबित कर सकता हूं। अफसरों को इस की कोई फिक्र नहीं है कि किस तरह से यह पैसा लूटा जा रहा है और आदिवासी अपढ भोले हैं इसी बजह से कोई अफसर पकड़ में नही आता है वर्ना पकड़ना कोई मुश्किल बात नही है इस लिये यह पैसा जो यहां से दिया जाता है आप उनको न दें लेकिन हमारे आदिवासियो की जो मिल्कियत है उसको कायम रखे और उनका जो दैनिक मजूरी इत्यादि का नाजायज तरीके से एक्स्प्लायटेशन होता है उसको अवश्य रोकें। इससे आदिवासी खुश रहेगा। वह अल्प-सन्तोषी है। इतने से ही वह सन्तुष्ट हो जायेगा। केन्द्र द्वारा करोड़ो रुपया देने पर भी उसका कोई खास लाभ नही हो रहा है।

आप ने आदिवासियो की बहुत सी कालोनीज बसाई है, मैं अपनी कास्टिटुएन्सी से 250 मील दूर सरगुजा जिले में उनकी कालोनीज को देखने गया, 31 कालोनीज में से सात को मैंने देखा शिफ्ट कल्टिवेशन वाले लोगों को वहां ला कर बसाया गया है, दो दो लाख रुपया प्रति कालोनी इस काम के लिए केन्द्र सरकार ने दिया लेकिन आज बीस साल के बाद उन की

हालत को जाकर देखिये, वहां कुछ भी नहीं है। न उनके पास जमीन की रसीदें हैं और न आदिवासी कल्याण कार्यों का उनका कोई फायदा होता है। मैं गृह मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि उनके लिए कमिशन मुकर्रर किया जायेगा। सरकार ऐसा कमिशन मुकर्रर करे ताकि वहां जाकर इन सारी बातों की जांच करे।

इन मांगों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और गृह मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

15.00 hrs.

SHRI BIRENDER SINGH RAO (Mahendragarh) : This is the most important Demand that we are discussing, because the Home Ministry is responsible for keeping law and order in the country, for maintaining the integrity of the country and providing security of life and property of the people. But during the period of our independence we have seen that the Home Ministry has not done its job. Ninety per cent of the ills of this country today can be laid at the door of the Ministry of Home Affairs. There is discontent all over. Violence is increasing. Whether it is a small thing or a big thing, the Home Ministry could have checked them, but we see today that there is a demand for separate States all over, communal forces are raising their heads and particularly because the party in power decided to enter into an alliance with one of the communal parties in the country, that is feeding someother communal forces and tendencics which are also rearing their ugly head. The Home Ministry has failed to check these tendencies.

Most of the troubles in India today are due to the fact that no principles, no rational criteria, have been kept in view in the most important matters in the country. The States Reorganisation Commission headed by Mr, Fazl Ali was appointed and it laid down that States in India should be re-organised on the basis of language, calture administrative convenience, economic viability and various other factors. And we saw in that Commission the report of a very able Member, Mr. K. M. Panikkar, who strongly advocated the division of the largest State in India, Uttar Pradesh, which had nearly nine crores of people. If we consider U. P. as a country, it will be the ninth largest country on earth in terms of population. and yet nothing has been done so far about those recommendations.

Although certain States have been created recently, no criterion was kept in view. It was only due to political pressure and such other considerations that motivated the Government to accept the demands. People were forced to put forward their demands violently and it resulted in bloodhsed. But I see no reason why a separate Vishal Haryana, which would be a bigger State than the present Haryana, should not be created, why the demand for a separate Telengana should not be accepted. why the aspirations of the people of Goa should not be respected if they want a separate State. If Nagaland could be created why not Vidarbha, why not a separate Bhojpuri ? This is the time when we should seriously consider all these matters. It is high time another States Reorganisation Commission was appointed. I for one would not mind if the whole country is divided into zones, if all the States created on the basis of language and culture are done away with. But we should stick to one principle.

Haryana has been the worst sufferer. I believe our Prime Minister today is perhaps the strongest Prime Minister in many ways this country has had but she has failed to do justice to Haryana. I do not know for what considerations. There was the Shah commission's report. But Haryana was always made a scapegoat. When they wanted the Government in Bengal or Punjab to be toppled, Haryana was chosen and its Government dissolved inspite of the fact that it had the backing of the majority in the Assembly. In the evening there would be West Bengal ; the next day there would be Punjab. If they want Mahajan's report should not be implemented, they first ignore the Shah Commission's report so that Mahajan Commission report is not pressed by people. There are territorial disputes between the States in the country ; there is dispute between Haryana and Punjab and Himachal has now come in though it had no right to claim the property of erstwhile Punjab ; a new factor, topography, was introduced ; because certain places are higher than the plains, they should go to H.P.

[Shri Birender Singh Rao]

Himachal, as the name signifies, should be kept confined to the Himalayas. What right does it have on the lands and towns created by the people of Haryana and Punjab such as Simla and Dalhousie. There is dispute between Mysore and Maharashtra, between Manipur and Assam, between M. P. and Gujarat. The Home Ministry has failed to resolve any of these disputes. The Prime Minister's award with regard to the dispute between Haryana and Punjab over Chandigarh has worsened matters. There was enough confusion which has now become worse confounded. It is no award at all; no criterion had been kept in view··· (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please conclude; your time is up.

SHRI BIRENDER SINGH RAO : The Treasury Benches have not taken this discussion seriously. Most of the time the Home Minister, who happens to be the Prime Minister also, and the Minister of State were not present in the House. You should take a new decision that at least on matters connected with the budget, the time should be divided, half and half, between the opposition and the Governmet benches so that we can give our opinion in the House. The country is really going to dogs. Corruption is rampant; Election Commission has been reduced to an ineffective machinery unable to conduct elections fairly. Governer's Office has been made ridiculous. Even under the nose of this Government in Delhi we know how corruption is going on even in the courts and judiciary; people are not getting justice. These things should impel the Government to bring Delhi into a State. Why should the people of Delhi not get their democratic rights? Why should they not have an Assembly. Delhi and Haryana should be merged. New Delhi can remain the capital like Washington D. C. and the area now under the New Delhi Municipal Committee can remain with the Government of India. Things like this should be seriously considered. There are people owing allegiance to foreign countries.

MR. CHAIRMAN : You better conclude you have already taken eleven minutes.

SHRI BIRENDER SINGH RAO : I have not even started; I have to speak about U. P.

Now, the Fazl Ali Commission report contained a dissenting note by Sardar K. M. Panikkar. The reason given is that a Vishal Haryana cannot be created because Uttar Pradesh cannot be divided, because Uttar Pradesh is the land of Rama and Krishna; that this land of Rama and Krishna cannot be divided (*Interruption*) Now, while advancing that argument, this land which was the land of Buddha, which was the land of Bhagwan Mahavir, has been divided. This was the land of Rama and Krishna also in 1947 when it was divided. The land of Guru Nanak, which is Punjab, was also divided.

Uttar Pradesh has provided the Prime Ministers so far. Uttar Pradesh has supplied the Home Ministers so far most of the time. Yet, they say that they would not part even with one Bhagwan; they want Rama and Krishna both with them. They would not be content. They want all this and Heaven too. This is too much.

MR. CHAIRMAN : There is no more time. You have taken much more time. Please finish.

SHRI BIRENDER SINGH RAO : With these few observations, I have got to stop because you are not allowing me. I cannot fight with you.

DR. MELKOTE (Hyderabad) : Mr. Chairman, Sir, the demand of this Ministry is a very important one. The Ministry has a comprehensive scope to deal with anybody in this country. But the time allotted to us is so meagre that to touch even one subject, one point, it is difficult. When problems like the minority communities, communal disturbances, law and order, internal security, crossing of the floor, Ompudsman, privy purses and privileges, river water disputes, prohibition, national language, etc., have got to be spoken about, you can understand what time one would like to take, These are all important points.

I would like to bring to your notice that after the first general election, this is the first year that the Treasury Benches have regained their strength and that was entirely due to the boldness, vision and statesmanship of the Prime Minister. From what she has been doing, one can very easily see that

she is a strong woman with concrete suggestions which have to be implemented. Therefore, people expect a good deal from her. To say *Garibi Hatao* is a very simple matter, but to implement it to the satisfaction of the people is not a small affair. In so implementing, all these points that I first mentioned, impinge one against the other, and therefore, it is not merely *Garibi Hatao* that is necessary but a kind of satisfaction to the whole country has got to be given, and this the Home Ministry alone can do and none else.

I was surprised to find in this report that has been presented to us, that possibly owing to reasons of economy, possibly to save the State Governments from the clutches of the Opposition benches, many things have not been said. The pages on Telengana and many other matters have not been given the necessary data which are expected. It is absolutely a drab affair.

There have been Members from Andhra Pradesh who have been crying hoarse and saying that "we do not mind improving the Telengana situation but the country's integrity should be maintained." Why only the integrity of Andhra Pradesh ? Why not there be a unitary type of Government so that every one could integrate ? So, it is not a question of Andhra Pradesh and Telengana. The question arises on account of the disparity that takes place in various parts of the country and so the disturbances arise. Where people's verdict is given in favour of a particular thing, democracy is sustained in this country because the Government tries to follow to the extent it can. But when particularly this Government comes out with the report two years after the Prime Minister mentioned here the eight-point programme for the relief in Telengana after the struggle there, what is it that we see ?

No details and facts whatsoever have been given. Why ? The only fact is that none of those things have been implemented. The implementation does not lie in the hands of the Central Government ; it lies with the State Government. If the State Government does not implement them, what kind of report can the Central Government give ? Therefore, if members from Andhra shed tears for the well-being of Telengana, it only means, just as gentleman's promises, promises should be held out here by the Prime Minister, to neglect Telengana altogether later.

I would only plead that Telengana problem is a very important one. Very delicate negotiations are going on. Of course, I want the economic prosperity and the well-being of the country, but at the same time, I cannot allow anybody to over-rule and to colonise in Telengana and exploit the Telengana people, as they have been doing all these years. This has been our contention and the Prime Minister knows it. Very delicate negotiations are going on. I only wish that the Chief Minister of Andhra Pradesh, the Andhra M.P's., the Telengana people, the Telengana M.P's. and the Prime Minister evolve a solution to the satisfaction of the Telengana people. The satisfaction of the Telengana people is the primary thing. M.P's. do not count for anything. We have told the Prime Minister : We will co-operate with you. Whatever decisions you take, if you feel they will satisfy the Telengana people, please put those decisions before them. If they are acceptable to the Telengana people, we shall not come in the way. What more promise can we give ? We do not want to say anything against anybody. The nation is facing on the one side the refugee problem from East Bengal and on the other, there are various other internal problems. There is the question of implementation of many of the promises that the Prime Minister is anxious to implement. I wish all strength to her and I hope and trust that in the coming few days, she will send for the Telengana people, sit with them, discuss the matter with the Andhra Chief Minister and the Andhra people and evolve a solution which will give peace to that part of the country. I do not want to say anything more. I only hope that the solution to the Telengana problem would be found very very early, as the people are getting very restless.

श्री मोहम्मद ताहिर (पूर्णिया) : जनाब चेयरमैन साहब, होम अफेयर्स के मुतअल्लिक बोलते हुए मुझे यह कहना पड़ता है कि होम डिपार्टमेंट या हमारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की हैसियत से या पार्टी की हैसियत से, जो कहती है उस पर अमल नहीं करती। कहीं तो अमल करती है, कहीं बिल्कुल भूल जाती है। जो

[श्री मोहम्मद ताहिर]

कहती हैं अगर उस पर अमल करें तो यह मुल्क कहीं से कहीं पहुँच जाय ।

होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मुलहज़ा हो। फरमाते हैं :

> "The communal situation in the country gives 'cause' for concern. *Government have, in consultation with* the State Governments, taken various legislative and administrative steps to deal with the situation."

मैं कहता हूं कि कौन सा लेजिस्लेटिव स्टैप या ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टैप आपने स्टेट्स में लिया है आज तक जिससे मालूम हो कि आपने कुछ किया है ? कोई लेजिस्लेटिव या ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टैप आप ने स्टेट्स में नहीं लिया कम्युनल सिचुएशन को ठीक करने के लिये । इस किस्म की बातें कहना, मुनासिब नहीं है ।

मैं आपको इलैकशन मैनिफेस्टो की याद दिलाना चाहता हूँ । मुझे अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यहां नहीं है । मैं चाहता हूँ मिस्टर मोहसिन साहब, डिप्टी मिनिस्टर उनको इसकी याद दिला दें । इलैकशन मैनिफैस्टो में एक चैप्टर माइनोरिटीज का है । इसमें कहा गया है :

> "In keeping with its past tradition, the Congress is pledged to protect the rights and interests of all minorities.
>
> The dark and evil forces of right reaction which masquerade in a variety of forms are intent upon destroying the very base of our democratic and socialist objectives. They are attempting to consolidate their position. They exploit some of the genuine grievances of the people and arouse the emotions of various sections by preaching religious fanaticism, racial supremacy and chauvinism. History records that fascist forces always emerge through such nefarious manoeuvres. The Congress is determined that this shall not happen in our country. And for this purpose, it will take effective measures in all fields, including education at all its stages."

जोरदार लफ्जों में आपने कहा है :

> "The Constitution lays down that the State and local authorities should provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups. It shall be our endeavour to implement this.
>
> Secularism is one of the basic tenets of our Constitution. In accordance with his constitutional imperative, the Congress will strive to ensure that all minorities have full freedom to establish, manage and run educational and other institutions."

इसी किस्म की बहुत सी बातें हैं । बाद में आपने यह फरमाया है :

> "The Congress, therefore, appeals to the people to return its candidates to the Lok Sabha and thus give it a clear mandate to :
>
> (i) continue the advance to socialism through democratic process and devise administrative system capable of speeding implementation;
>
> (ii) put down the forces of violence and disorder so that all our citizens can live in peace and harmony."

लोगों को यकीन था कि उनके लीडर्ज की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये जो वादे हुए हैं, इनको जरूर पूरा किया जाएगा । लेकिन मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि होम मिनिस्टरी की रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है । जो रिपोर्ट उसकी हमारे पास आई है, वह सिफर है, खाली है । इसके मुताल्लिक एक लफ्ज भी नहीं कहा गया है । कम्युनल डिसटरबेंसिस के बारे में हुआ यह है कि नैशनल इंटेग्रेशन काउंसिल बना दी गई है । मैं समझता हूँ कि वह सिफर है, कुछ नहीं कर रही है । आप देखें कि आपने 1968 में सिविल डिफेंस एक्ट पास करवाया था । क्या किसी स्टेट में इसको लागू भी किया गया है ? कम अज कम उसको लागू तो किया जाता । अगर उस पर अमल होता और उसको लागू

किया जाता तो मुमकिन है झगड़े फसाद न होते। लेकिन उसको लागू ही नहीं किया गया है।

होम मिनिस्टर जब पन्त जी थे तो उन्होंने उर्दू के बारे में एक सर्क्युलर भेजा था और उसमें यह कहा गया था कि इसको इसकी प्रापर प्लेस दी जाए। वह आपके दफ्तर में होगा और उसको आप देख सकते हैं। उसमें यह भी कहा गया था कि जहां जहां उर्दू रिजाइन लेंगुएज हो सकती है वहां-वहां इसको कोर्ट्स में इस्तेमाल किया जाय। हालांकि उर्दू के बारे में इलैकशन मैनिफैस्टो में भी सब कुछ दिया गया है लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया है और न ही इस रिपोर्ट में इसके बारे में कुछ कहा गया है। बजट डिमांड्ज को भी मैंने देख लिया लेकिन कहीं भी कोई उर्दू के लिए प्रोविजन नहीं किया गया है। डिमांड्ज भी बिल्कुल खाली हैं, साफ हैं। यह बहुत डेंजरस चीज है। माइनोरिटीज के बारे में, मुस्लिम्ज के साथ, क्रिस्चियंज के साथ, सिखों के साथ आपने जो कुछ वायदे किये थे उन वादों को पूरा करने का आपको तैहया कर लेना चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जिस तरह से उन्होंने अपनी जान पर खेल कर आप की मदद की हैं, क्या आप समझते हैं कि आगे भी वे ऐसा करेंगे ? माइनोरिटीज को यह समझ लेने का मौका आपको नहीं देना चाहिये कि गलत वायदे उसके साथ किये गये हैं या जो वादे किये गए है बे पूरे नहीं हो रहे हैं। वादे जो आपने किए हैं, उनको आपको पूरा करना चाहिये।

जहां तक कम्युनल डिसटरबेंसिस का ताल्लुक है, बजट स्पीच में इनके मुताल्लिक एक लफ्ज भी नहीं कहा गया है। हां, प्रेजीडेंट साहब का जो एड्रेस हुआ था उसमें इसका जिक्र जरूर किया गया था। मुझे खुशी है कि प्रेजीडेंट साहब ने इसका जिक्र किया। अपने ऐड्रस में उन्होंने कहा था :

"to achieve this my Government are firmly committed to implementing the economic and social transformation outlined in the mainfesto which has received such overwhelming support by the electroate."

फिर आगे चल कर वह कहते हैं :

"the persistence of communal tension in some parts of the country and occasional flaring up of violence constitute threat to our secular democracy and to the basic value of civilised life. The Government is determined to overcome this danger."

ये सब चीजें कही जाती हैं लेकिन कहीं भी हम इनके लिए प्रोविजन नहीं पाते हैं ताकि आप कुछ काम कर सकें।

अभी रेलवे बजट पर बहस हुई थी। मैंने एक चीज का जिक्र किया था। मैं उम्मीद करता था कि रेलवे मिनिस्टर उसका जवाब देंगे लेकिन उन्होंने नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर आ गई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वह सुन रही होंगी। जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंज हैं, देवबन में हैं, लखनऊ में हैं, अमरोहा में है, या दूसरी जगहों पर हैं, वहां के लड़कों को रेलवे के जरिये कंसैशन दिया जाता था। बजाय इसके कि और कुछ सहूलियतें दी जाती, नार्थ रेलवे के जनरल मैनेजर ने वह कंसैशन इन तमाम मदरसों को देना बन्द कर दिया है। इस कंसैशन को जारी रखा जाना चाहिए। इसको आपको रेस्टोर करना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि जनरल मैनेजर ने जो सर्क्युलर आर्डर इसके बारे में भेजा है उसको आप वापस लेंगे। जो कुछ मिल रहा था उसको भी आप छीन रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह छीनने का वक्त था।

मैं प्राइम मिनिस्टर साहिब से बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि इलैकशन मैनेफैस्टो में जो वादा किया गया है उसको वह पूरा करें। पूरा करने का इरादा और नीयत न हो तो खैर और अगर हो तो यह काम होना ही चाहिये। मैं यह भी कहूंगा कि आप माइनोरिटी कांउसिल कांस्टीट्यूट करें और उसकी सदारत आप करें, प्राइम मिनिस्टर उसकी चेयरमैन हो।

[श्री मोहम्मद ताहिर]

इसको कांस्टीट्यूट करना इसलिए जरूरी है कि कोई मशीनरी आपके पास नहीं है माइनोरिटीज की हिफाजत करने के लिए। आपके पास जो कुछ रिपोर्ट आती है वह वही आती है जो आफिस वाले तैयार कर के दे देते हैं। आप कोई मशीनरी बनाइये। बेहतर चीज तो यह होगी कि माइनोरिटी कांउसिल की आप तशकील करें और उसकी चेयरमैन आप खुद हों। उसके बाद जितने वादे किये गये है, वे उसके जरिये से पूरे होते रहेंगे। यह कोई नई चीज नहीं है। रशियन कांस्टीट्यूशन को आप देखें। उसमें माइनोरिटी कांउसिल है और उसके जरिये से लोग काम करते हैं। वहां अगर वह हो सकता है। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। इसके बिना आपको दिक्कत हो सकती है। इस वास्ते इस तरफ आपका ध्यान जाना जरूरी है। माइनोरिटीज कांउसिल को कायम करने में जो जम्हूरियत की रोशनी में हो कोई दिक्कत नहीं होगी।

फसादों को रोकने के लिये पुर असर कदम उठाने की भी अज हद जरूरत है। इनको रोकने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, प्राइम मिनिस्टर की है। हम देखते है कि बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो इन फसादों में शरीक तक होती हैं। इनको रोकने के लिए आप फैड्रल फोर्स सेंटर में कायम करें। जहाँ कहीं फसाद हो वहां फौरन आप इस फैड्रल फोर्स को उसको रोकने के लिए भेजें। फैड्रल फोर्स और मुल्कों के अन्दर भी है। यू० एस० ए० के अन्दर है। वहाँ पर अगर कहीं फसाद होता है तो उसको भेजा जाता है और वह उनको रोकती है। यहाँ भी ऐसा होना चाहिये।

हमारे मुल्क में स्ट्राइक्स वगैरह होती रहती है। कभी तनख्वाहें बढ़ाने की बात को लेकर होती हैं। और कभी कुछ और बातों को लेकर होती हैं। यह होम मिनिस्ट्री का काम है, इस डिपार्टमेंट का काम है कि यह लोगों को समझाये। मारल वैल्यूज जो हैं, उन पर आप जोर दें।

यह बात भी निहायत जरूरी है कि सेंटर और स्टेट्स में काम करने वाले हर एक एम्पलाई को ऊपर की तरफ हरगिज नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने नीचे की तरफ देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी 500 रुपये महावार पाता है, तो उसको यह देखना चाहिए कि 100 रुपये पाने वाला किस तरह अपना गुजारा करता है। इस तरह उसके दिल में तशफ्फी होगी। लेकिन अगर वह 2000 रुपये पाने वाले की तरफ नजर करेगा, तो उसको हमेशा यह परेशानी होगी कि मैं किस तरह अपनी जिन्दगी बसर करूं। हमारे सेंट्रल और स्टेट एम्पलाईज के दिमाग में यह बात रहनी चाहिए कि दुनिया में छोटे लोग भी हैं, बड़े भी हैं और बड़े से बड़े भी हैं। अगर वे यह देखें कि छोटे लोग किस तरह अपना गुजारा करते हैं, तो उनके दिल में तशफ्फी होने कि हम उन से अच्छे हैं। अगर इस तरह उनके जहन को सही कर दिया जाये, तो वे ज्यादा माँगें पेश करने और स्ट्राइक के रास्ते पर नही जायेंगे।

मैं एक बार फिर अर्ज करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मेहरबानी फरमा कर अपनी सदारत में एक माइनारिटीज कौंसिल की जरूरत तशकील करें और सेंटर में एक फेड्रल फोर्स कायम करें। जिस वक्त और जहां जरूरत पड़े, वह उस फोर्स से काम लें। वह एक माइनारिटीज कौंसिल बना कर माइनारिटीज के हुकूकत की हिफाजत करने में मदद करें, ताकि आइन्दा किसी के जहन में यह ख्याल न आने पाये कि हमारे साथ जो वादा किया गया था, उसको पूरा नहीं किया गया है। मुल्क में इस किस्म का ख्याल नहीं पैदा होना चाहिये कि जो वादा किया गया है, उस पर अमल नहीं किया गया है, क्योंकि यह बात हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगी। हमने अपने इलैक्शन मैनिफेस्टो में जो वादे किये हैं, हम उनको जरूर पूरा करेंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर से कहूंगा कि वह इस तरफ

कदम बढ़ायें, हम लोग उनके साथ हैं और हम सब मिलकर यकीनन इस काम को कामयाबी के साथ सर-अंजाम दे सकते हैं।

شری محمد طاہر پورنیا۔ جناب چیرمین صاحب۔ ہوم افیرز کے متعلق بولتے ہوئے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہوم ڈیپارٹمنٹ یا ہماری گورنمنٹ۔ گورنمنٹ کی حیثیت سے یا پارٹی کی حیثیت سے جو کہتی ہے اس پر عمل نہیں کرتی ہے۔ کہیں تو عمل کرتی ہے کہیں بالکل بھول جاتی ہے۔ جو کہتی ہے۔ اگر اس پر عمل کریں تو یہ ملک کہیں کا کہیں پہنچ جائے۔

"The communal situation in the country gives 'cause' for concern. Government have, in consultation with the State Governments, taken various legislative and administrative steps to deal with the situation."

میں کہتا ہوں کہ کونسا لیجسلیٹیو سٹیپ یا ایڈمنسٹریٹیو سٹیپ آپ نے سٹیپس میں لیا ہے آج تک جس سے معلوم ہو کہ آپ کچھ چاہتے ہیں۔ کوئی لیجسلیٹو یا ایڈمنسٹریٹیو سٹیپ آپ نے سٹیپس میں نہیں لیا۔ کمیونل سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لئے اس قسم کی باتیں کہنا مناسب نہیں ہے۔ میں آپ کو الیکشن مینی فیسٹو کی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ پرائم منسٹر اس وقت یہاں نہیں ہیں میں چاہتا ہوں۔ محسن صاحب ان کو اس کی یاد دلا دیں۔ الیکشن مینو فیسٹو میں ایک چیپٹر مائنورٹیز کا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے۔

"In keeping with its past tradition, the Congress is pledged to protect the rights and interests of all minorities.

The dark and evil forces of right reaction which masquerade in a variety of forms are intent upon destroying the very base of our democratic and socialist objectives. They are attempting to consolidate their position. They exploit some of the genuine grievances of the people and arouse the emotions of various sections by preaching religious fanaticism, racial supremacy and chauvinism. History records that fascist forces always emerge through such nefarious manoeuvres. The Congress is determined that this shall not happen in our country. And for this purpose, it will take effective measures in all fields, including education at all its stages."

زوردار لفظوں میں کہا ہے۔

"The Constitution lays down that the State and local authorities should provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups. It shall be our endeavour to implement this.

Secularism is one of the basic tenets of our Constitution. In accordance with this constitutional imperative, the Congress will strive to ensure that all minorities have full freedom to establish, manage and run educational and other institutions."

اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں۔ بعد میں آپ نے یہ فرمایا ہے۔

"The Congress, therefore, appeals to the people to return its candidates to the Lok Sabha and thus give it a clear mandate to :

(i) continue the advance to socialism through democratic process and devise administrative system capable of speeding implementation :

(ii) put down the forces of violence and disorder so that all our citizens can live in peace and harmony."

لوگوں کو یقین تھا کہ ان کے لیڈرر کی طرف سے۔ کانگریس کی طرف سے یہ جو وعدے ہوئے ہیں ان کو ضرور پورا کیا جائیگا۔ لیکن مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہوم منسٹری کی رپورٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ جو رپورٹ اس کی ہمارے پاس آئی ہے وہ صفر ہے۔ خالی ہے اس کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ کیمونل ڈسٹربنسیز کے بارے میں ہوا یہ ہے کہ نیشنل انٹیگریشن کونسل بنا دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صفر ہے۔ کچھ نہیں کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے ۱۹۶۸ میں سول ڈیفینس ایکٹ پاس کروایا تھا۔ کیا کسی سٹیٹ میں اس کو لاگو کیا گیا ہے۔ کم از کم اس کو لاگو تو کیا تھا۔ اگر اس پر عمل ہوتا اور اس کو لاگو کیا جاتا۔ اگر اس پر عمل ہوتا اور اس کو لاگو کیا جاتا تو ضرور جھگڑے فساد نہ ہوتے۔ لیکن اس کو لاگو ہی نہیں کیا گیا ہے۔

ہوم منسٹر جب شری پنتھ تھے تب انھوں نے اردو کے بارے میں ایک سرکلر بھیجا تھا اور اس میں یہ کہا تھا۔ اس کو اس کی برابر پبلیسی دی جائے۔ وہ آپ کے دفتر میں ہوگا۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جہاں جہاں اردو ریجنل لینگویج ہو سکتی ہے۔ وہاں وہاں اس کو کورٹس میں استعمال کیا جائے۔ حالانکہ اردو کے بارے میں الیکشن مینی فیسٹو میں بھی بہت کچھ دیا گیا ہے۔ لیکن آج تک کچھ نہیں کیا گیا۔ اور نہ ہی اس رپورٹ میں اس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے۔ بجٹ ڈیمانڈز کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ لیکن کہیں بھی کوئی اردو کے لئے پروویژن نہیں کیا گیا ہے۔ ڈیمانڈز بھی بالکل خالی ہے۔ صاف ہے۔ یہ بہت ڈینجرس چیز ہے۔ مائنورٹیز کے ساتھ مسلمز کے ساتھ۔ کرسچنز کے ساتھ۔ سکھوں کے ساتھ آپ نے کچھ وعدے کئے تھے۔

ان وعدوں کو پورا کرنے کے لئے آپ کو اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہئے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں جس طرح سے انھوں نے اپنی جان پر کھیل کر آپ کی مدد کی ہے۔ کیا آپ سمجھتے نہیں کہ آگے بھی وہ ایسا کرینگے۔ مائنورٹیز کو یہ سمجھ لینے کا موقعہ آپ کو نہیں دینا چاہئے کہ جو وعدے ان کے ساتھ کئے گئے ہیں۔ یا جو وعدے کئے گئے ہیں۔ وہ پورا نہیں کر رہے ہیں۔ وعدے جو آپ نے کئے ہیں ان کو آپ کو پورا کرنا چاہئے

جہاں تک کیونل ڈسٹربنیسز کا تعلق ہے۔ بجٹ سپیچ میں ان کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا ہے یہاں پریذیڈینٹ صاحب کا جو ایڈریس ہوا تھا اس میں اس کا ذکر ضرور کیا گیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ پریذیڈنٹ صاحب نے اس کا ذکر کیا۔ اپنے ایڈریس میں انھوں نے کہا تھا

> "to achieve this my Government are firmly committed to implementing the economic and social transformation outlined in the manifesto which has received such overwhelming support by the electorate."

پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں

> "the persistence of communal tension in some parts of the country and occasional flaring up of violence constitute threat to our secular democracy and to the basic value of civilised life. The Government is determined to overcome this danger."

ابھی ریلوے بجٹ پر بحث ہوئی تھی۔ میں نے تب ایک چیز کا ذکر کیا تھا۔ میں امید کرتا تھا کہ ریلوے منسٹر اس کا جواب دیں گے لیکن انھوں نے نہ دیا۔ پرائم منسٹر آگئی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ سن رہی ہونگی جو اسلامک انسٹیٹیوشنز ہیں۔ دیوبن میں ہیں۔ لکھنؤ میں ہیں یا دوسری جگہوں پر ہیں۔ وہاں کے لڑکوں کو ریلوے کے ذریعہ کنسیشن دیا جاتا تھا بجائے اس کے کہ اور اس قسم کے انسٹیٹیوشنز کھولے جاتے۔ ریلوے بورڈ نے وہ کنسیشن ان تمام مدرسوں کو دینا بند کر دیا ہے۔ اس کنسیشن کو جاری رکھا جانا چاہئے۔ اس کو آپ کو ریسٹور کرنا چاہئے مجھے امید ہے کہ آپ نے جو سرکار آرڈر اس کے بارے میں پاس کیا ہے۔ اس کو آپ وہ پورا کریں گے۔ جو کچھ مل رہا تھا اس کو بھی آپ چھین رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہ کیا یہ چھیننے کا وقت تھا۔

میں پرائم منسٹر صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ الیکشن مینی فیسٹو میں جو وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کو وہ پلمنٹ کریں پورا کرنے کا ارادہ اور نیت اگر ہو تو یہ کام ہونا ہی چاہئے۔ میں یہ بھی کہونگا کہ آپ مائنورٹیز کونسل کونسٹیٹیوٹ کریں اور اس کی صدارت آپ کریں۔ پرائم منسٹر اس کے چیرمین ہوں۔ اس کو کونسٹیوٹ کرنا اس لئے ضروری ہے کہ کوئی مشینری آپ کے پاس نہیں ہے مینورٹیز کی حفاظت کرنے کے لئے آپ کے پاس جو کچھ رپورٹ آتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو آفس والے تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ آپ کوئی مشینری بنائیے۔ بہتر چیز تو یہ ہوگی کہ مائنورٹیز کونسل کی آپ تشکیل کریں۔ اور اس کی چیرمین آپ خود ہوں۔ اس کے بعد جتنے وعدے گئے ہیں وہ اس کے ذریعے سے پورے ہوتے رہینگے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ رشین کانسٹی ٹیوشن کو آپ دیکھیں۔ اس میں مائنورٹیز کونسل ہے اور اس کے ذریعے سے لوگ کام کرتے ہیں۔ وہاں اگر یہ ہو سکا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس کے بنا آپ کو دقت ہو سکتی ہے۔ اس واسطے اس طرف آپ کا دھیان جانا ضروری ہے۔

فسادوں کو روکنے کے لئے پر اثر قدم اٹھانے کی بھی از حد ضرورت ہے۔ ان کو روکنے کی ذمہ داری سینٹرل گورنمنٹ کی ہے۔ پرائم منسٹری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی سٹیٹ ایسی ہیں جو ان فسادوں میں شریک تک ہوتی ہیں۔ ان کو روکنے کے لئے آپ فیڈرل فورس سینٹرس قائم کریں جہاں کہیں فساد ہوں فوراً آپ اس فیڈرل فورس کو اس کو روکنے کے لئے بھیجیں۔ فیڈرل فورس اور ملکوں کے اندر بھی ہے۔ یو۔ ایس۔ اے کے اندر بھی ہے۔ وہاں اگر کہیں فساد ہوتے ہیں تو اس کو بھیجا جاتا ہے اور وہ ان کو روکتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہونا چاہئے۔

ہمارے ملک میں سٹرائیک وغیرہ ہوتی رہتی ہیں اور کبھی کچھ اور باتوں کو لیکر ہوتی ہیں۔ یہ ہوم منسٹری کا کام ہے۔ اس ڈیپارٹمنٹ کا کام ہے کہ یہ لوگوں کو سمجھائے مارل ویلیوز جو ہیں ان پر آپ زور دیں یہ بات بھی نہایت ضروری ہے کہ سینٹرل اور سٹیٹ میں کام کرنے والے ہر ایک ایمپلائی کو اوپر کی طرف ہرگز نہیں دیکھنا چاہئے بلکہ انھیں اپنے نیچے کی طرف دیکھنا چاہئے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ۵۰۰ روپے ماہوار پاتا ہے۔ تو اس کو یہ دیکھنا چاہئے کہ ۱۰۰ روپے پانے والا کس طرح اپنا گذارہ کرتا ہے اس طرح اس کے دل میں تشفی ہوگی۔ لیکن اگر وہ ۱۰۰۰ روپے

پانے والے کی طرف نظر کرے گا۔ تو اس کو ہمیشہ یہ پریشانی رہے گی کہ میں کس طرح اپنی زندگی بسر کروں۔ ہمارے سینٹرل اور سٹیٹ ایمپلائیز کے دماغ میں یہ بات رہنی چاہئے۔ کہ دنیا میں چھوٹے لوگ بھی ہیں۔ بڑے بھی ہیں اور بڑے سے بڑے بھی ہیں۔ اگر وہ یہ دیکھیں کہ چھوٹے لوگ کس طرح اپنا گذارہ کرتے ہیں تو ان کے دل میں تشفی ہوگی کہ ہم ان سے اچھے ہیں اگر اس طرح ان کے ذہن کو ماریلی صحیح کر دیا جائے تو وہ زیادہ مانگیں پیش کرنے اور سٹرائیک کے راستے پر نہیں جائیں گے۔

میں ایک بار عرض کرونگا کہ پرائم منسٹر مہربانی فرما کر اپنی صدارت میں ایک مائنورٹیز کونسل کی ضرور تشکیل کریں اور سینٹر میں ایک فیڈرل فورس

قائم کریں۔ جس وقت اور جہاں ضرورت پڑے وہ اس فورس سے کام لیں۔ وہ اس مائنورٹیز کونسل کو بنا کر مائنورٹیز کے حقوق کی حفاظت کریں۔ تاکہ آئندہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ ملک میں اس قسم کا خیال نہیں پیدا ہونا چاہئے کہ جو وعدہ کیا گیا ہے۔ اس پر عمل نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہ بات ہمارے لئے بہت نقصان دہ ہوگی۔ ہم نے اپنے الیکشن مینی فیسٹو میں جو وعدے کئے گئے ہیں ہم ان کو ضرور پورا کریں گے۔ میں پرائم منسٹر کہوں گا۔ کہ وہ اس طرف قدم بڑھائیں۔ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اور ہم سب ملکر یقین اس کام کو کامیابی کے ساتھ سر انجام دے سکتے ہیں۔]

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझुनू) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

जहां तक देश में ला एण्ड आर्डर का सवाल है, उसका सम्बन्ध गृह मन्त्रालय से है और आज सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि ला एन्ड आर्डर की पोजीशन खराब हो रही है। अगर किसी स्टेट में या रेलवेज में सुरक्षा की ठीक व्यवस्था नहीं है, तो हम यह कह कर छुटकारा नही पा सकते हैं कि यह स्टेट सबजेक्ट है या अमुक प्रान्त की पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है। हम सब भारतवासी है और यदि हमारे एक भी नागरिक पर विपत्ति आती है, तो समूचे देश को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यह ठीक है कि सेंटर और स्टेट्स के अलग-अलग अधिकार हैं और उन दोनों की पुलिस के अलग-अलग कार्य-क्षेत्र हैं। लेकिन केन्द्र का यह कर्त्तव्य है कि अगर किसी प्रांत में ला एण्ड आर्डर की पोजीशन डिसटर्ब होती है, तो उसको बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। आज जन-मानस में यह भावना पैदा हो रही है कि हमारी सुरक्षा का इन्तजाम नहीं है। आज कोई आदमी अपने को सुरक्षित नहीं पा रहा है।

पिछले दिनों रेलवेज के सम्बन्ध में बहस के दौरान कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अमुक एरिया में कोई भी यात्री रेल में सुरक्षित यात्रा नही कर सकता है। कहा जा सकता है कि वह रेलवे पुलिस का काम है। इसी तरह अगर बिहार या बंगाल में ला एण्ड आर्डर की स्थिति संतोषजनक नहीं है, तो कहा जाता है कि उन प्रांतो की पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है, यह उसका काम है। मैं समझता हूं कि देश का ला एण्ड आर्डर सेंटर का सबजेक्ट होना चाहिए और सेंटर को सम्बन्धित प्रान्त और उसकी पुलिस को लोगों की सुरक्षा का इन्तजाम करने के लिए आगाह करना चाहिए और इसके लिए दूसरे जरूरी स्टेप्स लेने चाहिए।

आज देश में करप्शन का जिक्र बार-बार हो रहा है। हम देखते हैं कि आये-दिन स्टेट्स के मिनिस्टर्ज, अफसरों और अन्य लोगों के खिलाफ करप्शन के चार्जिज लगाये जाते हैं। आम लोगों की भावना यह है कि किसी के खिलाफ करप्शन के कितने भी चार्जिज हों, उनकी जांच नहीं की जाती है, फाइलों को दबा दिया जाता है और सम्बद्ध व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि अगर पब्लिकमैन-सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों—और अफसरों के खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज हो, तो तुरन्त उसकी जांच करके उसका निराकरण किया जाये। हमें पोलीटिकल फील्ड में करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, वर्ना हमारा सार्वजनिक जीवन बहुत गिर जायेगा। सरकार को लोकपाल नियुक्त करके या किसी भी संस्था के जरिये इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक इस देश में करप्ट लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, तब तक यहां वास्तविक प्रजातंत्र कायम नहीं हो सकता है।

हमारे देश में दो प्रकार की सर्विसिज हैं—एक सेंटर की और दूसरी प्रांतों की। बहुत से प्रांतों से, जैसे राजस्थान में, रिटायरमेंट की ऐज को 58 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष कर दिया गया है। उन राज्य सरकारों ने यह मांग की है कि सेंट्रल सर्विसिज में भी रिटायरमेंट ऐज को 58 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष कर देना चाहिए, क्योंकि वे सेंटर से गाइड होते है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को सेंट्रल सर्विसिज में रिटायरमेंट ऐज को 55 वर्ष कर देना चाहिए। ऐसा करने से नये रिक्रूटमेंट में नये लोग सर्विस में आयेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशेंसी बढ़ेगी और देश में शिक्षित लोगों की बेकारी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेंट्रल सर्विसिज में रिक्रूटमेंट के कायदे में परिवर्तन किया जाना चाहिए। देश के कुछ क्षेत्र सेंट्रल

[श्री शिवनाथ सिंह]

सर्विसिज में बहुत बड़ा भाग प्राप्त कर लेते हैं, जब कि कुछ क्षेत्रों को उनमें बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। हो सकता है कि इस की वजह इंगलिश मीडियम हो, या कोई और वजह हो। देश में कुछ लोगों को तो अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों और पिछड़े इलाकों में लोगों को शिक्षा प्राप्त का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है। इस वजह से वे इन परीक्षाओं में कम्पीट नहीं कर पाते हैं। इन्टरव्यू का जो आधार है, उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। सरकार को सैंट्रल सर्विसिज में इस इमबैलेंस को खत्म करके एक रिजनल बैलेंस कायम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए।

जहां तक राजा-महाराजाओं के प्रिवी पर्सिज का सवाल है, अभी स्वतंत्र पार्टी के एक नेता महोदय ने श्री गायकवाड़ के स्टेटमेंट को उद्धृत करते हुए बहुत उदारता का प्रदर्शन किया। मैं कहना चाहता हूं कि अब उदारता दिखाने का वक्त निकल गया है। आज से छः आठ महीने पहले जब राजा-महाराजाओं के प्रिवी पर्स और प्रिविलेज खत्म करने का प्रश्न उठा था, अगर वे उस वक्त उदारता दिखाते, तो हम उसको समझ सकते थे। आज यह उन की उदारता नहीं है—उनकी मजबूरी है। जनता ने यह क्लीयर-कट वर्डिक्ट दे दिया है कि प्रिवी पर्सिज को बिना किसी मुआवजे के खत्म कर देना चाहिए। अगर अब सरकार इस प्रश्न के बारे में नेगोशिएशन्ज या समझौता करती है तो जनता इसको कुबूल नहीं करेगी। इस बारे में कोई नेगोशिएशन्ज नहीं होनी चाहिए। कानून या कांस्टीट्यूशन में परिवर्तन करके, बिना कोई नेगोशिएशन्ज किये बिना किसी मुआवजे के प्रिवी पर्सिज को खत्म कर देना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी, तो जनता उससे जवाब तलब करेगी, क्योंकि उसने इस बारे में क्लीयर-कट वर्डिक्ट दे दिया है। मैं प्रधान मन्त्री महोदया से कहना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में किसी नेगोशिएशन्स में न पड़े बल्कि वह बिल्कुल कानून के हिसाब से इस काम को करे, ताकि जनता का उत्साह और मनोबल बना रहे।

स्टेट्स की री-आर्गनाइजेशन का मामला बार-बार उठाया जाता है। जैसा कि अभी हरियाणा के माननीय सदस्य कह रहे थे, कई स्टेट्स बहुत बड़ी हैं, कई बहुत छोटी हैं और कई इतनी छोटी हैं कि उनका अपना खर्च नहीं चल सकता है। इसलिए रिआर्गेनाइजेशन का मामला बिलकुल साइंटिफिक बेसिस पर हो हम किसी दबाव मे आ कर या पोलिटिकल प्रेशर मे पड़ कर यह काम न करें। जहां पर कि एक वायबिल यूनिट हो, एक अच्छी भौगोलिक स्थिति हो, एरिया हो, इनकम हो, यह तमाम बातें हों, इनको देखकर रिआर्गेनाइजेशन करे। आज तेलगाना की माग होती है, कही दूसरी जगह की माग होती है, इस पर बार-बार दबते जाएंगे, बार-बार इस चीज को मानते जाएंगे तो हमारे देश का अलग-अलग बटवारा होता चला जाएगा। मैं नही मानता कि इस देश का नागरिक जो पंजाब मे रहता है वह कैसे खुश है और जो हरयाना मे रहता है वह कैसे नाखुश होगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि बिलकुल साइंटिफिक बेसिस पर स्टेट्स का रिआर्गेनाइजेशन किया जाये।

एक बात मैं कहना चाहता हूं जो राजस्थान के सम्बन्ध में है और गृह मन्त्रालय से सम्बंधित है। हमारे राजस्थान मे एक हाईकोर्ट थी और उसकी एक बेंच जयपुर में थी। यहां से कोई ला कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर या किसी और आधार पर उस बेंच को वहां से हटा दिया गया। उसमें यह कहा गया था कि एक क्लैरिफाइड कोर्ट हो लेकिन और कहीं उस पर अमल नहीं हो रहा है। केवल हमारे राजस्थान में जयपुर से वह बेंच हटा दी गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज-

स्थान का बहुत बड़ा विस्तार है। कई सौ मील में उसका विस्तार है। पूरब से पश्चिम पहुंचने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए गृह मन्त्रालय और माननीय प्रधान मन्त्री महोदय इस मामले में हस्तक्षेप करें। हालांकि यह मामला स्टेट का है, मैं मानता हूं। लेकिन स्टेट को इस बात के लिए कहें, उनको इसके लिए आगाह करें। जो बेंच जयपुर से हटाई गई है उसको फिर वहां कायम करना अत्यावश्यक है। हाईकोर्ट की बेंच जोधपुर में जो है वह रहे उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो जयपुर से बेंच हटी उससे लोगो को बड़ी हार्डशिप हो रही है। उसको दोबारा जयपुर कायम करना चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हमारे यहां कैबिनेट का जो फार्मेशन होता है उसमें चाहे ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे और कोई रिपोर्ट हो उस पर ध्यान नही दिया जा रहा है। आपस में दल-बदलुओं की जो स्थिति है उसको लेकर यह होता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो पार्लियामेंट या असेम्बली के सदस्यों की संख्या के प्रोपोर्शन में कैबिनेट का फार्मेशन हो तो उससे एक्सचेकर को भी फायदा होगा, पब्लिक को भी फायदा होगा और ऐडमिनिस्ट्रेशन में सहूलियत होगी। इससे प्रांतों के अन्दर जो दलबदलुओं की जो स्थिति पैदा होती है उसमें भी रुकावट आएगी। इसलिए चाहे वह पांच हों, सात हों, दस हों कोई नम्बर उनका फिक्स्ड होना चाहिए और प्रोपोर्शन फिक्स होना चाहिए और उसके अनुसार कैबिनेट फार्मेशन की इजाजत देनी चाहिए।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। इसको हमें और स्ट्रेन्थेन करना चाहिए। आए दिन ऐसे अफवाह आते हैं कि कहीं स्पाइंग हो रही है कहीं कुछ हो रहा है। वैसे हमारा इंटेलिजेंस बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसको और स्ट्रेन्थेन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गृह मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Mr. Chairman, Sir, in this debate I would like to briefly touch four important problems—the problem posed by the Naxalites, then the problem of the communal and caste tensions resulting in conflicts and conflagrations, the threat that is posed to democracy by the institution of Governors with all their discriminating behaviours and attitudes and, lastly, the most crucial problem of reconciling the *legitimate* regional aspirations of the people with the wider claims of national unity and integration.

As far as the problem of Naxalites is concerned, we must realise that Naxalites are not just violent gangsters who are merely interested in dislocating the democratic fibre and life of our country. If they are mad men, there is a method in their madness. They are ideologically oriented. It is undoubtedly true that they have no loyalty to this country. The moment they gave the slogan that "Chairman Mao is our Chairman" and "power grows out of the barrel of gun," it became absolutely clear that they are not only believers in violence, not only have they extra-territorial loyalty but they are ideologically oriented. They accept the way of life of Communist China. They want to invite the Chinese aggressors to this country. They do not have any loyalty to this country. Therefore, we must remember that the breeding ground of the Naxalites in this country is not merely among those who are eccentric and those who believe in violence but among those who have certain totalitarian ideological orientations and want to exploit discontent among the people. Therefore, the problem of dealing with the Naxalites is both the problem of law and order as well as the problem of removing the root causes of exploitation in our socio-economic life which are responsible for throwing the young flowers into the lap of the Naxalites and thereby destroying the democratic and noble urges among the youth. Unless these steps are taken, I don't think the menace of Naxalites can be curbed. Just to give an illustration—not to elaborate the

[Prof. Madhu Dandavate]

problem—in some areas of Bihar, the infiltration of Naxalites has already been started. One has only to visit those areas and try to find out how the young among the landless are becoming Naxalities. They find there is the tyranny of the landlords ; there is the tyranny of the Zamindars. They are not able to do anything to fight against injustice. Unfortunately, their morale is completely broken.

If the disorganised adivasis and peasants are not able to fight these landlords and others who are exploiting them, there is some sort of vicarious satisfaction in them if some young man throws bombs at the landlords and tries to murder them. I have come across young men and adivasis and peasants who have said : "Sir, we want to fight these landlords but our economic independence on them is so complete that we have no strength left in us to fight them. So, we are not able to do anything. If a few young Naxalites are able to throw bombs, we get the mental satisfaction in a spirit of revenge that though our injustice is not removed, at least a few of the men responsible for the injustice have been eliminated."

Therefore, unless new direction is given to politics, new policies are formulated and content of socialism is put into our body-politic and all the root causes of economic and social injustices are completely removed, it will not be possible to fight the Naxalites. It is not possible to fight them only with bullets and bayonets. No doubt, they have to be dealt with in a firm way. We have to deal with the problem of law and order, but at the same time, the sociological and economic aspects of the problem must never be forgotten.

There is another problem, the problem of communal and caste tensions. There have been so many riots in the course of the year. The tragedy in this land of Mahatma Gandhi is this : In any communal riot when Muslims are killed, the Muslims are disturbed. When Hindus are killed, the Hindus are disturbed. But very few in this land of Mahatma Gandhi are disturbed because human beings are killed.

Therefore, a new consciousness has got to be created. It is no good putting the entire responsibility of riots only on one community—whether Muslims or Hindus. We must go to the root of the problem.

I have come to the conclusion that those of the old generation, who have seen the partition days, will never be able to tackle this problem of communalism at all. Only the rising new generation of youth may be able to do the job. Only those who are completely free from the hang-overs of the past will be able to tackle this problem of commumalism and casteism.

Let us not try to fix up the responsibility of communalism only on Muslims or on Sikhs or on Hindus. It is basically a malady of our tradition-bound society and unless efforts are made by all sections of the Government, all wings of the Ministries,—the Education Ministry, the Home Ministry will have to play their role,—and there are all-round coordinated efforts, this problem will not be solved. We have to evolve proper training of the youth. A new modern mind has to be developed in the country. Only if the forces of medievalism and traditionalism are destroyed can communalism be destroyed in this country.

As a teacher, I tell you my experience. Right from school and college days when students read text-books of history they imbibe all passion and prejudice. They themselves compartmentalise life into Muslims and Hindus ; the heros of Muslims are different ; the heros of Hindus in history are different. Integration of society cannot be brought about on the basis of a biassed study of history and geography.

A new trend in Education will have to be evolved. The entire curricula will have to be modernised. At the same time, coordination of various departments will have to be brought about to evolve a new modern youth. When such a new modern mind of youth develops, then the remnants of communalism will be destroyed.

I only touched the communal riot problem ; but what about the problem of conflicts born out of casteism ? It is the tragedy of this country that if a few Hindus or Muslims are killed, right from the village, up to the forum of Lok Sabha, there is a big furore but when a few Harijans or Adivasis are killed and Harijan women molested in distant parts of our country, there is not a ripple on the surface of our public life, because, the victims of atrocities are condemned to the degrading life of Harijans and Scheduled Castes.

You will always find that whenever an educated man, a wealthy man, an aristocrat, is murdered in the train or anywhere else, headings are hit in the newspapers, but if a Harijan or adivasi woman is molested or murdered, nobody hardly takes note of it, because victims happen to be neglected Harijans and adivasis.

Therefore, this problem has to be solved. How many atrocities are being committed against the Harijans and adivasis ? If you go through the Government records, they themselves tell us about this, and you will see that these atrocities are on the increase. The caste tensions are on the increase. There must be preferential opportunities to Harijans and adivasis. A new climate in the country has to be created.

Then, there is the problem of the institution of Governors. Again, I do not want to elaborate this problem, but I want to tell you that the way the Governors have been functioning in different States, it appears that thev are behaving in the most discriminating manner. Very often, we find that the fate of the Government and the character of the Ministry is decided not on the floor of the legislature but on the precincts of Raj Bhavan where secret confabulations with the leaders of various parties go on.

In the absence of anti-defection Bill many legislators have become transferable commodities in the country today. We find that sometimes, those from the Congress (R) join the SVD when the SVD increases the volume and size of its Ministry to accommodate even 53 members ; thus the SVD becomes strong. When the situation changes, the SVD goes down and Congress (R) comes up. All this happens because there is the politics of defections. As a Member of the Opposition, let me admit that it is not merely the Treasury Benches who are guilty of this crime but equally the Members of the sections of the Opposition as well. There was only one Acharya Narendra Dev who after leaving the Congress resigned his membership of the State legislature, faced elections again and got defeated. But in the defeat of Acharya Narendra Dev, there lay the triumph of ethics in Politics. How many of us are prepared to do that ? I think that is the malady of our politics. Therefore, both the Opposition and the Treasury Benches should sit together and try to evolve a code of conduct against defections. For some time, the Treasury Benches may gain by these defections, and for some time, the Opposition may gain, but in the long run, it is democracy that must gain, and, for this purpose, defections have to be completely eliminated.

As far as Governors are concerned, one of my colleagues in the last Lok Sabha, Shri Nath Pai had made a very valuable suggestion. The Governors are appointed not merely on the basis of their impartiality, but very often, the post of Governor happens to be a rehabilitation compensation in politics. Some one is defeated somewhere in the elections, and he is an old may and has no vitality and dynamism left in him. Therefore, an attempt is made to rehabilitate him as Governor. So, they to very often try to remain loyal to their masters, the ruling party and they try to serve the politics of piracy and of defections, Therefore, it is very necessary that even when the Governors are appointed by the President, at some stage, the Lok Sabha should ratified the appointment of Governors. The situation will not be changed otherwise.

Then, I would like to make a passing reference to another important problem. There are so many inter-State disputes, such as those between Haryana and Punjab, between Mahrashtra and Mysore and so on. Though I come from Maharashtra, I would not speak on behalf of Maharashtra State alone, but I would like to speak as a member of this sovereign Parliament. I would like to admit that when there is a dispute between Haryana and Punjab or a dispute between Mysore and Maharashtra, really my mind bleeds, for I find that all the national parties get split up when it is a question between Mysore and Maharashtra or a question between Haryana and Punjab. Where is the national integration then ? Therefore I would like to appeal to the Prime Minister who is present in this House that for God's sake, let her not treat the problem of inter-State disputes from the point of view of 'political expediency' but evolve agreed uniform principles for all inter-State disputes. Whenever there is any dispute, refer it to a boundary commission, and take a commitment from all the national parties that once definite principles are laid down for tackling any inter-State dispute, and once the boundary commission on the basis of those definite terms of

[Shri Madhu Dandavate]

reference tries to settle the dispute, there will be no agitation. After that let the Government take a firm attitude that no premium will be put on violence and agitations. Once the agreed principles are evolved and the matter is referred to the boundary commission and the inter-State dispute is solved, even if there is violence and even if hundreds of lives are lost, Government must take the decision that since all the national parties have accepted the uniform principles for the solution of inter-State disputes, even if the heavens fall on earth, they are not going to bow down before violence. Only if that attitude is taken can the law and order problem and the sociological and psychological problems involved in such inter-State disputes can be solved. I hope the Government will adopt a long-term perspective and not the perspective of shortsighted political expediency.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद): सभापति महोदय, मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं, मुख्तसर बोलना चाहता हूं। अब तक जितनी स्टेट्स बन गई हैं उसके बाद अब कोई नई स्टेट नहीं बननी चाहिये। अगर कोई नई स्टेट बनाते हैं तो पहले उसकी लायबिलिटीज और असेट्स को बांटना पड़ता है, सर्विसेज को बांटना पड़ता है, बाउंड्री कमिशन मुकर्रर करना पड़ता है, उसके बाद वाटर डिस्प्यूट्स आते है, एलेक्ट्रिसिटी कामन ग्रिड को बांटना पड़ता है, इस तरह से हजारो झगड़े पैदा होते हैं। अगर हिन्दुस्तान में हमें काम करना है तो रोजाना स्टेट बनायेंगे, फिर उसको बिगाड़ेगें, फिर नई स्टेट बनायेंगे इस तरह से काम नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारी प्राइम मिनिस्टर एक केटेगोरिकल स्टेटमेंट करें कि अब कोई स्टेट नहीं बनेगी।

अभी मेरे एक साथी ने तेलंगाना का जिक्र किया, मैं भी तेलंगाना का आदमी हूँ, मैं तीन कालेजों का संस्थापक और एक कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री का संस्थापक हूँ और उसका प्रेसिडेंट रहा हूं और जब तक चाहूंगा वे लोग मुझको वोट देते रहेंगे। दो हजार आदमी उस फैक्ट्री में काम करते हैं। एलेक्शन के जमाने में एक-एक गांव में मुझे मैजारिटी वोट मिली है और तेलंगाना की इस निजामाबाद कांस्टिट्यूंसी से मैं 60,000 वोट की मैजारिटी से जीता हूं। मैं जब गावों में जाता था तब लोगों से बात करता था कि जितनी छोटी स्टेट बनेगी उतना ज्यादा खर्च होगा। अगर आज तुम 100 रु० मालगुजारी दे रहे हो तो दो स्टेट बनाओगे तो 200 रु० देना होगा और चार स्टेट बनाओगे तो 400 देना होगा। यह ठीक है कि जितनी छोटी स्टेट बनेगी, ज्यादा मिनिस्टर बनेंगे, पुलिस वाले उनके साथ चलेंगे। आज तो मैं मिनिस्टर बनने वाला नहीं हूं, लेकिन छोटी स्टेट में तो ज्यादा मिनिस्टर बन सकते हैं, इस लिए मैं चाहता हूं कि आप अब आप कोई स्टेट न बनायें।

यह ठीक है कि पिछले चुनावों में कुछ तेलंगाना वाले जरूर यहां आये हैं लेकिन मैं आप को उनकी हिस्ट्री बतलाना चाहता हूं। वहां खैराबाद में असेम्बली के एलेक्शन हुए, तेलंगाना प्रजा समिति की 17,000 की मैजारिटी आई, लेकिन अब परसों जो एलेक्शन हुये उसमें 5,000 की मैजारिटी आई। यानी 5 महीने में 12,000 की मैजारिटी गिर गई। सिद्दीपेट में उनकी 24,000 की मैजारिटी आई, लेकिन चार महीने के बाद वहीं पर 8,000 की मैजारिटी रह गई और अब जो एलेक्शन होगा उसमें उनकी जमानत भी जब्त हो जायेगी।

हमारी प्राइम मिनिस्टर ने तेलंगाना के लिये जो 8 प्वाइंट प्रोग्राम रक्खा है उससे तेलंगाना का बहुत फायदा हुआ है, हालांकि उससे आन्ध्र प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी आन्ध्र वाले एजिटेशन नहीं कर रहे है। वे कहते हैं कि हमारा छोटा भाई रूस गया है, उसका फायदा हो जाने दो।। (व्यवधान)..., हमें भी पालिटिक्स में जिन्दा

रहना है और जिस तरह से चाहें एलेक्शन में मुकाबला करने को तैयार हूं...इस लिए मैं कह रहा था कि तेलंगाना का जो मसला है वह एक पोलिटिकल मसला है। जिन लोगों को पोलिटिक्स में जगह नहीं मिली वे लोग वहां पर गड़बड़ कर रहे हैं। इस वास्ते प्राइम मिनिस्टर को उनको मुंह नहीं लगाना चाहिये।...

श्री एम० सत्यनारायण राव : आप पहले कहां थे ? परसों कांग्रेस को गाली देते थे, अब कांग्रेस में आ गये हैं। You were not in Congress then. Now you have joined it. You have no right to speak like this. It is too much on your part to assume this pose. The Andhra members are here. They are not speaking. It is most unfortunate that a member from Telengana is speaking like this........

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : सभापति महोदय, मैं उस वक्त इंडेपेन्डेन्ट था और एम० एल० ए० के एलेक्शन में दो दो कांग्रेसियों को हराया...

SHRI M. SATYANARAYAN RAO : You were defeated again and again. (*Interruptions*)...Why should he go on with this kind of history, I was elected, this that and the other.

MR. CHAIRMAN : Let him continue.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : सभापति, महोदय, मैं किसी पार्टी का मेम्बर नहीं था लेकिन दो कांस्टिटुएन्सीज से लड़ के दो कांग्रेसियों को हराया, लेकिन जब स्टेट के इंटेग्रेशन और सेपरेशन का मसला आया उस वक्त मैं कांग्रेस में शरीक हो गया और आप देखिये कि तेलंगाना की मेरी कांस्टिटुएन्सी में वह लोग 45 मोटरें रख कर, इनके सारे लीडर्स सी० बी० राजू, रामचन्द्र रेड्डी, वहां बड़ी मीटिंग्स करते थे, लेकिन इनकी मीटिंग्स में 200 आदमी भी नहीं होते थे। लेकिन जिन मीटिंग्स को मैं एड्रेस करता था उनमें हजारों आदमी होते थे।

SHRI M. SATYANARAYAN RAO : I object to this. He has named persons who are not here. He is not supposed to do it.

MR. CHAIRMAN : You will have your turn.

16.00 hrs.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : सभापति महोदय, मैं पार्लमेंट में बात कर रहा हूं तब ये गड़बड़ कर रहे हैं और जब मैं गांवों में बात करूंगा तो पता नहीं क्या करेंगे ?...(व्यवधान)..

SHRI M. SATYANARAYAN RAO : Let us settle the matter there, not here.

MR. CHAIRMAN : Please do not mention any names.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO : We never mentioned any names. We never condemned anybody.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : जब ये दोनों बोल रहे थे तो मैंने खामोशी से सुना। पार्लमेंट्री डिमोक्रैसी में जब एक बोलता है तो दूसरे को सुनना चाहिए। इतनी एलिमेंट्री डीसेंसी भी नहीं है।...(व्यवधान)...

SHRI M. SATYANARAYAN RAO : What is decency ? Have you got any decency ? Without knowing the matter, you are shouting.

क्या बात कर रहे हो ? शर्म नहीं आती। समझने की कोशिश करो।...(व्यवधान)...

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : ये न कभी गांव में पंच बने, न कभी सरपंच बने, न कभी असेम्बली के मेम्बर बने। इत्तफाक से पार्लमेन्ट में आ गए हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। पार्लमेन्ट में आने से पहले पार्लमेंट का प्रोसीजर भी मालूम होना चाहिए। ..(व्यवधान)...

SHRI M. SATYANARAYAN RAO : You must understand our feelings also. I am representing the whole region, You are not representing.

[श्री एम० सत्यनारायण राव]

क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आता। असेम्बली में आओ, हम तैयार हैं। यह मत समझो कि हम तैयार नहीं हैं।...(व्यवधान)

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं श्री पी० के देव कह रहे थे कि प्रिंसेज के साथ प्राइम मिनिस्टर की बातचीत हो। मैं कहता हूं प्रेस इसमें है कि अपनी तरफ से, पूरे जितने टाइटिल्स हैं उनको डिसग्रोन कर दें और कल से ही प्रीवी पर्स लेना बन्द कर दें तभी आप भी देशभक्त कहलायेंगे। आज एक मजदूर दो रुपये में दिन भर काम करता है, एक रुपए खाता है, एक रुपये का पीता है और दूसरे दिन का उसे कुछ खयाल नही होता। आपके पास करोड़ों रुपया है। किस जन्म के लिए आप यह पैसा मांगते हैं। इसलिए मैं प्रिंसेज से कहना चाहता हू कि अपनी तरफ से सुओं मोटो उनको डिक्लेयर करना चाहिये कि कल से हम प्रीवी पर्स नही लेंगे। अभी आप यहां पर जीतकर आये है और दस पांच साल और जीत कर आ सकते हैं और देशभक्त भी कहे जायेंगे।

एक बात और कहना चाहता हू। शशि भूषण जी भी कह रहे थे कि पूरे मुल्क में दस रुपये पर दो रुपये का सूद वसूल किया जा रहा है। ईरान से आये हुये खान और पठान जो हैं वे लोगों को बहुत सताते हैं। पूरी दिल्ली में, निजामाबाद में और सारे देश में वे फैले हुये हैं। मैं चाहता हूं कि ईरानी लोगों को यहां से निकाल दिया जाये क्योंकि ईरान के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध भी नही हैं।...(व्यवधान)... होम मिनिस्ट्री इस बारे में कदम उठा सकती है कि मुल्क मे जो कानून है कि सौ रुपये पर एक महीने में एक रुपया सूद लिया जाये, अगर उससे ज्यादा कोई लेता है तो उसको जेल में बन्द कर दिया जाये। मैं डिप्टी मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि इस चीज को वे चाहें करें या न करें लेकिन कम से कम सौ आदमियों को अरेस्ट करके जेल में रखवा दें जो कि ज्यादा सूद ले रहे है।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : माननीय सभापति जी, गृह मंत्रालय की मांगों के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि देश में जो कानून की व्यवस्था है उसमे निश्चित तौर पर सुधार किये जाने के लिये कुछ आवश्यक कदम उठाये जाने बहुत जरूरी हैं। हमारे देश को दो तरह के लोगों से खतरा है--एक तो उन लोगों से खतरा है जो लेफ्ट एडवेंचरिज्म में विश्वास करते हैं और दूसरा खतरा हमारे देश में राइट रिएक्शन से है। ये दोनों ही तरह के लोग राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए अनेक तरह के हथकंडो को इस्तेमाल करते है। कभी भाषा के नाम पर कभी प्रान्त के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी विशाल हरियाणा के नाम पर, कभी और किन्हीं नामों पर सेनाये खड़ी करते है, कभी पार्टिया बनाते हैं और धर्म की दुहाई देकर लोगो को गुमराह कर देश में एक अशाति का वातावरण पैदा करते है।...(व्यवधान)...मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हू कि ऐसे सभी लोगो पर जिनकी भाषा कभी-कभी मेरे भाई कछवाय जी बोला करते है, रोक लगाई जानी चाहिये। इस देश का उद्धार न तो संस्कृति के नाम पर हो सकता है, न धर्म के नाम पर हो सकता है, न प्रान्त के नाम पर हो सकता है, न मजहब के नाम पर हो सकता है और न सम्प्रादक के नाम पर हो सकता है। अगर देश के लोगों की हालत को बदलना है, उनकी हालत को तब्दील करना है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्थिक आधार पर, आर्थिक नीतियों के निर्माण से ही ऐसा किया जा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टियों को जिनका कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं है चुनाव लड़ने की छूट नही होनी चाहिए। केवल उन्हीं पार्टियों को चुनाव में भाग लेने का

अधिकार होना चाहिए जिनका अपना आर्थिक प्रोग्राम है। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं तो कहता हूँ कि स्वतंत्र पार्टी या ऐसी ही दूसरी पार्टियों को, जिनका अपना आर्थिक कार्यक्रम है, एक आर्थिक नीति है, छूट होनी चाहिये। लेकिन पंजाब में अकाली दल को नहीं होनी चाहिए, विशाल हरियाणा की मांग करने वाले लोगों को छूट नहीं होनी चाहिए, शिव सेना को छूट नहीं होनी चाहिये और जो दूसरे ऐसे संगठन हैं जैसे मजलिसे मुशवरात है या हिन्दू महा सभा है जोकि धर्म के नाम पर इस देश की राष्ट्रीयता को खतरा पैदा करना चाहते हैं उनको छूट नहीं होनी चाहिए।

सभापति जी, इसके साथ-साथ मैं लेफ्ट एडवेंचरिज्म को भी खतरनाक मानता हूं। कल यहां पर सी० पी० एम० की तरफ से श्री सरोज मुखर्जी कह रहे थे कि कांग्रेस के जमाने में बंगाल में पुलिस का राज बन गया है। आज बंगाल की हालत यह है कि 1 जनवरी से 15 मार्च तक 156 घटनायें हुई है, राजनीतिक तरीके से हमले हुये हैं और इन 156 में से 134 हमलों में कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट के लोग शामिल थे। इसी तरह से तीन उम्मीदवारों को जो मारा गया उनमें भी दो में कम्युनिस्ट मार्क्सिटों का हाथ था। तो जब बंगाल में यह हालत हो तो कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट का पुलिस राज की बात करना कहां तक ठीक है, यह, विचारणीय है। हमारे देश के अन्दर श्री नम्बूदरीपाद जब यह कहते हों कि शासन व्यवस्था को बदलने के लिये हमें बन्दूक का सहारा लेना पड़ेगा, तो हमको कदम उठाने पड़ेगे ऐसे ऐक्सिट्रिमिस्ट लोगों के खिलाफ।

यह सही है कि हमारे देश में नक्सलपंथियों की समस्या केवल राजनीतिक समस्या नहीं है, आर्थिक समस्या है। लेकिन उसके साथ ही क्या आपको तथा देश के लोगों को गम्भीरता से नही सोचना चाहिए कि जो लोग देश के विधान मे विश्वास नहीं करते, जो लोग शासन व्यवस्था में आस्था नहीं रखते, जो लोग इस देश में दूसरे मुल्कों से इंस्पीरेशन लेकर के वहां की आइडियालाजी के आधार पर इस देश की शासन व्यवस्था को बदलना चाहते हैं क्या उन लोगों को छूट मिलती रहनी चाहिये? इसलिये इस विषय पर गृह मंत्रालय को गम्भीरता से विचार करना चाहिये, और अगर सम्भव हो तो ऐसे लोगो पर भी कुछ रोक लगानी चाहिये। देश के प्रजातन्त्र को जो बन्दूक की नली से बदलने की और राजसत्ता प्राप्त करने की सोचते हैं और कांस्टीट्यूशन को बदलना चाहते हैं, वोटों के जरिये से नहीं बंदूक के जरिये और जो वोट को केवल मात्र का धन मानते हैं, उन पर भी रोक लगायी जाय।

साथ ही सभापति जी, आप का ध्यान देश के अन्दर जो एक बीमारी पैदा हो गई है, राजनीतिक लोगों में भ्रष्टाचार की उस पर भी दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में पिछले दिनों में पोलिटिकल तरह से पोलिटीशियन्स में भ्रष्टाचार एक अजीब तरीके से पैदा होने लगा है। सरकारें रोज बनती हैं, रोज गिरती हैं, रोज आया राम गया रांम का खेल इस देश में चल रहा है, और इस खेल को बन्द करने के लिये, मुझे अफसोस है गृह मंत्रालय ने अभी तक कोई कदम गम्भीरता से नहीं उठाया। यह कहानी 1967 के चुनाव के बाद शुरू हुई लेकिन अभी तक गृह मंत्रालय इस पर विचार ही कर रहा है। अब समय आ गया है जब गृह मत्रालय को इस बारे में गम्भीरता से विचार करके इस राजनीतिक भ्रष्टाचार का हमेशा के लिए उमूलन करना पड़ेगा, और उसके लिये कदम उठाने पड़ेंगे। मैं गृह मंत्रालय पर अभियोग लगा रहा हूं। हमारे देश में यह जो राजनीतिक सौदेबाजी चलती है उसमें हम सब सरीक हैं, जैसा मेरे दोस्त प्रोफेसर कह रहे थे, कांग्रेसी ही दोषी नही हैं बल्कि विरोधी दल भी उतने ही दोषी हैं। इस बीमारी का माकूल इंतजाम किया जाना चाहिए और तुरन्त इंतजाम किया जाना चाहिए। गवर्नरों पर लगाये जाने वाले अभि-

[श्री नवल किशोर शर्मा]

योग अपने आप खत्म हो जाएंगे। अगर यह पोलिटिकल हौर्स ट्रेडिंग खत्म हो जाय तो फिर गवर्नरों की समस्या नहीं रहेगी, गवर्नरों के लिये आचार संहिता का उतना सवाल नहीं रहेगा। 1967 के पहले गवर्नरों की आचार संहिता की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन आज जो राजनीतिक भ्रष्टाचार फैल रहा है उसकी वजह से इस बात की आवश्यकता महसूस होने लगी है। इस लिए इस पर तुरन्त रोक लगनी चाहिए।

एक बात की ओर मैं गृह मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप ने फैसला किया है, प्रिवी पर्स अबालिश करने का। मैं आशा करता हूं कि आप इस बिल को जल्दी लायेंगे। लेकिन मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि राजा लोग अपनी जमीनों को बड़ी तादाद में बेच रहे हैं। जयपुर का राजघराना अपनी हजारों बीघा जमीन को लोगों को बेच रहा है। आज अखबार में खबर है ग्वालियर के राजघराने के बारे में कि वह अपनी सम्पत्ति को बेच रहा है। और आप अभी विचार कर रहे हैं, निगोशियेशन्स के चक्कर में चल रहे हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप जल्दी कीजिए वरना जो सीलिंग का हाल हुआ, वह जो इनफक्चुअस हो गया, उसी तरह से इस प्रिवीपर्स से होने वाला बहुत सा फायदा निगेटिव कर देंगे, अपनी सम्पत्ति को आपका कानून लागू होने के पहले-पहले ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए इसकी व्यवस्था तुरन्त कीजिए। हम लोग भुक्तभोगी हैं, हम को राजघरानों से कड़ा मुकाबला करना पड़ता है। इस लिये चुनाव से पहले ऐसी व्यवस्था कीजिये कि ये राजा लोग जिन के पास अतुल साधन हैं, साधारण आदमी जिनके मुकाबले चुनाव नहीं लड़ सकता, इनके साधनों पर कुछ रोक लगे।

इस के साथ-साथ मैं अपने प्रान्त की एक बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मिर्धा साहब मेरे ही प्रांत से आते हैं। मेरे एक साथी भाई कह रहे थे कि राजस्थान में हाई कोर्ट की बेंच जयपुर में होनी चाहिए। मैं उसी बात का समर्थन करते हुए एक बात कहना चाहता हूं: राजस्थान में हाई कोर्ट की बेंच इस वक्त जोधपुर में है। इस सदन के लोग इस बात को जानते हैं कि जोधपुर राजस्थान के एक छोर पर है और भरतपुर, धौलपुर और जयपुर का इलाका जोधपुर से बहुत दूर पड़ता है। जिस ला कमीशन की रिकमन्डेशन के आधार पर, जिसके नाम पर एकीकृत हाई कोर्ट की स्थापना का निर्णय किया गया था, कैपिटल कमेटी ने यह फैसला किया था कि हाई कोर्ट जोधपुर में हो। मुझे हाई कोर्ट की बेंच जोधपुर में रखे जाने के बारे में कोई एतराज नहीं है। जोधपुर में हाई कोर्ट जाने से पहले जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच थी। इस ला कमीशन की रिकमन्डेशन और कैपिटल कमेटी की रिकमन्डेशन की वजह से वह जयपुर की बेंच खत्म हो गई। उस ला कमीशन की सिफारिश को भारत के ला मिनिस्टर्स की कानफरेंस ने रिजेक्ट कर दिया और यह फैसला किया कि एकीकृत हाई कोर्ट इस देश के लिए सूटेबिल नहीं है। और आज स्थिति यह है कि एकीकृत हाई कोर्ट के नाम पर जो हमारे देश में, आज भी हर प्रान्त में यू० पी०, एम० पी०, महाराष्ट्र और केरल को देख लीजिये, ऐसे बहुत से प्रान्तों के अन्दर दो, दो तीन, तीन बेंचे चल रही हैं। न्याय के लिए जरूरी है कि जयपुर में जो राजस्थान की कैपिटल है, वहां पर बेंच की स्थापना हो जयपुर के लोगों ने इस बारे में मांग की है, प्राइम मिनिस्टर से हम लोग मिले हैं, अपने डेपूटेशन में प्राइम मिनिस्टर से मिलकर मैमोरेन्डम दिया है। गृह मंत्रालय ने जवाब में लिखा है कि वह राजस्थान के मुख्य मन्त्री की सलाह से इस पर विचार कर रहे हैं। यह जवाब मुझे अक्तूबर में मिला था। और आज जून है जब गृह मंत्रालय की मांगों पर विचार कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि अब तक गृह मंत्रालय

सय ने इस पर विचार कर लिया होगा। यह मानवीय मांग है—इसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। दुर्भाग्य से राजस्थान के मुख्य मंत्री इस मांग को राजनीति से सम्बद्ध कर देते हैं। 80,000 किसानों ने इस बारे में जयपुर में प्रदर्शन किया है और मिर्धा साहब आपकी कांग्रेस ने हमें इजाजत दी है प्रदर्शन करने की, इसलिये हम कहना चाहते हैं कि या तो इस बात को मन्जूर कर लिया जाय नहीं तो मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ेगा और जरूरत होगी तो बलिदान करना पड़ेगा। यह मानवीय बात है।

इन्ही शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

SHRI FRANK ANTHONY (Nominated Anglo-Indian) : Sir, I had given notice of a cut motion on the need to strengthen the functioning of the courts at all levels. Unfortunately my notice was late. But I had advisedly given this notice *vis-a-vis* the Home Ministry, which is not unduly represented here today but my friend, Mr. Mirdha is here, because it has been my experience that the Law Ministry has been relegated relatively to a position of nonentity in the hierarchy of ministries and it is the Home Ministry that initiates and implements anything that tends to strengthen or weaken our courts.

Sir, it is axiomatic—you as a lawyer know—that our higher courts particularly represent today the bastion of our democratic viability. I believe that it is our courts that essentially give credibility to the Indian democratic ethos. And it is said—it has become rather a cliche—that they are the custodians of the rule of law. As a very distinguished former Chief Justice said : The Supreme Court is the sentinal on the *qui vive* to protect the fundamental freedoms of the Indian citizen.

Now, let us be quite honest. For more than 10 years there has been growing anxiety among the most responsible sections of the legal profession at the increasingly disturbing symptoms of the rapid decline in the standards and the quality of our judiciary from top to bottom. I say this with the deepest of regret. As a practising lawyer conditioned in the utmost of the respect for the judiciary I am allergic to irresponsible or wanton attack. So, what I say, Sir, is merely because I feel that the profession today must cherish the maintenance of democratic values and if I seem at all critical it is only because we dare not let matters drift any more. We are coming to the end of the road so far as our judiciary is concerned. We dare not be complacent any longer and we certainly dare not be self-righteous. I do not want the Minister to get up and attempt to delude this House by saying that everything in the garden of the judiciary is near perfect—if not perfect.

Sir, I was very happy to read in the newspapers of the transfer of certain magistrates because of the allegations of corruption. That step was long overdue. I want to make it very clear that many of these people in the lower echelons—magistrates and additional session judges—are not only competent people but also they are extremely upright people. But here also there was general perturbation at the increasing symptom of spreading corruption. Sir, some of my juniors who practise in the lower courts were aware that litigants increasingly caught up, either from choice or by compulsion, had to submit to this corruption. We were also aware that every profession has its black sheep ; some of the unsavoury elements among the lawyers were exploiting this corrupt element among the magistracy and indeed among the additional session judges.

Now, Sir, I have certain suggestions to make. Very often my juniors ask me : How is it, Sir, here is a first-class magistrate. At most he is getting Rs. 400 or Rs. 500 in hand. How does he run a new Ambassador car ; how does he send his children to expensive schools ? Very often they are from lower middle-class families without any ostensible original resources. Surely there can be a check. Then there is another fruitful source of corruption. I know it is rather rampant in Delhi. Magistrates and retired additional session judges are allowed to practise in the very courts where they have functioned. Blatantly the advertise the fact that they have access to their former colleagues and subordinates. You know, Sir, that there is a very salutary provision with regard to Hight Court judges. No High Court judge is allowed to practise in the area where he once served. No Supreme Court judge can practise in any court in India. I feel it is long overdue that you have similar provision

[Shri Frank Anthony]

with regard to magistrates and additional session judges. You may examine the position whether they should be allowed to practise in the local High Court but certainly they should not be allowed to practise in the courts where they once functioned.

So far as the enforcement agencies are concerned, they also contribute and aggravate these symptoms of corruption. I was glad to see that the Home Ministry seems to activate itself. I do not think they functioned. It was a report that certain station house officers were making so many tens of thousands of rupees a month. I do not know how accurate it was. But there were some transfers.

But I know, I think it is almost general knowledge today in Delhi, that with the Prevention of Food Adulteration Act being so draconian, compulsory jail sentence-people do not like to go to jail specially first offenders—that all manner of manipulation is taking place. One of my very responsible juniors told me that the food inspectors were making so much money that one of them could afford to send his son to an expensive college in Europe. I would like the Home Ministry to examine it.

I also know, because cases come to me in appeal, that there is ample room for manipulation. Innocent people who refuse to give bribe are often involved and guilty people who are prepared to give bribe are often acquitted.

Now I want to deal with the High Courts and the Supreme Court. Here I speak with deliberate restraint. The Law Commission, as far back as 1958, presided over by Shri M. C. Setalvad, referring to the High Courts said this :

> "We have visited all the High Court centres and at all hands we have heard bitter and revealing criticism about appointments made to the High Court judiciary during recent years. The almost universal chorus of comment is that the selections are unsatisfactory and that they have been induced by executive influence," It is a terrible indictment.

Then, they quote again from a very eminent Judge, who gave evidence before the Commission. This is what that eminent Judge said—it is reproduced in the Commission's report :

> "If the State Ministers"—

Ministers in State Government—

> "continue to have a powerful voice in the matter, in my opinion in ten years' time"—

it was in 1958—

> "or so, when the last of the Judges appointed under the old system will have disappeared, the independence of the judiciary will disappear and High Courts will be filled with Judges who owe their appointments to politicians."

We practising lawyers know what is happening. One of the Chief Justices of one of the largest High Courts in India, now retired, was a particular friend of mine and he confided in me that for two years he resisted the appointment of a particular person ; equally, the Chief Minister insisted on his appointment. The Chief Justice said, "I knew him to be one of the incompetent and least qualified persons from the point of view of character, but," he said, "I was utterly disgusted. Because of continuing pressure from a powerful Chief Minister, after two years I allowed that unsuitable person to be raised to the Bench."

I am glad that my hon. friend, Mr. Mohan Kumaramangalam is here. Then, we have got Mr. Gokhale. Both are eminent erstwhile colleagues of mine. I hope, they will use their influence and their conviction will receive an edge and will not be blunted by the fact that they have now been raised to ministerial rank. I have repeatedly pleaded for the amendment of article 217 of the Constitution.

You will remember that this establishes a condominium. It says that the President will act on the recommendation of the Governor, the Chief Justice of India and in the case of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court. But what has been the experience ? As soon as you bring in the Governor, through the backdoor if not through the front door, you bring in the Chief Minister. I do not want to enter into this controversy about the Governors here. But we know, in these matters Governors are merely the mouthpiece of the Chief Ministers ; they are rubber stamping agencies and with the Governor in the condominium invariably it means the Chief Minister. I know it. I remember,

a person who was once my junior went to a very powerful Chief Minister and I recommended him. The Chief Minister ensured that he was raised to the Bench but he was a qualified person. But the Law Commission has entered a powerful plea with regard to Article 217. It was in 1958 and since then I have pleaded with the Government that political patronage—I am quoting—"Political motives must be eliminated from the appointments to the judiciary."

What is the happening ? The whole position is escalating. Virtually, briefless lawyers are being appointed. In some High Courts—I do not want to name the High Courts—we know some of the lawyers who have not handled a single brief in the High Court are being raised to the High Court Bench. I know that suitable members of the Bar are not available. But the Government is responsible for the simple reason that they have resisted, because of some political gimmickry and slogon-mongering, this long overdue demand to give increased emoluments to Judges. I do not think we have touched the emoluments of our judiciary since Independenee. I do not think a High Court Judge gets more than about Rs. 2000 a month in hand. To some of our avant-garde socialists, that may sound like untold wealth.

Let us recognise this that lawyers in the profession are not there for their health. Because of the relative paltry salary, not even competent juniors will accept a High Court Judgeship today. Let us not talk about leading members of the Bar accepting. In order to qualify the complete lack of attraction in raising competent lawyers to the Bench, the Law Commission headed by Mr. Setalvad said, at least raise the age of retirement for High Court Judges to 65. Typically, our Government reacted with neither sense nor logic. Supreme Court Judges retire at 65. So, you thought you would strike a compromise at 62½ for High Court Judges. You thought that will be a compromise. Apparently, Government felt that a High Court Judge ages more rapidly than a Supreme Court Judge. At 62½ years age, his brain does not function adequately. But a Supreme Court Judge at the age of 65 has got the capacity.

I want to make this plea. The judiciary is *sui generis*. Don't compare it with any other service or institution. It is axiomatic that you cannot have a good judiciary on the cheap. That is what we are trying to do in India. We are trying to get a good judiciary on the cheap. Repeatedly, I have said. "All right. If you do not want to raise the salary, at least give them pensions that are equivalent or near-equivalent to the salary." Here is Mr. Mohan Kumaramanglam or Mr. Gokhale. Mr. Gokhale is a living example of the fact that people, leading members of the Bar, cannot live with any self-respect on the salary offered a High Court Judge. He resigned, I hope, Mr. Mohan Kumaramangalam and Mr. Gokhale will have this conviction—given a sharper edge—and that they are going to convince their slogon-mongering political colleagues who are bereft of reality so far as the judiciary is concerned as to what damage the policies are doing to our judiciary today.

I say this because I also want to stop increasing mal-practices among retired judges I am among those who have said that no retired judge should be allowed to practise. We know what is happening. I do not want to point a finger at the judiciary. But a finger is pointed by themselves at themselves. The High Court Judges go to the Supreme Court to practice. Some of them have never practised before. They start as juniors. They do not compete with even more competent juniors. They compete with the junior-most of the juniors. They have to compete in a fiercely competitive profession with every form of mal-practice. I do not know whether Mr. Mohan Kumaramangalam remembers that about 3 or 4 ex-Judges were indicted for touting.

What do you think happens ? You compel them to do this. You compel them to supplement a completely inadequate pension by coming back to the Bar. I know, on the eve of retirement, lawyers complain that certain judges inclive towards certain leading lawyers in the hope that when the Judges come to practice in the Supreme Court, they will feed them with briefs. Other Judges who know that they have no capacity even to function as juniors in the Supreme Court look around for jobs.

I had just come from one of the High Courts and the Bar had told me as to what was happening. I mentioned this at a party to the then Chief Justice of India, that Judges, on the eve of their retirement, are waiting on the Ministers hoping to get some kind of jobs. The then Chief Justice of India observed if they wait on the Ministers, that is some thing, but they are waiting on Deputy Ministers, they are wait-

[Shri Frank Anthony]

ing on Parliamentary Secretaries in the hope of getting some kind of jobs. (*Interruptions*)

So far as the Supreme Court is concerned, this is what the Law Commission has said. No one has greater regard for the Judges as individuals. This is what the Law Commission has said :

> "It is widely felt that communal and regional considerations have prevailed in making the selection of the Judges so that the best talent among the Judges of the High Courts have not found their way to the Supreme Court."

Sir, it was high time that we did something radical about it. That Law Commission said that we must not, give any expectation of employment before or after they retire, to any Judge including a Supreme Court Judge. And here I want to deal with the other side of the matter —this irresponsible, wanton and ignorant criticism by, I am sorry to say, certain types of politicians. The Law Commission has nailed that to the counter. They have said that while politicians pay lip-service, by and large, to the Judiciary, in the next breath, they lower their dignity. They refer to a very leading personality in this country talking about Judges living in ivory towers. We to-day have heard the latest slogan, 'We must have committed Judges.' This is not only pernicious but even an utterly vicious slogan. What, in effect, are you saying ? That the Judges must bend their ideas, that they must bend their interpretation, in order to suit the political philosophy of the party that happens to be in power ?

Sir, finally look at what we have reduced our politics to ? The term 'politician' to-day is a dirty word. But, don't let the politicians make the term 'Judge' into a dirty word.

श्री शशि भूषण (दक्षिण दल्ली) : सभापति महोदय, अभी हमने अपने एक विख्यात वकील का प्रवचन सुना। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय और राजनैतिक परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि हमारी कमिटिड ब्यूरोक्रेसी न हो, कमिटिड अदालतें और सुप्रीम कोर्ट वगैरह न हों। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कभी नारे नहीं लगाते। हम ता उनके हाथ मजबूत करना चाहते हैं। संविधान में जो खास तौर से सम्पत्ति को मूलभूत अधिकार है, हम उसको अलग करके सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने कई बार श्री मोहन कुमारमंगलम से कुछ अपील की। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरा तो अदालत से ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता है, लेकिन एक पेटीशन मेरे खिलाफ हुआ है, जिसके लिये वकीलों ने मुझसे दो लाख रुपये मांगे हैं—दो हजार रुपये की फ़ी पेशी और पांच हजार पहले। ये जितने बड़े-बड़े वकील हैं, इनकी लाखों करोड़ों रुपये की जायदादें हैं। ये क्या नसीहत देंगे कि कौन कमिटिड हो और कौन न हो।

यह तो ऐसा खराब सर्कल है कि इसको तो बुनियादी तौर पर तोड़ना चाहिए। जब हम चाहते हैं कि जनता की आम आवश्यकता की चीजों के मामले में जो मिडलमैन बहुत मुनाफा कमाते हैं, उनको खत्म कर दिया जाये, तो न्याय के क्षेत्र में ये जो बीच के लोग हैं, उनसे भी छुट्टी मिलनी चाहिये, वर्ना जब मेरे जैसे आदमी से दो लाख रुपये मांगते हैं, तो ये आम आदमी के साथ क्या बर्ताव करेंगे ? जैसी अदालतें, वैसे वकील। जब तक सूरज की रोशनी की तरह गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता है, झोपड़ी में रोशनी जैसे जाती है वैसे ही न्याय उन्हें नहीं मिलता तब तक हम उसे न्याय नहीं मान सकते। मैं नहीं मान सकता कि यह अदालतें न्याय दे सकती हैं। गरीब आदमी तो उनकी चौखट तक भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए इसमें बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है। बड़े-बड़े कांच के महलों में रहने वाले लोग गरीब की बात नहीं सोच सकते बेचारे जब रिटायर होते हैं तो कभी बिरला कभी मूंधड़ा की नौकरी करते हैं। इसके लिए यह नियम बनाइये कि वह जाकर कहीं देश में प्राइवेट नौकरी न करें जिससे हमारा सिर

नीचा होता है। अब मैं और ज्यादा बात नहीं कहना चाहता अदालतों के बारे में। जो अब नये कानून बनाये जायेंगे और जो नई सामाजिक क्रान्ति आएगी उसके मुताबिक उनको न्याय करना पड़ेगा।

खास तौर से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो अभी एक बड़ा संकट आने वाला है बंगला देश के प्रश्न पर, बहुत जल्दी शायद हमें एमर्जेंसी भी लागू करनी पड़े क्योंकि और कोई तरीका नहीं है क्योंकि हमारे देश में अभी भी जी सबसे ज्यादा कोशिश वह करेंगे वह यह करेंगे कि हिन्दू मुस्लिम दंगे वह हिन्दुस्तान के अन्दर करायें और दंगे कराने वाली संस्थायें अपने-अपने हथियार तेज कर रही है। उनको खूब इजाजत दी जा रही है, रोज सबेरे वह यहां के स्कूलों में अपनी परेड करते हैं। सरकारी कर्मचारी बहुत से ऐसे हैं, पचासों बार यहां कहा गया कि आर० एम० एस० राजनैतिक संस्था है लेकिन उसके बाद भी...(व्यवधान)...

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : गलत बिलकुल गलत बात है।

सभापति महोदय : कछवाय जी, आप बैठ जाइये। माननीय सदस्य का अधिकार है बोलने का। आपकी जब बारी आएगी तब आप भी कह लीजियेगा।

श्री फूलचंद वर्मा (उज्जैन) : सभापति महोदय, वह सांस्कृतिक सस्था है, राजनैतिक संस्था नहीं है।

सभापति महोदय : यह अपना-अपना विचार है। आप बैठिये।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं केवल आपके माध्यम से इतना पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने आर० एस० एस० का संविधान पढ़ा है?

श्री शशि भूषण : सभापति महोदय, यह अगर मानते हैं कि वह एक सांस्कृतिक संस्था है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मानते रहें। लेकिन लाठियां, भाले और जहरीले छुरे चलाना जो यह सिखाते हैं...(व्यवधान)...

श्री हुकम चन्द कछवाय : नहीं, क्या चूड़िया पहन कर नाचना सिखायें...(व्यवधान)

श्री फूलचंद वर्मा : 26 जनवरी को आदिवासियों की महिलाओं को नंगी करके सड़कों पर घुमाना सिखायें...(व्यवधान)...

श्री शशि भूषण : सभापति महोदय, यह बहुत परवर्स लोग हैं, इनकी बात में मैं नहीं पड़ना चाहता।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी तरह जमायते इस्लामी और दूसरी जमातें भी है, मजलिसे मशावरात है, ये भी आज उसी की तैयारी कर रही हैं। उनके अखबार भी इसी तरह की राष्ट्र-विरोधी खबरें छापते है। तो जब एमर्जेंसी लागू हो तो मैं यह आपसे फिर प्रार्थना करना चाहता हूं, सदन में कई बार कहा गया है कि इस पर बैन लगाया जाना चाहिये जो साम्प्रदायिक मिलिटेंट आर्गेनाइजेशंस हैं क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। यह चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो बड़े-बड़े सरमायादार हैं उनके यह चौकीदार एक दूसरे का गला काटें और देश की प्रगति को रोकें। जहां जहां दंगे हुए हैं जो-जो अफसर वहां मौजूद थे उनकी जांच कराई जाय। उन्हें तरक्की देकर उन्हें केन्द्र में क्यों बुलाया गया? उन्हें सजा क्यों नहीं दी गई? जहां-जहां भी जांच कमीशन बैठाया गया किसी को भी फांसी नहीं दी गई। अगर हिन्दू ने मुसलमान को मारा या मुसलमान ने हिन्दू को मारा तो किसी को सजा नहीं दी गई। यह खुली इजाजत दी जाती है इसके लिए। तो आज जब एमर्जेंसी का वक्त आया है तो इसकी तरफ खास तौर से हमें ध्यान देना चाहिये और फौरन इन्हें बैन करना चाहिये।

[श्री शशि भूषण]

और जो सरकारी नौकरियों में इस तरह से जमायते इस्लाम और आर० एस० एस० के लोग काम करते हैं उनको बैन करना चाहिये। यह काम हम इम्मीडिएटली करें...

श्री हुकम चंद कछवाय : यह सरकार दस बार जन्म ले तब भी आर० एस० एस० पर बैन नहीं लगा सकती।

श्री शशि भूषण : बैन तो यह होगा ही।

दूसरे जो बड़े-बड़े देवस्थान हैं, बड़े-बड़े गुरुद्वारे हैं, उनका पैसा बुरी तरह इस्तेमाल किया जाता है। महारानी ग्वालियर अपने देवस्थान के पैसे को राजनीति में इस्तेमाल करतीं हैं। उन्होंने बहुत सी जमीन बेची। मध्य प्रदेश सरकार उन पर केस चला रही है। इसलिये ऐसे देवस्थानों को फौरन बैन करना चाहिये जो कि पैसा राजनीति में लगाती हैं और ऐसी संस्थाओं को देती हैं, जैसे महात्मा गांधी के मर्डर में दिया गया उसी तरह से देश के अन्दर हत्या के काम के लिये पैसा दिया जाता है, इसलिये इनको बैन करना चाहिए। देश के अन्दर चाहे वह किसी भी धर्म के लोग हों, वह बड़ी श्रद्धा से पैसे इनको देते हैं, उस पैसे का दुरुपयोग होता है। यह दुरुयोग बन्द करें।

इसके अतिरिक्त मुझे यह कहना है कि हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है उसको हमें प्रोटेक्शन के लिये एक अम्ब्रेला देना चाहिये। पूरी एक यूनिट बनानी चाहिये आसाम, बंगाल और उड़ीसा का क्योंकि उस क्षेत्र के अन्दर नक्सलाइट्स की और दूसरी गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं और जो वहां चायनीज और दूसरे विदेशों का खतरा है उसको दूर करने के लिये हमें कोई एक केन्द्रीय सेक्योरिटी बोर्ड बनाना चाहिये, एक प्रोटेक्शन अम्ब्रेला बनाना चाहिये ताकि उसकी देखरेख में वहां की सरकारें चल सकें क्योंकि वहां की सरकार इतनी समर्थ नहीं है कि इस तरह की चीजों को मैनेज कर सके। खास तौर से जब इतनी बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज बाहर से आए हैं तो उनकी देख रेख के लिये भी यह जरूरी है क्योंकि कुछ गलत लोग भी उसमें आ गये हों यह मुमकीन है। इसलिये यह जरूरी है कि एक पावरफुल सेक्योरिटी बोर्ड बनाया जाये और उसमें कुछ पब्लिकमैन भी रखे जायें तो कोई हर्ज की बात नहीं है।

इस सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि खास तौर से जो बंगला देश के नौजवान आए हैं और जो अपने राष्ट्र की आजादी के लिए अपने प्राण देना चाहते हैं, उनकी भी एक वालंटियर फोर्स अपने देश में हम बनायें तो कोई गलत बनायें नहीं है। जहां वह अपने देश में ट्रेनिंग ले रहे हैं, हजारों की तादाद में वहां इस देश में भी ऐसा करना चाहिये ताकि उनको ट्रेनिंग दी जा सके और उनकी सुरक्षा का जो सवाल है वह पूरा हो सके।

एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि यह जो फारेन ट्रिप्स हैं आफिशियल्स की वह बन्द करनी चाहियें। यह जो बड़ी-बड़ी एजेंसीस हैं फोर्ड फाउंडेशन है, एशिया फाउन्डेशन को बन्द किया, मोरार जी ने इस हाउस में माफी मांगी कि मैं तो गलती से इसका मेम्बर था, कई ऐसी विश्व-पर्यटन की एजेंसीस हैं मैं चाहता हूँ कि सरकार उनके ऊपर खासतौर से ध्यान दे और जो विदेशों के भो ऐडवाइजर्स आते हैं उनसे हमारा देश तंग आ चुका है। एक विभाग में चार सौ विदेशी ऐडवाइजर्स हैं। उनका कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में कमी नहीं है।

सभापति महोदय, प्रिवी पर्स के सिलसिले में अभी एक राजा साहब ने बहुत करुणा कहानी कही। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस वक्त हम आनरेबल सेटिलमेंट उनसे करना चाहते थे, हमने हरचंद कोशिश की तो

तब उनको इन लोगों ने गुमराह कर दिया कि यह इंदिरा गांधी की सरकार तो दो मिनट में जा रही है, हमारी सरकार आ जाएगी तो प्रिवी पर्स दुगुना तिगुना हो जायेगा। तुम क्यों सेटिलमेंट कर रहे हो? मैं यह कहता हूं कि अगर आज इनके अधिकार नहीं खत्म किये गये तो देश की जनता आन्दोलन शुरु कर देगी। वह आज इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनके यह चौकीदार भी जनता में जाकर उनके लिये नहीं कह सकते। जनता में गये तो उनकी जमानतें जब्त हो गई। इसलिये प्रिवी पर्स और प्रिवीलेजेज को इसी बार और इसी सदन में खत्म करना चाहिये। यह बहुत जरूरी है और उसमें हम और ज्यादा इन्तजार नहीं कर सकते।

एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो बडे-बड़े अखबार हैं जो इनके बड़े-बड़े मालिक हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको इन मालिकों से अलग कर देना चाहिये। यह गोयनका वगैरह जो बड़े-बड़े लोग है जब कभी राष्ट्र पर संकट आया, देश की स्वतन्त्रता को खतरा आया या जैसे यह एमर्जेंसी अभी आने वाली है, तो इन्होंने कभी देश का साथ नहीं दिया। यह जो पी० टी० आई० है लाखों रुपया हम इनको देते हैं और यह जो रायटर को पैसे देकर उनसे गालियां खरीदते हैं। हमें अपनी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी बनानी चाहिये और जो उनके एजेंट यहां बैठे हैं उनको निकालना चाहिए। एक कमीशन बिठाकर उनकी एन्क्वायरी करानी चाहिये। इन बड़े-बड़े अखबारों के जरिए जितना देश की प्रगति को नुकसान पहुंचाया गया है वह और किसी के जरिये नहीं पहुचाया गया।...(व्यवधान)...जनसंघ इनका प्रतीक है। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री मूलचंद डागा (पाली): सभापति महोदय, जब पुलिस की बात करते हैं तो मुझे गावों की याद आती है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आपके पुलिस विभाग से जनता आज तक संतुष्ट नहीं है, आज लोगों का विश्वास पुलिस में जमा नहीं है। यह मानी हुई बात है कि जब हम पुलिस की बात करते हैं तो हमारे गांव के लोगों पर आतंक, भय और दुख का भाव बना रहता है। हमने कई बार भूमि सुधार के कानून के मामलों में देखा है कि जब कभी आप की पुलिस को इंट्रक्शन्ज निकलते हैं कि गांव के लोगों के छोटे-छोटे मुकदमों में सहयोग दीजिये, गांवों में जितने मुकदमात होते हैं, उनमें पुलिस विभाग कभी मदद नहीं देता है। यही कारण है कि जनता का विश्वास पुलिस से उठ गया है और पुलिस इस बात को मानती है कि जनता का सहयोग उसे नहीं मिलता है। चाहे जितने "मे आई हैल्प यू" के बोर्ड लगे हों, काफी बड़ी रकम पुलिस पर खर्च करने के बाद भी आप जनता में पुलिस का विश्वास पैदा नहीं कर पाये हैं। मैजिस्ट्रेटों ने अनेकों बार पुलिस के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं, लेकिन क्या कभी कोई एक्शन उनके खिलाफ होता है।

अदालतों की हालत भी आज इसी तरह की हो गई है—दिल्ली के अदालतों के बारे में मैं अखबार पढ़ता हूँ—हमारे मैजिस्ट्रेट की क्या हालत है, हमारे जजेज की क्या हालत है, लीगल कोर्ट्स में जहां हम न्याय चाहते हैं, वहां न्याय नहीं मिलता है। आज न्याय भी मंहगा हो गया है, सस्ता नहीं रहा है। जब हमें न्याय नहीं मिलता, पुलिस भी हमारी मदद नहीं करती तो फिर आप इस देश के नागरिकों की रक्षा कैसे कर सकते है?

एक बड़ा सवाल आज देश के सामने यह है कि जिन कोर्टों से हम न्याय लेना चाहते हैं, उन कोर्टों से हमारी भाषा में न्याय नहीं मिलता। आज जो हमारे कानून हैं, उनकी भाषा हमारी भाषा नहीं है। आज लोग चाहते है कि हमारी बोलचाल की भाषा में, हमारी हिन्दी भाषा में हमें न्याय मिले, उनको न्याय अपनी भाषा में नहीं मिलता है और हमारे सारे कानून उन भाषाओं में हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं,

[श्री मूलचन्द डागा]

हमारे साधारण लोग समझ नहीं पाते हैं। आज इंगलिश की पढ़ाई इसीलिये जरूरी है कि यह जनता के शोषण का साधन बन गई है, यह हमारे गांवों के लाखों-करोड़ों लोगों का शोषण करने का तरीका बन गई हैं, अंग्रेजी भाषा में बोलकर, कुछ वकील लोग बात करके, जनता के शोषण का तरीका चल रहा है। हमारा अपना डिपार्टमेंट हिन्दी की हिमायत तो करता है, लेकिन संविधान बनने से लेकर आज तक इस रास्ते में कोई प्रगति नही हुई है। आज भी हिन्दी की हिमायत करने वाले लोग दुनिया को धोखा देने के लिये, लाखों करोड़ों लोगों को धोखा देने के लिये अंग्रेजों में बात करना गौरव समझते हैं। दूसरे देशों के लोग अपनी बात अपनी भाषा में करते हैं और उसमें स्वाभिमान अनुभव करते हैं, लेकिर हमारे देश के लोग अपनी भाषा में बोलने के बजाय अंग्रेजी भाषा में गौरव समझते हैं और इसी कारण उनको देश में ऊंचे पद मिलते है। हाई कोर्टों में जजमेंट्स अंग्रेजी मे आते है, उन जजमेंट्स मे कुछ नही होता है, पिछले जजमेंट्स की नकल ही करते है, न अपने दिमाग से कुछ सोच सकते है और न कोई वकील ही बात करते हैं, लेकिन अगर अपनी भाषा मे बोले तो सही और सच्ची बात न्यायालयों म हो सकती है, संक्षेप में कह सकते है। लेकिन यह तो आज शोषण का एक तरीका बन गया है कि हम दूसरी भाषा को अख्तियार करें और दुनिया का शोषण करें, इसी कारण ये अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग लाखों-करोड़ों लोगों का शोषण करने के लिये अपनी भाषा को बोलना नहीं चाहते हैं।

23 साल की आजादी के बाद भी अदालतों में न्याय नहीं मिलता, सस्ता न्याय नहीं मिलता उच्च न्यायालय और अदालतों में भी भ्रष्टाचार पनप गया है। ऐसा भ्रष्ट हिन्दुस्तान कैसे जी सकता है। गरीब हिन्दुस्तान ने आजादी हासिल कर ली, लेकिन जो हिन्दुस्तान भ्रष्ट हो चुका है, जिसका न्यायालय भ्रष्ट हो चुका है, जहां हाई कोर्टों में भ्रष्टाचार चलता है, इन कोर्टों में हम लोग न्याय नहीं पा सकेंगे। 23 साल से हम इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमारी अपनी भाषा में न्याय होगा, कानून सरल भाषा में होंगे जिसे लोग समझ सकें—लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है।

अभी एक वकील साहब ने हाई कोर्ट की बात की—उन्होंने कहा कि जयपुर में हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिये। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह सवाल ही नहीं था। जब राजस्थान बना था, उस समय बड़ा सोच-समझ कर निर्णय लिया गया कि राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में होगा, जगह-जगह हाई कोर्ट बनाकर खर्चा बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। आखिर राजस्थान की पापुलेशन कितनी है, कियने मुकदमात होते हैं। ज्यादा मुकदमात तो डिस्ट्रिक्ट लेबल तक ही होते हैं, लेकिन वकील साहब यहां आये और उन्होंने अपने इलाके की वकालत कर दी और जोश में आकर कह कर चले गये। उस समय बड़ी छान-बीन के बाद निर्णय हुआ था कि जयपुर में राजस्थान का कैपिटल रहेगा और जोधपुर में हाई कोर्ट रहेगी—इस निर्णय में परिवर्तन की क्या आवश्यकता है।

जब मैं यहां पर पुलिस की बात कहता हूं—तो कौन नहीं जानता कि थानेदार बनना सब पसन्द करते हैं ताकि हजारों रुपया कमा सकें। कोई भी सर्किल इन्स्पैक्टर नहीं बनना चाहता, सब थानेदार बने रहना पसंद करते हैं। आज इन्वेस्टीगेशन्ज की हालत को देख लीजिये, हमारा पुलिस विभाग और प्रासीक्यूशन का जो तरीका है—उसमें क्या हो रहा है। मैंने पाली में देखा है, इतने कत्ल के केस हुए आम बाजार में कत्ल किये गये लेकिन आज तक उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सका। यह बड़े दुख की बात है, हम पर इतना टैक्स

लगाने के बाद, हमसे इतनी रकम वसूल करने के बाद भी आप हमको सुरक्षा नहीं दे सकते, पुलिस का आतंक बना रहता है, भय बना रहता है, बड़े-बड़े लोग भी उनसे डरते हैं, बिना मतलब के डरते है और आप उनको न्याय नहीं दे सकते।

हमने कई बार इस पर सोचा —हम आप से दो चीजें चाहते हैं—सबसे पहले तो न्याय चाहते हैं, लेकिन आज न्याय किसको मिलता है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास बड़े-बड़े वकील करने की सामर्थ्य है। तो इसका मतलब यह हुआ कि न्याय तो पैसे वालों के पास रहता है। जिनके पास दौलत है, जिनके पास पैसा है, ये कानून और नियम सब उन्हीं लोगों के लिये हैं और हक छीना जाता है हम जैसे कंगालों का। गरीब को मारने के लिये कानून एक जाल है, जिसमें बड़े-बड़े वकील जीत जाते हैं और गरीब मुंह देखता रह जाता है।

हमें अपने कानूनों में परिवर्तन करना होगा। आपका सिविल प्रोसीजर कोड, आपका क्रिमनल प्रोसीजर कोड, आपके आई० पी०सी० के सैक्शन्ज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर इन्हीं की मदद से राज को चलाना है तो 25 साल चला लो, 30 साल चलालो, 40 साल चला लो, लेकिन जनता को संतोष नहीं होगा। चेयरमैन साहब, आप भी बड़े अच्छे एडवोकेट हैं, आप जानते हैं कि प्रोसीक्यूशन में कितने अच्छे अच्छे मुकदमात भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि आज उनकी पेरवी करने वाला कोई नहीं है। आपको प्रोसीक्यूशन इंसपैक्टर लो-पैड आदमी होता है, वह आते ही सबसे पहले रिश्वत की बात करता है। इन सारी बातों को जानते हुये भी यहां पर कहना अच्छा नहीं लगता है। यहां चाहे जितनी ऊंची-ऊंची बातें कर लें, सुप्रीम कोर्ट की बातें करें, पार्टी की बात करें, लेकिन गांव का रहने वाला अगर थाने में जाता है तो उसकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती है। जिन लोगों का वास्ता पुलिस से पड़ा है, वे आज यही कहते हैं कि भगवान करे पुलिस से कभी वास्ता न पड़े। ऐसी हालत में आप मुझे बताइये कि 24 साल के बाद भी हम अपने पुलिस विभाग को नहीं सुधार सके, उसकी गल्तियों को नहीं रोक सके, उसके आतंक को कम नहीं कर सके, तो फिर हमने क्या किया ?

17.00 hrs.

मैंने यहां आकर पढ़ा कि दिल्ली की अदालतों में तो गवाह भी किराये पर मिल जाते हैं। 10 रु०, 50 रु०, 100 रु० में चाहे जैसी गवाही दिलवा लो, जब हमारी अदालतों में ही न्याय नहीं रहा, पुलिस में न्याय नहीं रहा तो फिर हम क्या उम्मीद करें, आप किस तरह से गरीबों को न्याय देना चाहते हैं...

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति महोदय, इतना सुन्दर भाषण हो रहा है, लेकिन मन्त्री महोदय बातों में लगे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं।

गृह-मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन) : मैं सुन रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आज 447 में केसेज होते है, अगर किसी गरीब काश्तकार की जमीन का मुकदमा होता है और वह गरीब पुलिस के पास जाता है तो पुलिस कहती है कि हम तुम्हारा मुकदमा रजिस्टर करने को तैयार नहीं हैं। क्योंकि वह गरीब है, उसके पास पुलिस से मिलने की ताकत नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं—कितने मुकदमात ऐसे हैं, जिनमें 107, 109 और 110 में पुलिस ने हजारों-लाखों लोगों को पकड़ कर जेल में ठूंस दिया है। वे गरीब लोग जो निर्दोष हैं, जिनको रोटी नहीं दे सकते, जो भूखे हैं, उनको हैबिचुअल-आफेण्डर कह कर जेलों में ठूंस दिया जाता है। इसलिए आज कानून में रद्दोबदल की जरूरत है, समय के साथ कानून को बदल दो, लेकिन न मन्त्री महोदय को फुर-

[श्री मूलचन्द डागा]

सत है और न डिपार्टमेंट को फुरसत है। वह यही समझते हैं कि जितना समय निकल जाये, उतना अच्छा है, उनकी मिनिस्ट्री निकल जाये तो अच्छा है, वक्त गुजरा काम खत्म हुआ। इससे नहीं होगा। सवाल है कि आप हिन्दुस्तान में तब्दीली चाहते हैं या नहीं? आपके जो कानून हैं उसमें जैसे सिविल प्रोसीजर का केस या मकान खाली कराने का केस है उसको आप कितने साल तक चलाना चाहते हैं? 15 साल में तो मुकदमा लड़ने वाला ही मर जायेगा मैं कहता हूं कि बीस-बीस साल तक मुकदमे का डिस्पोजल नहीं हो पाता है। इसके अलावा आप कोर्ट्स की फीस बढ़ाते जाते हैं। ये सारी बातें हैं। तो जिस राज्य में लोगों को न्याय न मिले वहां पर क्या आशा की जा सकती है कि देश आगे बढ़ेगा। आदमी सबसे पहले इंसाफ चाहता है। जब आप इन्साफ भी नहीं दे पाते तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि हमें और क्या मिलेगा। जनता आपसे इंसाफ मांगती है। आप इमानदार लोगों को मैजिस्ट्रेट बनाइये। मैं पूछता हूं कि आज तक आपने कितने मजिस्ट्रेटों का चालान किया और कितने पुलिस अफसरों को जेल में पहुंचाया? आज देश में पुलिस के लिए लोगों में कोई श्रद्धा नहीं रह गई है क्योंकि पुलिस में जनता के प्रति कोई सेवा की भावना नही है बल्कि उसकी भावना जनता का शोषण करने के लिए होती है। आज एक पुलिस का थानेदार रिटायर होने के बाद गांव में सरपंच या प्रधान बनता है और अपनी शक्ति की भावना से ही राज करता है। अगर आप जनता में लोकतंत्र की भावना पैदा करना चाहते हैं तो वह भावना तभी पैदा हो सकती है जबकि वह अपने को आजाद महसूस करेगा। इसके साथ आपको समाज में जीवन के मूल्यों में परिवर्तन करना होगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मैं गृह मन्त्रालय की मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमने उम्मीद की थी, पिछले चुनावों के बाद हिन्दुस्तान की जनता को आशा दिलाई गई थी कि गरीबी मिट जायेगी और जनतन्त्र को मजबूत किया जायेगा जनतन्त्र को विस्तृत किया जायेगा, भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया जायेगा और एक नये समाज की रचना की जायेगी—यह विश्वास जनता को दिलाया गया था और जनता ने यह विश्वास किया भी था लेकिन गृह मन्त्रालय के बजट में किसी भी बात की झांकी नहीं मिलती है। अगर इसमें कुछ है तो वह यह कि हिन्दुस्तान में पिछले 23 सालों से पूंजीपति वर्ग का जो क्लास रूल है, वर्ग शासन है उसको मजबूत करने की बातें कही गई है। इसलिए पुलिस को बिल्कुल निरंकुश बना दिया गया है, उसे ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, आन्तरिक सुरक्षा के नाम पर नया कानून बनाया गया है और दूसरे दमनात्मक कानून बनाने की बात चल रही है। इन सब बातों से, हमने जो उम्मीद की थी वह उम्मीद पूरी नहीं होगी, गरीबी तो नहीं ही मिटेगी और हम जनतन्त्र को भी विस्तृत नही कर सकेंगे, उसे जनता तक पहुंचा नही सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जनता की आशायें, आकांक्षाये पूरी हों तो सबसे पहले, जो मौजूदा संविधान है जिसमें आपने पंजीपति वर्ग को और सम्पत्ति रखने वालों को असीम अधिकार दे रखे हैं, उनके अधिकारों को तोड़ना होगा, उनके व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को सीमित करना होगा। तभी हम सही मायनों में देश में एक नयी व्यवस्था पैदा कर सकेंगे। आप फौरन इसके लिए संविधान में परिवर्तन लाने की बात कीजिए।...(व्यवधान)...यदि आप ऐसा करेंगे तभी आप को कहने का हक हो सकता है कि आप नयी समाज व्यवस्था बनाना चाहते हैं। आपने इसका वायदा चुनाव के समय में किया था।

इतना ही नहीं, जब तक आप संविधान में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक बिना मुआविजे के प्रीवी पर्स को समाप्त करने में भी आपको कठिनाई होगी। आप राजाओं की थैली और उनके विशेषाधिकारों को समाप्त कीजिए। आप आई० सी० एस० अफसरों के विशेषाधिकारों को भी समाप्त कीजिए और पुलिस के निरंकुश अधिकारों को कम कीजिए तथा साथ ही जनता की बातों को समझने की कौशिश कीजिए, उनकी मांगों को समझने की कोशिश कीजिए। केवल यह कह देने से काम नही चलेगा कि समाज में अराजकता है और ला ऐंड आर्डर गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? इसलिए गड़बड़ है कि आप आम जनता की भावनाओं को लेकर चलना नहीं चाहते हैं। अगर आप उनकी भावनाओं को लेकर चलना चाहते है तो जाहिर बात है कि मौजूदा पूंजीवादी समाज के घरोंदे में जो आपने अपने को कैद कर रखा है उससे निकले बिना आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि इस देश में जो साम्प्रदायिक तत्व हैं, साम्प्रदायिक दल है, संगठन है उन पर आप नियंत्रण नही कर पाते हैं। कहने के लिए तो हमारे आर० एस० एस० के भाई कहेंगे कि हमारा सांस्कृतिक संगठन है...(व्यवधान)... लेकिन पिछले चुनाव में मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि लाठी और बम लेकर वे लोग जनसंघ के उम्मीदवार के लिए वोट इकटठा कर रहे थे। क्या वोट इकट्ठा करना सांस्कृतिक काम है? लेकिन संस्कृति के आड़ में ये देश में फासिस्ट निजाम बनाना चाहते हैं, देश में हिन्दू, मुसलमान सिख, ईसाई—सभी को लड़ाकर इस देश का बंटाधार करना चाहते हैं। इस तरह के जो लोग हैं—चाहे वे जनसंघी हों, आर एस० एस० के हों, जमायते इस्लामी के हों, या शिव सेना के हों—जोकि एक जाति और दूसरी जाति के बीच में घृणा की भावना पैदा करना चाहते हैं उनको रोकने के लिए आपको सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे और आर० एस० एस०, जमाअते इस्लामी, शिव सेना, इन सभी पर आपको पाबन्दी लगानी होगी। बिना पाबन्दी लगाये हुए आप इस देश की सुरक्षा को मजबूत नहीं कर सकते हैं और न देश को आत्म-निर्भर ही बना सकते हैं।...(व्यवधान)...

श्री हुकम चंद कछवाय : इस देश में जितनी भी राजनैतिक एवं अन्य हत्यायें हुई हैं उनकी जिम्मेदारी साम्यवादी दल के सिर पर हैं।...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : शास्त्री जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : गवर्नमेंट कहती है कि नक्सलवादियों का बड़ा खतरा हैं तो यह बात ठीक है, उनका रास्ता बहुत गलत है और वह देश में चल नहीं सकता है लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की बातें देश में क्यों होनी हैं? आप किसानों को जमीन देते नहीं हैं, मजदूरों की समस्याओं का समाधान करते नहीं हैं, जनतांत्रिक तरीके से आप देश को चलाना नहीं चाहते हैं इसी वजह से इस प्रकार के तत्व इस देश में उभरते हैं। आप असली मर्ज की दवा करते हैं नहीं हैं और ऊपर-ऊपर सें दवा करने से कोई काम चलने वाला नहीं है।

सभापति जी, यह ठीक है कि देश की सम्पर्क भाषा हिंदी होनी चाहिए लेकिन हिंदुस्तान की जितनी भी भाषायें हैं जोकि हमारे शेड्यूल सें लिखी हुई हैं वे तमाम राष्ट्र की भाषायें हैं और सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आज क्या होता है? उर्दू को आप दबाते हैं, उसको संरक्षण नहीं देते। हमारे सूबे में यूनिवर्सिटीज में उर्दू में, बंगला में, उड़िया में लिखने वाले जो विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकायें लिखते हैं उन पर पाबंदी लगायी जाती है कि नहीं तुम्हें एक ही भाषा में लिखना होगा। वह हिंदी के विरोधी नहीं हैं। हिंदी का पर्चा हिंदी में

[श्री रामावतार शास्त्री]

लिखते हैं, लेकिन दूसरे पत्रों को अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं लेकिन उनको ऐसा करने की अनुमति नहीं है। क्या इससे हमारे देश में सेक्युलरिज्म और आपसी एकता मजबूत होगी ? नहीं, इससे झगड़े बढ़ेंगे।

जिन सरकारी कर्मचारियों ने आज से तीन, चार साल पहले हड़ताल की थी उनमें से सबको आपने काम पर नहीं लिया और अब भी उन पर मुकदमे चल रहे हैं। 1500 लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं। उन पर से मुकदमा उठाने में आप को क्या दिक्कत है ? दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के ऊपर से आपने मुकदमे उठा लिए, बड़ा अच्छा किया। अब आप खोसला कमीशन की रिपोर्ट को लागू कीजिये, कमीशन द्वारा मन्ज़ूर किये गये वेतनमानों को लागू कीजिये, उनके लिए रहने की व्यवस्था कीजिये, उनकी दूसरी कठिनाइयों को दूर कीजिये। तभी आप आगे बढ़ेंगे।

प्रिवी पर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट को समाप्त करने की बात नहीं कहता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद को बढ़ाइये ताकि जो पूंजीपतियों की चाकरी करने वाले जज हैं, जो वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं ऐसे जजों को मनमानी करने का मौका नहीं मिले। इसलिए जरूरत है कि पूरी व्यवस्था में परिवर्तन कीजिये, उनकी संख्या को बढाइये तभी आप जनता को सस्ता न्याय दे सकते हैं तभी जनता को विश्वास होगा। यह काम आपको करना होगा।

आखिर में सभापति जी, रिटायरमेंट की उम्र के बारे में कहना चाहूँगा। रिटायरमेंट की उम्र कम करने की बात कई लोगों ने कही। एक तरफ आप 58 से 55 ले आइये। लेकिन दूसरी तरफ अगर बेकारी की समस्या से आप लड़ना चाहते हैं तो जो हमारे लाखों नौजवान बेकार हैं, जिनको 25 साल के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उनकी उम्र की सीमा आप बढ़ाइये। देश की विशेष स्थिति को देखते हुए उनकी उम्र 25 साल से 28 साल कीजिये।

अन्त में नार्थ बिहार के बारे में कहना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र के विकास के लिये विकास बोर्ड बनाने की बात सरकार ने कही थी। इस पटल पर कागज भी रखे गये थे और प्रधान मन्त्री तक यह बात पहुँचायी गई थी। उस समय यह वायदा हुआ था कि हम इस पर विचार करेंगे। उत्तरी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, वैसे तो बिहार ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन उत्तरी बिहार काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसके विकास के लिये एक बोर्ड का गठन कीजिये ताकि वहां विकास करने में आगे बढ़ा जा सके।

जो आपकी माग है यह मांग इन बातों को पूरा नहीं करती इसीलिये मैं इस मांग का विरोध करता हूँ।

श्री रामधन (लालगंज) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब गृह मंत्रालय की रिपोर्ट हमारे सामने देखने को मिलती है तो हम यह देखते है कि सघ की राजभाषा हिन्दी घोषित होने के बाद भी जितना कदम उसे प्रयोग में लाने के लिये उठाना चाहिये वह नहीं उठाया जा रहा है।

"राजभाषा से सम्बन्धित सांविधानिक उपबन्धों, और राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के कार्यान्वयन तथा संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग के लिए सरकारी नीति तथा कार्यक्रम को तैयार करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है।" लेकिन गृह मंत्रालय के जो आदेश विभिन्न मंत्रालयों को हिन्दी के उपयोग के लिये जाते

हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि बहुत से मंत्रालयों में हिन्दी अधिकारी नियुक्त करने की बात सभी मंत्रालयों में गृह मंत्रालय द्वारा मानी गई थी। लेकिन आज तक सभी मंत्रालयों में हिन्दी अधिकारी नियुक्त नहीं किये जा सके हैं। वैसे ही हिन्दी का प्रश्न, हिन्दी शिक्षण योजना का जो सवाल है हम केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी की शिक्षा देने की योजना कई वर्षों से चला रहे हैं। लेकिन उसमे कोई प्रगति नही हो रही है। न तो हिन्दी टंकण या हिन्दी शार्टहैंड रिपोर्टर्स की जो शिक्षा देने की बात रिपोर्ट में कही गई है उसमें भी ज्यादा प्रगति नही दिखाई देती। यह जरूर है कि जैसे सरकारी आकड़े हम लोगों को भ्रम में डालते हैं वैसे ही कुछ आकड़े हमारे सामने इस रिपोर्ट में गृह मंत्रालय ने प्रस्तुत किये हैं। फिर भी उस से हमे सतोष नहीं मिलता। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि किस तरह से हिन्दी के साथ खिलवाड़ होता है। आप देखेंगे कि विभिन्न मत्रालयो में भारतीय भाषाओ के भी पत्रकार हैं। मैं भी उन भारतीय भाषाओं को समान स्तर पर मानता हूँ। भारतीय भाषाओ के पत्रकारों के साथ बड़ा अन्याय होता है और जो अंग्रेजी के पत्रकार है उनकी तरक्की बहुत शीघ्र हुआ करती है और भारतीय भाषाओ के पत्रकारो के साथ अछूतो का सा व्यवहार होता है जिस से वे बहुत दुखी होते हैं। इसके सम्बन्ध मे कई सालो तक भारतीय भाषाओं के पत्रकारों ने कोशिश की लेकिन कोई वांछित फल अभी तक नही निकला।

हर मत्रालयों से सम्बंधित सूचना अधिकारी होते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आदेश दे दिया गया है कि हिन्दी और अंग्रेजी में विज्ञप्तियां जारी की जायें। लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि कैसा हिन्दी का काम होता हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब कहीं हमारे केन्द्र के मंत्री अथवा प्रधान मंत्री कहीं भाषण करने जाती हैं तो उन का भाषण हिन्दी में होता है और वहां उनके साथ जो अंग्रेजी के सूचना अधिकारी जाते हैं वह अपनी अंग्रेजी में भाषण तैयार करते हैं और उसका फिर आ करके आकाशवाणी में सूचना मंत्रालय में हिन्दी में अनुवाद होता है। यह नहीं कि जो मूल भाषण है चाहे हिन्दी में हो, उर्दू में हो, चाहे हिन्दुस्तानी में हो उसकी रिपोर्ट मूल भाषा में ही तैयार की जाय। लेकिन ऐसा न करके उस की रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा में होती है। उसके बाद आ कर के उस का जो अनुवाद होता है आकाशवाणी और दूसरी जगह पर वह हिन्दी में होता है। यह कितनी हास्यास्पद बात है। यह किस तरह का खिलवाड़ हमारी राजभाषा के साथ किया जाता है।

उच्च न्यायालय में हिन्दी के प्रयोग की बात रिपोर्ट मे कही गई है। लेकिन आप जानते हैं, जैसा हमारे साथी माननीय मूल चन्द डागा ने कहा, कि हिन्दी भाषा की कितनी उपेक्षा न्यायलयों में की जाती है। हम तो यह जानते हैं कि आज जो हमारी न्याय प्रणाली है उसमें इसलिये दूसरी भाषा में कामकाज चलता है कि जो देश का नागरिक है वह उस भाषा को न समझ सके और जो बीच के लोग हैं वकील आदि या अन्य दूसरे लोग, वह उसको बेवकूफ बना सकें। मैं तो कहता हू कि यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि इतने दिनो की आजादी के बाद इस स्थिति मे कोई सुधार नही हो रहा है। बल्कि जो लोग हिन्दी में अपना निर्णय करते हैं, चाहे छोटी अदालतें हों, चाहे उच्च न्यायालय में हों, उनकी हसी उड़ायी जाती है। जब तक हमारी विचारधारा में परिवर्तन नहीं होगा तब तक यह बात खत्म नही होगी।

इसके साथ-साथ हमारे उत्तर भारत में उर्दू जबान का प्रश्न है। हमारे नेताओं ने उर्दू जबान की उन्नति के लिये बहुत आश्वासन दिये लेकिन उर्दू जबान की शिक्षा दीक्षा के

[श्री रामधन]

लिए उचित व्यवस्था अब तक नहीं हो पायी है।

जन गणना की रिपोर्ट की भी चर्चा इस में की गई है। इस सम्बन्ध मे मैं एक बात कहना चाहता हूं। गिरिजन और हरिजन जो हैं उनकी ठीक प्रकार से जन गणना नही की जाती है। लेखपाल लोग या दूसरे जन गणना करने वाले जो कर्मचारी हैं वे कही बैठ कर, किसी प्रधान या दूसरे के घर मे बैठ कर रिपोर्ट तैयार कर देते है और घर घर जा कर गिनती नही करते हैं। वैसी स्थिति में गिरिजन और हरिजन भाइयो के सम्बन्ध मे यह काल्पनिक बात हो जाती है, सही तौर पर उनकी सख्या कितनी है, यह सामने नही आ पाता है, सही जानकारी जो आप प्राप्त करना चाहते है, वह आप को नही मिल पाती है।

रिपोर्ट मे स्वतन्त्रता सेनानियो को पेंशन देने की बात भी कही गई है। आप स्वय भी एक महान स्वतन्त्रता सेनानी रहे है। आप अन्दमान की सैल्यूलर जेल मे रहे है। अब यहा पर शर्त यह लगा दी गई है कि सैल्यूलर तथा भारत की किसी भी जेल मे जो पाच साल तक रहा होगा उसको पेंशन दी जाएगी। मै चाहता हू कि इस अवधि को हटा दिया जाये। अन्दमान निकोबार आइलैंड जिस को काला पानी कहा जाता था, वहा की सैल्यूलर जेल मे जो एक बार हो आया, जेल काट आया उसको भी पेंशन मिलनी चाहिये और यह जो अवधि की शर्त लगाई गई है, उसको हटाया जाना चाहिए। हर एक स्वतन्त्रता सेनानी को जिसने स्वतन्त्रता सग्राम मे भाग लिया था, बलिदान किया था, अपनी सम्पत्ति आदि न्योछावर की थी, नुकसान उठाया था, यह सहायता मिलनी चाहिए।

मैं यह भी चाहता हू कि जो भारत के बाहर की जेलों में रहे हैं, उनको भी यह सुविधा मिलनी चाहिए और इसे आपको तत्काल स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें कोई हिच-कचाहट नही होनी चाहिए।

राज्य सरकारों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को जो पेंशन दी जाती है वह बहुत थोड़ी दी जाती है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार उस मात्रा को बढाने का प्रयत्न करे। राज-नीतिक पीड़ितों को अधिक से अधिक पेंशन दी जानी चाहिए।

गृह मत्री के विवेकाधीन कोष से भी कुछ राजनीतिक पीडितो को सहायता दी जाती हैं। मै मत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कभी कभी तो बहुत ही कम सहायता दी जाती है और यह ऐसी होती है जो बहुत ही हास्यास्पद प्रतीत होती है। आपको चाहिए कि आप उचित मात्रा मे उनकी सहायता करे, उचित धन राशि उसको दे। आपने राजनीतिक पीडितो की लडकियो की शादी के लिये सहायता देने की बात कही है। यह जो राशि आप देते है, इसको आपको चाहिये कि आप बढाये। साथ ही साथ जो पुरानी पेंशन दी जाती है उनकी राशि को भी बढाया जाना चाहिए, ज्यादा पेंशन लोगों को दी जानी चाहिए।

पुलिस और लोक सुरक्षा के सम्बन्ध मे मैं एक बात कहना चाहता हूं। सब से बड़ी बात आज पुलिस के बारे मे यह कही जाती है कि वह अपने कर्त्तव्यो का पालन ठीक प्रकार से नही करती है। आप कहेगे कि केन्द्र मे इस का सम्बन्ध नही है। लेकिन जो लोक सुरक्षा की बात है, पब्लिक सिक्योरिटी की बात है, उससे आप अपने को अलग नही कर सकते हैं, अपने उत्तरदायित्व से आप वचित नही हो सकते है। आपने सीमा सुरक्षा दल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल और खुफिया विभाग आदि कायम किये हैं। ये आपके अंतर्गत आते हैं। ये सभी दल आपने इस वास्ते बना रखे हैं ताकि शान्ति और

व्यवस्था बनाई रखी जा सके। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को जो संरक्षण दिये गये हैं, उनकी रक्षा के लिये पुलिस दल कभी काम करता है? जब परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो एक नया दल आप संगठित कर देते है। पिछले आम चुनावों मे आपने वादा किया था कि हरिजनों आदि पर जो अत्याचार हो रहे है उनको आप बन्द करेंगे। लोगो ने आपको अपना समर्थन प्रदान किया। अब आपका यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे है, उन्हे आप तुरन्त बन्द करायें। आप हमे आर्थिक सहायता न दें, उद्योग धन्धे चलाने के लिये जो आप हमें सहायता देते हैं, वह आप न दें लेकिन हम से जो जबर्दस्ती काम कराया जाता है, उसको आप बन्द करायें। हमे मजदूरी करने की स्वतंत्रता नही है। देहातो मे क्या होता है? अगर कोई मजदूर अपनी मर्जी के मुताबिक कही शहर में जाकर काम करने की कोशिश करता है तो उसके घर को उजाड़ दिया जाता है, उसके परिवार के लोगो पर जुल्म ढाये जाते है, उसके ऊपर तरह तरह के सार्वजनिक अत्याचार होते है और यहां तक होता है कि उनको कत्ल कर दिया जाता है। 23 साल की आजादी के बाद भी हरिजनो का आज यह हाल है। हम आपसे आर्थिक सहायता नही चाहते। हम केवल यह चाहते हैं कि हमें मजदूरी करने की स्वतंत्रता हो, जहां हमें पैसा अधिक मिले वहां जाकर हम मजदूरी कर सके। जो अत्याचार हम पर हो रहे हैं क्या इसको आपने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के नोटिस में लाया है और उन से कहा है कि वे इनको रोकने का प्रयत्न करें, राज्यों के पुलिस मन्त्रियो के नोटिस में लाया है? जिन पर अत्याचार होते हैं उन की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है, उनके मुकदमों की पैरवी तक नहीं हो पाती है। इन दीन हीन गरीब लोगों को तरह-तरह के मुकदमों में फंसाया जाता है। पुलिस विभाग रोज झूठे मुकदमों में इनको फंसाता है। लेकिन आप कभी भी इन बातों पर ध्यान नही देते हैं। फिर आप कहते हैं कि नक्सलवादी और उग्रवादी देश में बढ़ते जा रहे हैं। नक्सलवादी और उग्रवादी क्यों नहीं बढ़ेंगे? अगर यही स्थिति देश की रही तो यकीन रखिये कि आदमी मजबूर हो कर नक्सलवादी बनेगा, उग्रवादी बनेगा। जब लोग गाड़ी मे चलते है, मार खाते है या दूसरी जगह जा कर मार खाते है तो मजबूर हो कर उनको कहना पड़ता है कि घबराओ नही, दस साल मे नक्सलवाद आने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि सही मानो मे जब तक आप गरीबी नही हटायेंगे तब तक नक्सलवाद, उग्रवाद की जो विचारधारा देश में फैल रही है, उसका मुकाबला आप नही कर सकेंगे। आपको उसके समकक्ष या उससे भी अच्छी व्यवस्था समाज में स्थापित करनी होगी। जब तक आप समाजवादी व्यवस्था सही मानों में कायम नही करेंगे तब तक यह नक्सलवाद और उग्रवाद का जोर देश में बढ़ रहा है उसे आप खत्म नहीं कर पायेंगे। इन बातों पर आपको ठंडे दिल से गौर करना होगा।

आम चुनाव में जो घटनायें घटी हैं, उनको लेकर चिन्ता व्यक्त की जाती है। जो दंगे होते हैं या व्यवधान उपस्थित होते हैं, उनकी भी निन्दा की जाती है। लेकिन आप देखें कि 23 वर्ष की आजादी के बाद भी हरिजन आज अपनी मर्जी के मुताबिक वोट नहीं डाल पाता है, उसे मतदान केन्द्र पर जाने से लोग रोकते हैं। आप की हिम्मत नहीं होती है कि आप ऐसी व्यवस्था कर सकें कि मतदान केन्द्र पर जाने की उसको छूट हो और अपनी मर्जी के मुताबिक वह वोट दे सके और जो हक उसको संविधान द्वारा प्राप्त है, उसे वह काम में ला सके। आप जो संतोष प्रकट करते हैं वह बिल्कुल थोथा है। बहुत से बेचारे गरीब मारे डर के चुनाव में वोट देने नहीं आ सके हैं और

[श्री रामधन]

उसकी रिपोर्ट भी नहीं कर पाए हैं। नतीजा यह हुआ है कि आप गुलफाईल हो कर बैठ गए हैं।

सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार है, उसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी कोई तरक्की नहीं हो सकती। साम्प्रदायिकता के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1969 में 519 साम्प्रदायिक दंगे हुए और 1970 में 531 साम्प्रदायिक दंगों की घटनायें घटीं और उन्हें रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। लेकिन जब तक साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा, तब तक साम्प्रदायिक दंगे नहीं रोके जा सकते। जब कहीं साम्प्रदायिक दंगा हो जाता है, तभी हमारा प्रशासन जागता है। उससे पहले उसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किये जाते हैं। इस लिये साम्प्रदायिक संगठनों पर तुरन्त पाबन्दी लगनी चाहिए।

कुछ साम्प्रदायिक संगठन कहते हैं कि हमारा सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन वे राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। आप जानते हैं कि जनसंघ के लोग कहते हैं कि आर॰ एस॰ एस॰ एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन जनसंघ में जो तत्व बाहर से आये थे, उन को आर॰ एस॰ एस॰ के तत्वों ने बाहर निकाल दिया और अब केवल आर॰एस॰एस॰ के तत्व जनसंघ में हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह बात गलत है।

श्री रामधन : यह बिल्कुल सही है। जनसंघ में जो आर॰ एस॰ एस॰ वाले हैं, वही मेम्बर हो सकते हैं, वही चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन से जनसंघ में शामिल होता है, तो उस को कोई स्थान नहीं मिलता है। इस लिये यह कहना गलत है कि आर॰ एस॰ एस॰ एक सांस्कृतिक संस्था है। वह एक राजनैतिक संस्था है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह उस का कोई उदाहरण दें।

आघ॰

PROF. S. L. SAKSENA (Maharajganj) : Sir, some days back there was a discussion in the House about the treatment Government was meting out to freedom fighters and the hon. Home Minister had assured that he would look into the matter. Sir, I would like to point out that on page 32 of the demands of the Home Ministry, the provision made under this head for the whole year 1971-72 is Rs. 10 lakhs. The amount actually spent in 1970-71 under this head is zero. For the Privy Purses the provision is about Rs. 5 crores.

Sir, I wish to state before the House that the manner in which the freedom fighters have been or are being treated by our Government is shameful. They have fought for the freedom of the country, and sacrificed their all but what is given to them ? Some of them are given Rs. 25 or Rs. 40 per month by some State Governments to keep them alive. Sir, in every country its freedom fighters are honoured and respected and positions of honour are given to them. But, here, in all the 23 years of our freedom, we have provided an amount of just Rs. 10 lakhs only this year for political pensions to freedom fighters. In 1969-70 it was nil. This year it is Rs. 10 lakhs. So as a result of some discussion in the House, the amount under this head has risen from zero to Rs. 10 lakhs.

Sir, this is a very important matter. There must be lakhs of freedom fighters in this country and we should not humiliate and insult them by providing just Rs. 10 lakhs for their pensions for the whole year.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj) : That condition is there that only those who have put in a minimum of 5 years in jail are eligible for this pension.

PROF. S. L. SAKSENA : That means Rs. 100 per freedom fighter per year or Rs. 8 per month. Is that not an insult and humiliation to them ? You are providing Rs. 5 crores for privy purses to the Princes but, for freedom fighters, there is only Rs. 10 lakhs. Last year not a single pie was provided. This year the Budget provision is Rs. 10 lakhs. Is that not shameful and humiliating ?...(*Interruptions*) I have given a Bill which will be coming probably in this session in which I have asked the Government to appreciate the sufferings of the freedom fighters properly and to give them due honour and provide for proper pension. The sort of pension which is given at present is simply humiliating and insulting.

I want to tell something about the pensioners, who are old Government employees. The cost of living is increasing every day. You have increased the dearness allowance of all other Government servants, but in the case of the poor pensioners, you have not increased their pension even by a single paisa. You have not given any increment in their pensions to pensioners. Their pensions should also be increased in proportion to increase in dearness. It is very hard on them. They have served all their lives in the Government. Now you give pensions which are not enough to keep their body and soul together. Therefore, the pensions of those who are old Government employees should be revised, in accordance with the dearness allowance now prevailing.

About Police, I want to say something. It is very humiliating in our country to see that the public regard policeman with suspicion. In England, when I went there, I found that the public regarded them as angels employed to help them. That surprised me. Of course, Prime Minister is in overall charge, but Shri Pant, who is in defacto charge, should think over how the attitude of the public towards the Police should be changed. Police is the main arm of the Government. Unless people have confidence in it, the law and order situation cannot be improved.

I wanted a thana in an area in my constituency, but people said, "No ; we do not want a thana, because it will become one more engine of repression ; they will extort money from villagers." So, efforts should be made to see that the reputation of the Police improves and people have confidence in them, and they enjoy the same respect as Police does in England.

There was a discussion in the House about increasing Dearness Allowance. As a Trade Unionist, I feel that the workers' lot is not very happy. The hon. Minister said that cost of living index should increase by 10 points. I think this has increased but the Dearness Allowance has not been increased. Therefore, I want that increase in Dearness Allowance should be given immediately so that workers may be satisfied and inflation which is our greatest enemy may be properly neutralised and labour in Government Departments may be able to have two square meals a day. Thank you.

श्री डी० एन० तिवारी : सभापति महोदय देश में ला एण्ड आर्डर सिचुएशन दिन-ब-दिन डिटेरियोरेट करती जा रही है। इस की तह में जाना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मानता हूँ कि संविधान के अनुसार ला एण्ड आर्डर का विषय एक प्रान्तीय विषय है। लेकिन जब देश में बिल्कुल बदअमनी हो जाये, ला एण्ड आर्डर सिचुएशन रोज डिटेरियरोरेट करती चली जाये, तो भारत सरकार यह कह कर अपनी जवाबदेही नही टाल सकती है कि ला एण्ड आर्डर प्रान्तों का मामला है।

इस बात पर विचार करने के लिए एक कमीशन बिठाया जाना चाहिए कि देश में ला एण्ड आर्डर सिचुएशन क्यों दिन-ब-दिन नीचे जा रही है। हम जब भी अखबार खोलें, तो देखते हैं कि ट्रेन मे डकैती हुई, ट्रेन में लोगों का समान छीना गया। रेलवे मन्त्री जवाब देते हैं कि ला एण्ड आर्डर प्रान्तीय मामला है, मैं उस में कुछ नहीं कर सकता, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स उसमें दखल नहीं दे सकता है। लेकिन जो लोग सफर करते हैं, जिन लोगों का सामान लूटा जाता है, जिन लोगों की हत्यायें होती हैं, जो पीटे जाते हैं, वे यह नहीं समझते हैं कि किस की जवाबदेही है। वह चाहते हैं कि उनको राहत मिले, उनकी सुरक्षा हो। दिन दहाड़े बाजारों में भी लूट हो जाती है। पुलिस खड़ी रहती है, बोलती नहीं है। क्यों नहीं बोलती है,

[श्री डी० एन० तिवारी]

वह समझती है कि वे बोलेंगे तो दस आदमी मिलकर हमें भी मारेंगे, हमें भी पीटेंगे। इसके अलावा और भी बातें होती हैं, कुछ उन को आमदनी हो जाती है, कुछ उनके हाथों में मक्खन लगाए जाते हैं इसलिए वह यह भी नही देखते हैं कि कहां जायज है कहां नाजायज है। किसी भी काम के अन्दर किसी भी देश में प्रगति नही हो सकती जब तक ला एण्ड आर्डर सिचुएशन ठीक न हो। आप देखेंगे, फैक्ट्रियों में केवल हड़ताल की वजह से काम नहीं रुकता। वहां भी अराजकता है। आप पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स में चले जाइए या कहीं जाकर देखिये कोई सिलसिला नहीं है। एकदम बे-सिलसिला बना हुआ है। तो सब में जरूरी चीज है कि आप देश को अच्छा शासन दें। मैं मानता हूं एकोनामिक डेवलपमेंट में बहुत समय लगता है। मै यह भी मानता हूँ वेलफेयर स्टेट कायम करने में आप को समय लगेगा। लेकिन आप एक अच्छा और सुदृढ़ शासन तो दे सकते हैं। यह बहुत प्रेलिमिनरी बात है इस सरकार के लिए कि देश के अन्दर शासन अच्छा हो और लोग निर्भीकता से अपना काम कर सके। अभी एक भाई ने कहा कि हरिजनों को बूथ पर नहीं जाने दिया गया। एलेक्शन का यदि जिक्र किया जाय तो यह ज्ञान पड़ेगी कि डेमोक्रेसी खतरे में है। सभापति महोदय, आप भी एलेक्शन में गए हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग किस तरह से बचकर आ गए। अगर सही वोटिंग होती तो जो कुछ लोग उधर बैठे हैं वह भी नही आ सकते थे क्योंकि ऐसी लहर देश में चली थी।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उधर भी नही आता कोई।

श्री डी० एन० तिवारी : इधर तो और ज्यादा आते।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अगर चुनाव ठीक होते तो उधर का एक भी जीत कर नहीं आता और जो आता वह इधर बैठा होता, हम उधर बैठे होते।

श्री डी० एन० तिवारी : कहीं भी आप एलेक्शन में जाकर देखते तो एक लहर फैली हुई नजर आती जिसको रोकने के लिए बूथ कैप्चर किए जाते थे, लोगों को वोट देने जाने नही दिया जाता था। यह कमजोरी तो थी एडमिनिस्ट्रेशन की। अभी पंचायतों का एलेक्शन हुआ है, उसमें क्या हुआ है ? एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी से और ला एण्ड आर्डर की कमजोरी से लोगों ने उसमें मनमानी की। लोगों ने बूथ कैप्चर कर लिए। उस में कोई पार्टी की बात नहीं थी। देश में फिजा ऐसी चल गई है...(व्यवधान)...

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : पचायतो के एलेक्शन में भी वह लहर दिखाई पड़ी।

श्री डी० एन० तिवारी : हम लोगों ने उस में कैंडीडेट खड़े नहीं किए।...(व्यवधान)... आप जानना चाहते हैं तो आप कांग्रेस में रहे हैं, आप जानते है कि हमारा यह सिद्धांत है कि हम पंचायतों के एलेक्शन मे कैंडीडेट्स खड़े नहीं करते। हम चाहते है कि वह गांव वालों का एलेक्शन है, गाव वाले लड़े।

दूसरी बात यह है कि देश में जो न्याय की परिपाटी है, सिस्टम है उन को हमें बदलना है। नहीं बदलेंगे तो जैसा और भाइयों ने कहा है कभी गरीब को न्याय नही मिल सकता; आप कचहरियों में जाइये, पांच पाच, सात-सात और दस दस वर्ष के मुकदमें पड़े हुए हैं, उनका फैसला नहीं होता है एक मुकदमा जो करता है, वह मर जाता है उसके बाद उसका फैसला कहीं हो या न हो। यह लोअर कोर्ट्स की बात नहीं है, हाइकोर्ट तक मे दस दस, बारह-बारह और तेरह-तेरह साल तक के केसेज पड़े हुए हैं, उनका फैसला नहीं हुआ। तो आप को तो

सोचना होगा कि हम जजेज को बढ़ायें या और क्या परिपाटी कायम करें जिसमें लोगों को क्विक डेसीशन मिल सके। अंग्रेजी में एक कहावत है—जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो कभी आपके मंत्रालय ने बैठ कर सोचा है कि इसको कैसे करना चाहिए? कभी यह विचार किया गया है कि कैसे तेजी से कैसेज को डिस्पोज आफ करें? एक विधवा है, खोसीस नालिश करती हैं, उसके पास खाने को नहीं है, दस वर्ष मुकदमा चला, दस वर्ष में वह क्या खाएगी, क्या करेगी, कहां रहेगी?

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन): क्या आप वकील हैं...(**व्यवधान**)...नही तो ऐसी कहावत है कि खीसा हो बम, जूता हो तंग और गवाह हो सग तब आता है मुकदमें में रग।

श्री डी० एन० तिवारी : मैं वकील नही हू लेकिन ऐसी बाते जानता हूं। तो इस सिस्टम को आप बदलिए।

एक और मनोवृत्ति चल पड़ी है मन्त्रालयों मे भी और दूसरी जगह भी कि काम को टालते जावो। प्राबलम्स को ग्रिप मे लाकर उस का फैसला कर ले यह नही है, मनोवृत्ति यह हो गई है कि कुछ टाल जाय, कुछ समय मिल जाये और यह टलता रहे, इस तरह वर्षों तक टल जाता है। इसलिये मैं कहूँगा कि न्याय की परिपाटी मे, न्याय की प्रणाली मे कोई आमूल परिवर्तन होना चाहिये और कैसे क्विक डिस्पोजल केसेज का हो, उसके लिये क्या किया जाये, मैं कानून का पडित नही, कानून में क्या सुधार किया जाये, जिसमें यह हो सके यह भी आप को सोचना है। नहीं सोचिएगा तो देश में एक बेचेनी सी है। आपके जो कारकुन हैं, काम करने वाले हैं जो कचहरियों में बैठे हैं उनका रवैया क्या है? 107 का केस आता है जिस को वह फेवर करना चाहते हैं उसको जमानत दे देते हैं, जिसको दिक करना चाहते हैं, उस की जमानत मन्जूर नहीं करते हैं। हालांकि हाईकोर्ट का आदेश है कि 107 के केसेज में जमानत दे देनी चाहिये लेकिन दिक करने के लिये वह नहीं देते। एक एस० डी० ओ० से मेरी बात हुई। मैंने पूछा कि आप क्यों ऐसा करते हैं तो वह कहने लगे कि जिन को हमें दिक करना होता हैं, जो बदमाश होते हैं उन की जमानत हम नहीं लेते हैं मैंने कहा कि यही मनोवृत्ति खराब है। दिक करना क्यों चाहते हैं? आप तो न्याय करने के काबिल नहीं हैं। अगर यही मनोवृत्ति हमारी हो कि हम दिक करें किसी को तो यह ठीक नहीं है। नहीं तो 107 में तो जमानत होनी ही चाहिये। लेकिन आप जाकर देख लीजिए जेलों में हजारों आदमी ऐसे सड़ रहे हैं। कभी किसी ने विश्लेषण किया है कि जो हाईकोर्ट का आर्डर हो गया उसके मुताबिक लोगों को न्याय मिलना चाहिये वह मिलता है या नही? कितने केसेज में उसकी अवहेलना हुई, इसका कोई आंकड़ा आप के पास होगा? आप मगाकर देखेंगे तब आप उसकी व्यवस्था कर सकेंगे। आज आप के पास वह आंकड़े नही हैं। तो आप का मन्त्रालय करता क्या हैं? देखता क्या है यह समझ मे नही आता।

तीसरी बात है जो अभी शिब्बन लाल सक्सेना जी ने उठाई थी—पोलिटिकल सफरर्स की बात आज हम आप जो यहां बैठे हैं उन्हीं की वजह से बैठे हैं जिन लोगों ने त्याग किया, तपस्या की। उन के उस त्याग और तपस्या की वजह से ही हम यहा बैठे हुए है। मैं यह मानता हूं कि आज बहुत से ऐसे लोग भी यहाँ आये हैं इधर भी और उधर भी जिनका कोई त्याग, जिनकी कोई तपस्या नहीं थी। लेकिन आपकी गवर्नमेंट को लाने में उनका हाथ है जो पोलिटिकल सफरर्स रहे हैं। अभी तक जो कुछ हुआ वह हुआ, आगे का सोचें। आपने एक नियम बना दिया कि पांच वर्ष से नीचे वाले को कोई मदद न की जाये। अगर तीन वर्ष जेल में रहता है, उसकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, उसके लड़कों की पढ़ाई लिखाई खत्म हो

[श्री डी० एन० तिवारी]

गई तो उसको हमें सहयोग नहीं देना है ? हम लोगों को उसे पुनर्स्थापित करने में सहयोग नहीं देना है ? तो यह पांच वर्ष चार वर्ष के मानि क्या हैं ? अभी लड़ाई में कोई फौज के आदमी मर जाते हैं या उनका अंग भंग हो जाता है तो हम उसकी रिहैबिलिटेट करते हैं । आपने कितने लोगों को रिहैबिलिटेट किया, जिनके अंग भंग हो गये, जिन्होंने गोलियां खाई, जो 8 वर्ष जेल में रहे ? क्या कोई आंकड़े आप के पास हैं ? मैं जानता हूं कि आप दो-चार सौ रुपये दे देते है । अगर होम मिनिस्ट्री में कोई प्रार्थना आती है, किसी की लड़की की शादी के लिये या कोई और यज्ञ करने के लिये तो कुछ पैसा आप उस को भेज देते हैं, लेकिन उससे उसका रिहैबिलिटेशन नहीं होता है । जिस तरह से आप सैनिकों की सहायता करते हैं, अगर उसी तरह से आप उनकी भी सहायता कर दे तो ये रिहैबिलिटेट हो सकते है ।

इसी सिलसिले मे मै यह भी कहना चाहता हूं कि महगाई बहुत बढ़ गई है । गवर्नमेंट के जो पेन्शनर्स है, बाबा-आदम के जमाने मे उनके लिए पेंशन तय हो गयी थी, वही आज भी चली आ रही है । पहले जमाने मे एक एस्सिटैंट इन्स्पेक्टर 80 रुपये मासिक पर काम करता था, और उसको उस समय 40 रु० पेंशन मिलती थी तो आज भी वही चली आ रही है । आप विचार कीजिये कि उस जमाने मे 40 रु० की जो कीमत थी, उसके मुकाबले आज क्या कीमत है । इसमें आप ने कोई वृद्धि नहीं की है, क्या आप चाहते हैं कि वह भी एजीटेशन करे, वह भी आपके यहां प्रदर्शन करे आज होम मिनिस्ट्री में यह प्रवृत्ति होनी चाहिये कि जो जायज बात है, चाहे कोई प्रदर्शन करे या न करे, स्वमेव, सुम्रोमोटो उस को कर सकें, इससे आप को ज्यादा श्रेय मिलेगा । अगर आप नहीं करेंगे तो फिर देश में वही आन्दोलन और अव्यवस्था चलेगी । हम बहुत सी बातों में आन्दोलनों को रोक सकते हैं, लोगों की सफरिंग्ज को दूर कर सकते हैं, अगर सुम्रोमोटो कुछ करने की कोशिश करें ।

पांचवी बात—गृह मन्त्रालय की एकाखास जवाबदेही यह भी है कि देश में कहीं किसी कोने में कोई अव्यवस्था या गड़बड़ी होती है— भले ही किसी भी कारण से होती है—उस के कारणों को जान कर उसको सम्बन्धित मंत्रालय से ठीक कराने की कोशिश करे । मैं मानता हूं कि कही नाजायज बातें भी हो जाती हैं किसी स्टेट के साथ या किसी क्षेत्र के साथ, लेकिन जब आप की दृष्टि में वह बात आती है तो यह नही होना चाहिये कि उसको टाला जावे कि यह तो उस मन्त्रालय का काम है । आज जरूरत इस बात की है कि आप उसमें दखल दें और सम्बन्धित मंत्रालय पर जोर डाले ताकि वह काम हो सके ।

आपने एक नियम बनाया था कि लोगों की नौकरी करने की उम्र 55 वर्ष तक होगी, उस के बाद 58 वर्ष कर दी गई । लेकिन मैं देखता हूं कि लोग 58 मे भी आगे बढ़ जाते हैं, 60-65 तक पहुंच जाते हैं । ऐसे लोगों को आप कहां भेजते हैं—पब्लिक अण्डरटेकिंग में ले जाकर बैठा देते है । वे लोग समझते हैं कि हमें दो-तीन वर्ष काम करना है, अपनी एनर्जी लगा नहीं सकते हैं, उनकी कोई जबावदेही वहां नही होती है । इस तरह के सुपरेनुएटेड स्टाफ को जगह जगह भर देने की परिपाटी चल गई है । कोई सैक्रेटरी रिटायर होता है, उसको गवर्नर बना दो, कोई डिप्टी सैक्रेटरी रिटायर होता है, उसको एम्बेसेडर बना दो । अगर आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप उन से सलाह लेने के लिए, उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाने के लिए कोई बोर्ड बना दें, उनको बोर्ड में रखिए, लेकिन एक्टिव सर्विस में क्यों रखते हैं । अगर किसी को किसी खास कारण से एक्टिव सर्विस में रखना है तो उसकी जवाबदेही दीजिये

उसे कहें कि यदि नियत समय में काम नहीं होगा, तो पेन्शन छीन लेंगे । किसी सुपरेनुएटेड स्टाफ को अगर आप किसी अण्डरटेकिंग में भेजेंगे और फिर 6 महीने बाद हटाना चाहेंगे तो फिर गड़बड़ी होगी । जल्द-जल्द बदलने से कोई काम नहीं चलेगा । लेकिन अगर रखना है तो डेढ़-दो साल का समय दीजिये और कहिये कि इस काम को करके दिखलाओ, 6 महीने बाद बदल देने से तो नतीजा ठीक नहीं निकलेगा । मैं तो यह कहूंगा कि हमारे यहां नौजवानों की कमी नहीं है, 40-50 साल की उम्र तक अच्छा ज्ञान हो जाता है, ऐसे लोगों को तरजीह दीजिये जब नेहरू जी के बिना या गांधी जी के बिना हमारा काम चल सकता है, तो क्या ऐसे अफसरों के बिना काम नहीं चल सकता—यह बात मेरी समझ में नहीं आती । मैं चाहता हूं कि सुपरेनुएटेड स्टाफ के लिए आप कोई बोर्ड बना दें । मैं इस ख्याल का नहीं हूं कि उनके ज्ञान का लाभ न उठाया जाय, लेकिन किसी ऐसे काम में उनको न भेजिये और अगर भेजते ही हैं तो दो-ढाई साल का समय दीजिये और कहिये कि इसको नहीं करोगे तो तुम्हारी पेंशन जब्त कर लेंगे ।

SHRI D. BASUMATARI (Kokrajhar) : While supporting the demands for grants of the Home Ministry, I must congratulate the Prime Minister. At no time since Independence was the Home Ministry under the Prime Minister except at the present time. The Prime Minister is the custodian of the whole country. We have all been elected only on her name. There were so many things in our election manifesto but the main question before the electorate which was posed by the political parties was : Garibi Hatao or Indiraji Hatao. That was the main slogan. Now we have been voted to power. We have been given the mandate by the people.

MR. CHAIRMAN : You may continue your speech tomorrow.

17.59 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, June 24, 1971/ Asadha 3, 1893 (*Saka*)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.